लोक सभा

बुधवार,
८ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६. ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

———

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

———

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४६२	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

बुधवार, ८ सितम्बर १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रेस आयोग की सिफारिशें

*६३६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का प्रेस आयोग की सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां अगस्त के मध्य में उपलब्ध हुई थीं। इस प्रतिवेदन पर भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जा रहा है । तत्संबंधी निकायों तथा सन्थाओं की सम्मतियां भी प्राप्त की जा रही हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाली सम्मतियों पर सम्यक विचार करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जायेगा। इस लिये अभी इस का कोई संकेत बताना बहुत कठिन है कि सरकार इन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने वाली है।

श्री साधन गुप्त : सरकार को प्रतिवेदन की सामग्री का ज्ञान सब से पहले प्रतिवेदन की छपी हुई प्रति से हुआ था । यह प्रतिवेदन सरकार को छपी हुई प्रति के तैयार होने से पहले प्राप्त हो चुका था ?

डा० केसकर : सरकार ने प्रतिवेदन पर उसी दिन से विचार करना आरम्भ कर दिया था जिस दिन कि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था । परन्तु यह स्पष्ट है कि सरकार तत्संबंधी सम्मतियां जानने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है और तत्संबंधी सम्मतियां उस समय तक नहीं प्राप्त हो सकती हैं जब तक छपी हुई प्रतियां उपलब्ध न हों। जिस दिन यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, दोनों सभाओं की संयुक्त प्रवर समिति की बैठक दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने के लिये हो रही थी । सरकार ने तत्काल ही प्रवर समिति को प्रतिवेदन की प्रासंगिक प्रतियां भिजवा दीं। इसी प्रकार, जन साधारण को छपी हुई प्रतियां सुलभ होने के पहले ही हम ने प्रतिवेदन के तत्संबंधी भाग अनेक मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ, अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन तथा भारतीय तथा पूर्वीय समाचार-पत्र संस्था जैसे निकायों को भेज दिये थे।

श्री साधन गुप्त : क्या सरकार अनुमान से बता सकती है कि इस प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये तथा इस के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

डा० केसकर : इस प्रश्न का कोई सामान्य उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि आयोग की सिफारिशें अनेक प्रकार की हैं तथा उन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। फिर भी आयोग की कुछ सिफारिशें श्रमिक पत्रकारों से संबंध रखने वाली तथा प्रेस अधिनियम से संबंध रखने वाली बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आयोग की कुछ सिफारिशों पर पहले विचार किया जाय और कुछ पर बाद में। इस लिये यह संभव है कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों के परिपालन के संबंध में पहले विचार करे तथा अन्य सिफारिशों को तत्संबंधी निकायों द्वारा विचार किये जाने के लिये छोड़ दे।

श्री साधन गुप्त : श्रमिक पत्रकारों के संबंध में अन्तिम विनिश्चय पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

डा० केसकर : मैं समय तो नहीं बता सकता परन्तु मेरे माननीय मित्र को विश्वास रहे कि किसी अन्य आयोग के संबंध में जितना समय लगा होगा उस से कम समय लगेगा।

कोनार बांध

*६३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोनार बांध के निर्माण के लिये ठेकेदारों को आवश्यकता से अधिक रुपया दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि अधिक दी गई थी ;

(ग) अधिक भुगतान के लिये कौन उत्तरदायी है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) ठेकेदारों को अधिक भुगतान की गई राशि को पुनः प्राप्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ) तक: सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि कोनार बांध के निर्माण के लिये ठेकेदारों को ऐसा कितना रुपया ज्यादा दे दिया गया है जिस को वसूल नहीं किया जा सकता है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : इस रक़म का बिल्कुल सही तौर पर अन्दाज़ा नहीं हो सका। कमेटी री का ख्याल था कि यह एक करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा है, फिर उस पर इनक्वायरी हुई और ऐसा मालूम हुआ कि उससे कुछ कम है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो काम ठेकेदारों ने किया है उसकी जांच करने के लिये कोई विशेषज्ञ या इंजीनियर डी० वी० सी० से आये थे और यदि नहीं आये तो उनके काम की जांच किस प्रकार कराई जायेगी ?

श्री नन्दा : उस वक्त कुछ इंजीनियर्स थे जिन्होंने रेट्स वगैरह के बारे में कारपोरेशन को सलाह भी दी थी और वह काम भी करते थे, वह सभी चले गये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब रुपया वसूल होने की क्या सूरत है ?

श्री नन्दा : इसके बारे में हमने ला मिनिस्ट्री से सलाह ली और मशविरा किया और उन की राय तो यह है कि इसमें कानूनी तौर पर कुछ नहीं हो सकता।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बयान में यह लिखा हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या भुगतान करने के पहले नियमित रूप से कोई जांच की जाती है यदि हां, तो यह अधिक भुगतान कैसे कर दिये गये ?

श्री हाथी : वस्तुतः यह अधिक भुगतान की बात नहीं है । दामोदर घाटी निगम तथा ठेकेदारों में एक नियमित करार हुआ था। दरों के संबंध में समझौता हो चुका था । राव समिति ने कहा था कि जो दरें तै हुई हैं वे बहुत ऊंची हैं तथा कुछ पद अग्राह्य हैं । परन्तु वास्तविकता यह है कि एक वैध करार हो चुका था। इस लिये भूल से अधिक भुगतान हो जाने का या इसी प्रकार का कोई और प्रश्न ही नहीं था ।

काश्मीर में कज्जाक शरणार्थी

*६३९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि वह सब क़ज्ज़ाक़ क्या वापिस चले गये हैं जिन्हों ने अक्तूबर १९५१ में श्रीनगर में शरण ली थी ; और

(ख) उन के भेजे जाने पर, गुज़ारे पर तथा भारत में ठहरने पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) हां । १२५ चीनी तुर्क सिक्यांग वापस चले गये तथा शेष तुर्किस्तान चले गये ।

(ख) क़ज्ज़ाक़ शरणार्थियों के काश्मीर रखे जाने पर तथा तुर्किस्तान वापस जाते हुए उन को बम्बई तक भेजने में कुल व्यय ९२,२३६ रुपये १२ आने हुआ ।

सरदार हुक्म सिंह : उन में से कुछ सिक्यांग चले गये हैं तथा शेष तिब्बत चले गये । जो लोग सिक्यांग गये क्या वे अपनी इच्छा से सिक्यांग जाना चाहते थे तथा अन्य व्यक्तियों को सिक्यांग जाना पसन्द नहीं था अथवा और किसी विचार से ऐसा किया गया ?

श्री सादत अली खान : १२५ चीनी तुर्क अपनी इच्छा से सिक्यांग वापस गये ।

सरदार हुक्म सिंह : बम्बई से तुर्किस्तान जाने का उन का खर्च किस ने दिया ?

श्री सादत अली खान : हम ने यहां से तुर्किस्तान तक नहीं वरन् यहां से बम्बई तक जाने का उन का खर्चा दिया है । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इतना खर्चा करने के लिये तैय्यार हो गया कि उन को रेल द्वारा तीसरे दर्जे में अमृतसर से बम्बई भेजा जाये तथा अन्य व्यय दस रुपये प्रति व्यक्ति तक किये जायें । हमारी स्थिति यह है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा ख्याल है कि शेष व्यय उन की सहायता करने वाले किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा किया गया था ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*६४०. **सेठ गोविन्दास** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि १९५३–५४ में पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये विशिष्ट रूप से अलग कर दी गई राशि में से कितना भाग लौटा दिया गया था; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३,९६,००,००० रुपये ।

(ख) राज्य सरकारें इस राशि का निम्नलिखित मुख्य कारणों से उपयोग नहीं कर सकीं :—

(१) प्रशासकीय संगठन के, मंजूरी तथा वितरण की और कड़ी जांच करने वाली, नई प्रक्रिया के साथ पुनस्समायोजन के कारण ।

(२) कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, जिस का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय किया कि पश्चिम बंगाल भूमि विकास तथा योजना अधिनियम १९४८ शक्ति के परे है, भूमियों का अर्जन न हो पाने से इस योजना का परिपालन स्थगित रहने के कारण ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का सम्बन्ध है उन में से क्या कुछ मध्य प्रदेश और जबलपुर में भी बसाये गये थे ?

श्री जे० के० भोंसले : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह भी नहीं मालूम है कि उन की सहायता के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था और उस का कोई नतीजा नहीं निकला ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हम ने किसी शरणार्थी को मध्य प्रदेश में नहीं भेजा लेकिन कुछ लोग स्वयं चले गये और उन के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने की थीं जिन को हम ने मंजूर कर लिया ।

सेठ गोविन्द दास : क्या वह सब सिफ़ारिशें.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री बसु ।

श्री के० के० बसु : क्या धन के व्यपगत होने का एक कारण यह था कि इन राशियों के अनुदान वित्तीय वर्ष में इतनी देर से दिये गये कि पश्चिमी बंगाल सरकार उन का उपयोग नहीं कर सकी तथा इसी आशय का एक अभ्यावेदन भी दिया गया था ?

श्री ए० पी० जैन : यह सच नहीं है ।

श्री अमजद अली : इस राशि का कितना भाग पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा लौटाया गया तथा कितना भाग आसाम सरकार द्वारा लौटाया गया ?

श्री जे० के० भोंसले : पश्चिमी बंगाल सरकार ने ३,४१,७६,००० रुपये तथा आसाम सरकार ने १५,९५,००० रुपये लौटाये हैं ।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ सिफारिशें की थीं और वह मंजूर कर ली गयीं । क्या कुल सिफ़ारिशें मंजूर कर ली गयीं या उन का थोड़ा सा अंश मंजूर किया गया है ?

श्री ए० पी० जैन : उन्हों ने तो यही सिफ़ारिश की थी कि जहां पर ज़रूरी समझा जाय मकान बनाने के लिए सहायता दी जाय और व्यापार के लिए जो कुछ पूंजी की ज़रूरत हो तो वह भी सहायता दी जाय । यह दोनों सिफ़ारिशें हम ने मंजूर कर ली हैं ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

*६४२. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ फरवरी १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने अब अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की गवेषणा समिति की एक अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग गवेषणा संस्था स्थापित करने की योजना स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कब अपना कार्य आरम्भ करने वाली है; और

(ग) किस स्थान पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने सिफ़ारिश की है कि प्रस्थापित संस्था वर्धा में स्थापित की जाये ।

श्री डाभी : इस सम्बन्ध में विनिश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि बातचीत चल रही है तथा कुछ ऐसे मतभेद हैं जिन का दूर किया जाना आवश्यक है ।

श्री डाभी : मतभेद किस प्रकार के हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बातचीत अभी जारी है इसलिये सभा के सामने उन का प्रकट करना उचित नहीं है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या सरकार कुटीर उद्योगों का अध्ययन करने के लिये गवेषणा करने वाले छात्रों को विदेश भेजने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पता नहीं कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है । अभी ऐसी कोई प्रस्थापना हमारे सामने नहीं है ।

सीमान्त आक्रमण

*६४३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अप्रैल, १९५४ से जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सीमा पार से कुछ आक्रमण किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) इन से भारतीय पक्ष को कितनी क्षति पहुंची ?

वदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). अप्रैल से जुलाई, १९५४ तक, भारत सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार युद्ध विराम रेखा पर तथा जम्मू-पंजाब (पाकिस्तान) सीमा पर २४ आक्रमण किये गये ।

(ग) हमारी ओर के दो व्यक्ति मरे, बारह घायल हुए तथा पांच व्यक्तियों का अपहरण किया गया; ४८ ढोर ले जाये गये तथा अन्य सम्पत्ति लूटी गई । हानि का अनुमान लगभग ७,७०० रुपये है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे आक्रमण जो गत वर्ष, इसी समय में, युद्ध विराम रेखा पर तथा जम्मू की तथा अन्य सीमाओं पर किये गये थे इस वर्ष के आक्रमणों से संख्या में अधिक थे तथा उस अवसर पर कितनी क्षति हुई थी तथा मारे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ?

श्री सादत अली खान : १९५३ में पाकिस्तानी नागरिकों ने ५ बार युद्ध विराम रेखा को अनधिकृत रूप से पार किया जिस में हमारी ओर से चार व्यक्ति मारे गये तथा एक घायल हुआ । जहां तक जम्मू की सीमा के क्षेत्र के विवरणों का सम्बन्ध है हम ने इस काल की जानकारी के लिये लिखा है परन्तु अभी तक हमें उक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन आक्रमणों में खोये जाने वाले जानवर विरोध या वार्ता के फलस्वरूप फिर से प्राप्त किये जा सके ?

श्री सादत अली खान : मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ । वे जानवर तो उठा ही ले जाये गये ।

टीन की चादरें

*६४४. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में टीन की चादरों के उत्पादन तथा खपत की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उत्पादन ५४,९८० टन था तथा खपत लगभग ५७,५०० टन थी।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, जहां तक इस उद्योग का सम्बन्ध है क्या गत वर्ष की तुलना में इन आंकड़ों में कोई वृद्धि या कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां श्रीमान्, चालू वर्ष में इन आंकड़ों में कमी आ गई है।

श्री के० के० बसु : सन्दूक बनाने के उद्योग में टीन की चादरों की कितनी खपत है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम अलग-अलग ऐककों को खपत का हिसाब नहीं रखते हैं, और यदि रखते भी हैं तो हम उन आंकड़ों को खोल नहीं सकते।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या यह सच है कि विदेशी सार्थों को टीन की चादरें सस्ते भाव पर दी जाती हैं और भारतीय सार्थों को ऊंचे भाव पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले में सरकार संविधान के अनुच्छेद १४ से बाध्य है जिस के अनुसार सरकार व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रख सकती।

श्री बंसल : देश में आजकल कितने ऐककों में टीन की चादरें तैयार की जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे ज्ञात है, केवल एक ऐकक में टीन की चादरें तैयार की जा रही हैं।

तिम्तातु शुल्बीय (अमोनियम सलफेट)

*६४५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्रों में कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाने से सिन्द्री उर्वरक कारखाने में तिम्तातु शुल्बीय का प्रतिदिन १००० टन का उत्पादन पूरा नहीं हो पाया;

(ख) १९५४ के मई, जून और जुलाई के महीनों में कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ; और

(ग) जुलाई, १९५४ के अन्त में स्कन्ध में कितनी मात्रा थी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां। लक्ष्य की प्राप्ति के लियें प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है जिस की यथार्थ मात्रा सामान्यतः ९६० टन प्रतिदिन बताई जाती है और साल में उन कतिपय दिनों की छूट दे दी गई है जब संधारण, मरम्मत इत्यादि के लिये कारखाना पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से बन्द रहता है।

(ख) १९५४ के मई के महीने में २२,०४४ टन, जून के महीने में २३,४५४ टन तथा जुलाई के महीने में २०,४३३ टन का उत्पादन हुआ अर्थात् तीनों महीनों में कुल उत्पादन ६५,९३१ टन हुआ।

(ग) ९२३ टन।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, इस साल कितनी मांग आई तथा कितनी मात्रा में माल भेजा गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : इस वर्ष कितना आयात हुआ है ?

श्री के० सी० रेड्डी : एक प्रस्ताव हुआ है : मेरे विचार में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

द्वारा इस वर्ष १ लाख टन की मात्रा में आयात करने का निर्णय किया गया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या रसायन तथा उर्वरक विकास परिषद् ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि सिन्द्री कारखाने में उत्पादन की मात्रा शीघ्र ही दुगनी कर देनी चाहिए और यदि हां, तो क्या सरकार उस समझौते को कार्यान्वित करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां तक मुझ को ज्ञात है विकास परिषद् ने सिन्द्री कारखाने में उत्पादन की मात्रा दुगुनी कर देने के सम्बन्ध में कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है किन्तु इस बारे में यह निर्णय अवश्य हो गया है अथवा परिषद् द्वारा यह सिफारिश की गई है कि देश में उर्वरक ऐककों की और अधिक संख्या में आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार इस से अवगत है कि सिन्द्री कारखाने के उत्पादन में निरन्तर कमी अथवा वृद्धि का कारण यह है कि यूनियन के नेताओं और प्रबन्धकर्ताओं के बीच, जो कि पदाधिकारियों की पदोन्नति अथवा उन का नाम-निर्देशन स्वेच्छापूर्वक कर रहे हैं, परस्पर द्वेष की भावना विद्यमान है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे विचार में उत्पादन के इस प्रतिदिन के उतार चढ़ाव का यह कारण नहीं हैं । किन्तु यदि उस प्रकार के कुछ कारण हैं, तो सरकार उन की जांच करेगी और उन के सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

केन्द्रीय कार्यक्रम मंत्रणा समिति

*६४६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) केन्द्रीय कार्यक्रम मंत्रणा समिति, संगीत मंत्रणा बोर्ड तथा केन्द्रीय हिन्दी मंत्रणा समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) समिति द्वारा की गई कितनी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित हुई हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) उक्त जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : श्रीमान्, इन समितियों के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ?

डा० केसकर : उन का मुख्य कार्य कार्य-क्रमों के सम्बन्ध में परामर्श देना है । जहां तक हिन्दी समिति का सम्बन्ध है यह उन प्रश्नों का प्रतिपादन करती है जो कि विदेशी अथवा अंग्रेजी शब्दों के समानान्तर शब्द ढूंढ़ने में होने वाली परेशानी के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

डा० केसकर : मुझे सूचना की अपेक्षा है । नियम यह है कि संख्या ३० से अधिक नहीं होना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सत्य है कि आकाशवाणी नई दिल्ली में जो हिन्दी के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये समितियां हैं उन समितियों में गाने में सलाह देने के लिये कथाकार रखे गये हैं और कथा में सलाह देने के लिये गीतकार रखे गये हैं ?

डा० केसकर : दिल्ली केन्द्र से संलग्न कार्यक्रम मंत्रणा समिति के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न है तो मुझे सूचना की अपेक्षा है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् इन समितियों की बैठक साल भर में कितनी बार होती है और क्या यह सच है कि इन समितियों से परामर्श उसी समय किया जाता है जब

कार्यक्रम पूरी तरह से तैयार हो जाता है, अथवा क्या कार्यक्रम बनने से पूर्व उन का परामर्श लिया जाता है ?

डा० केसकर : समितियों की बैठक साल में दो बार होती है। उन का कार्य कार्यक्रमों में सहायता देना नहीं है। उन का कार्य कार्यक्रमों के सुधार सम्बन्धी सामान्य सुझावों को प्रस्तुत करना है। इस प्रकार कार्यक्रमों के बनाने में उन से परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक अनेक केन्द्रों से सम्बद्ध स्थानीय समितियों का सम्बन्ध है, उन के द्वारा इन अनेक केन्द्रों के कार्यक्रमों के सुधार के बारे में विशिष्ट सुझाव दिये जाते हैं परन्तु केन्द्रीय समिति का यह कार्य नहीं है।

नैरोबी में भारतीय राजदूतावास

*६४७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैरोबी स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी जो अप्रैल-मई १९५४ में कीनिया अधिकारियों द्वारा बन्दी बना लिये गये थे, मुक्त कर दिये गये हैं;

(ख) क्या किन्हीं कर्मचारियों पर माऊ-माऊ आन्दोलन में भाग लेने अथवा माऊ-माऊ संघठन के व्यक्तियों को शरण देने के उपलक्ष में अभियोग चलाये गये; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) और (ख). नैरोबी में बड़े पैमाने पर पूछताछ के दौरान में गत २४ अप्रैल को ब्रिटिश सैनिक तथा पुलिस नैरोबी में स्थित हमारे आयुक्त के कार्यालय की सीमा के अन्दर घुस गई और कर्मचारिवृन्द में जितने अफ्रीकी काम करने वाले थे उन को बन्दी बना लिया। बाद को बन्दी बनाये गये यह सब कर्मचारी मुक्त कर दिये गये, केवल एक चपरासी को मुक्त नहीं किया गया जिस के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों ने हमारे आयुक्त को यह सूचना भेजी कि यद्यपि उस से पूछताछ कर ली गई है तथापि उस पर सन्देह है और उस को शिष्टमंडल में नौकर रखना उचित नहीं है। इस के बाद उस की सेवायें समाप्त कर दी गईं।

(ग) इंगलैंड की सरकार से इस विषय पर बातचीत की गई जिस ने इस आशय के कठोर अनुदेश जारी किये जिस से शिष्टता के नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐसी घटनायें फिर न हों।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कीनिया के प्राधिकारियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति भारतीय कर्मचारियों द्वारा सहानुभूति दिखाये जाने के लिये उनका अपमान करने की यह कार्यवाही जानबूझ कर की ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : इस कार्य के लिये कीनिया के प्राधिकारियों ने बहुत खेद प्रकट किया और कहा कि जिस पदाधिकारी द्वारा ऐसा किया गया स्पष्टतः यह उसकी गलती थी। हमें उनके शब्दों को मानना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कीनिया प्राधिकारियों द्वारा उस पदाधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री सादत अली खान : मेरे विचार में कार्यवाही की गई।

श्री कासलीवाल : क्या कीनिया की सरकार भारतीय राजदूतालय के कर्मचारियों को उनके अवैध बंदीकरण के उपलक्ष में कोई प्रतिकर देने का विचार रखती है ?

श्री सादत अली खान : उन्होंने क्षति-पूर्ति करने का वचन दिया किन्तु हानि इतनी नाममात्र थी कि हमने उसका दावा करना आवश्यक नहीं समझा।

खादी की बिक्री

*६५०. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धोती (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनयम १९५३ के पारित होने के समय से खादी तथा दूसरे हथकरघे के कपड़े की बिक्री में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). हथकरघे के कपड़े की बिक्री से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्योंकि हथकरघे के कपड़े का उत्पादन १३ प्रतिशत बढ़ गया है, और यह बताया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में जहां हथकरघा बुनकर रहते हैं स्कन्ध स्थिति अच्छी है अतः बड़ी अच्छी तरह इसकी कल्पना की जा सकती है कि हथकरघे की बिक्री बढ़ गई है । परन्तु प्रश्न में उल्लिखित दोनों बातों का परस्पर क्या संबंध है यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री डाभी : १९५३-५४ में सरकार ने कितना तथा कितने मूल्य का खादी कपड़ा खरीदा और चालू साल अर्थात् १९५४-५५ में कितना खरीदेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : सरकार ने इस ओर क्या उपाय किये हैं कि हथकरघे का कपड़ा बाजार में बिके तथा सरकार इस संबंध मे क्या प्रोत्साहन देती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : समय समय पर किये गये अनेक उपायों की रूप-रेखा तैयार की गई है और लगभग दस दिन पूर्व ही अभी हाल में एक संकल्प प्रस्तुत हुआ था जिस का उत्तर देते समय मैं ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया था । सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के प्रयत्नों से हथकरघे के कपड़े की बिक्री में वृद्धि हो । कुछ प्रकरणों में हम सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित कपड़े की बिक्री पर छूट भी दे रहे हैं ।

दक्षिण अफ्रीका

*६५१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका सरकार की पार्थक्य नीति के कारण केप टाउन में बहुत सी विधवाओं बूढों और अंगहीन भारतीयों को अपने निवृति वेतन लेने के लिये बहुत कष्ट सहने पड़े थे; और

(ख) १९५३ के वर्ष में और जून १९५४ तक कितने भारतीय उनके साथ किये गये अपमानजनक व्यवहार के कारण केप टाउन या दक्षिण अफ्रीका से चले गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) सरकार ने इस आशय के प्रैस समाचार पढे हैं ।

(ख) १९५३ में भारतीय उद्भव के ४० व्यक्ति और जून १९५४ तक ऐसे ३२ व्यक्ति स्वेच्छा से दक्षिण अफ्रीका सरकार के खर्च पर भारत लौट आये थे । इस अवधि में बहुत से और भी दक्षिण अफ्रीक की वर्तमान परिस्थितियों के कारण अपने खर्च पर भारत लौट आये होंगे किन्तु इन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इस प्रकार के समाचार पढ़ने के बाद संबंधित सरकार को कोई विरोध-पत्र नहीं भेजा गया था ?

श्री सादत अली खां : इन समाचारों में दिये गये तथ्यों की सच्चाई के संबंध में

सरकार के लिये अब पड़ताल करना संभव नहीं है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : उन लोगों के बारे में क्या जानकारी है जो केप टाउन से चले गये थे और अपने खर्च पर यहां नहीं आ सके थे ? क्या उन्हें भारत में लाने और यहां फिर बसाने के लिये कोई पग उठाये जा रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : दक्षिण अफ्रीका के भारतीय थोड़े समय के लिये भारत आते जाते हैं। कुछ स्थायी रूप से निवास के लिये और अन्य आते जाते रहते हैं । दक्षिण अफ्रीका सरकार की प्रत्यावर्तन में सहायता देने की एक योजना है, जिस के अनुसार इस योजना से लाभ उठाने वालों के प्रत्यावर्तन का व्यय दक्षिण अफ्रीका सरकार देगी । किन्तू यदि वे लोग तीन वर्ष के अन्दर वापस जाना चाहें, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीकी सरकार से लिया हुआ रुपया वापिस देना पड़ेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : समाचार-पत्रों में समाचार पढ़ने के बाद, क्या सरकार ने यह जानने के लिये कि इन में कोई सचाई है या नहीं कोई पग उठाये थे या उस ने पहले से ही यह समझ लिया था कि ये झूठे हैं ?

श्री सादत अली खां : माननीय सदस्य जानते हैं कि जुलाई १९५४ से वहां हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है और दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीय उच्च आयोग बन्द है । अत: हमारे लिये इन समाचारों की पड़ताल करना कठिन है ।

नीवेली लिग्नाइट खानें

*६५५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एक ब्रिटिश फ़र्म से मद्रास के दक्षिण अर्काट ज़िले में नीवेली लिग्नाइट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का अनुमानित व्यय क्या होगा; और

(ग) क्या इस में कोई भारतीय पूंजी लगाई जायेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) सलाहकारों की एक फर्म से कहा गया है कि वह नीवेली के लिग्नाइट निक्षेपों की खुदाई और प्रयोग के सम्बन्ध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करे । ब्रिटिश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोलम्बो योजना के अधीन एक ब्रिटिश फर्म की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं । परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) अभी कोई अनुमान तैयार नहीं किये गये ।

(ग) यदि परियोजना को लाभप्रद समझा गया, तो इस बात का निश्चय कि इस के लिए कैसे धन उपलब्ध किया जाये, रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद किया जायेगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या योजना भारत सरकार के परामर्श से बनाई जा रही है और यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : हम परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस के इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है । इस के बाद हमें यह निर्णय करना है कि इन खानों को खोदा जाय या नहीं और यदि हां तो यह काम किस के द्वारा किया जाये इत्यादि । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि योजना क्या होगी और इसे कब अन्तिम रूप दिया जायेगा । भारत सरकार को आशा है कि इसे यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

श्री बंसल : क्या भारत सरकार संतुष्ट है कि इस ब्रिटिश फर्म को संश्लेषित पैट्रोल के उत्पादन और साफ करने का काफ़ी अनुभव है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सत्य है कि एक अमेरिकन फर्म ने खुदाई का काम संभाल लेने का प्रस्ताव किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरे पास इस विषय में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

श्री बंसल : क्या यह सत्य है कि इस ब्रिटिश फर्म ने एक जर्मन फर्म से जिस ने इस देश में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश फर्म ने अपने कर्तव्य पालन के लिए क्या किया है किन्तु जहां तक मुझे मालूम है, यह सत्य नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : प्रारम्भिक परियोजना की क्या प्रगति हुई है और हमें लिग्नाइट कितने वर्षों तक प्राप्त हो जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : दो-तिहाई—संभवतः इस से कुछ अधिक—खुदाई हो चुकी है । सारा काम तीन या चार मास में समाप्त हो जायेगा । जैसा कि मैं ने पहले कहा है, हम ब्रिटिश फर्म से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की प्राप्ति के बाद हम यह निर्णय करेंगे कि बड़े पैमाने पर काम कब शुरू किया जाये । प्रश्न के इस भाग के सम्बन्ध में कोई कालावधि नहीं बतलाई जा सकती ।

संयोजन सम्बन्धी इंजीनियरों की समिति

*६५६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में नियुक्त की गई संयोजन सम्बन्धी इन्जीनियरों की समिति के कोई स्थायी पदधारी होंगे; और

(ख) क्या इस समिति पर कोई अतिरिक्त व्यय किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । केन्द्रीय जल विद्युत आयोग का अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा और आयोग का सदस्य इस का सदस्य-सचिव होगा ।

(ख) व्यय केवल यात्रा भत्ते के कारण होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : यह समिति क्या काम करेगी ?

श्री हाथी : यह समिति मुख्यतया गोष्ठी में किये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कार्यवाही का ध्यान रखेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : इस समिति ने कब काम शुरू किया था और यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

श्री हाथी : यह समिति ६ मई १९५४ को नियुक्त की गई थी और इस की बैठक १६ जुलाई और २२ जुलाई १९५४ को हुई थी ।

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमान्, यह एक स्थायी प्रबन्ध है । यह एक ऐसी समिति नहीं जिस का काम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समाप्त हो जाये । यह संयोजन के कार्य के लिए बनाई गई है और यह कार्य जारी रहता है ।

योजनाओं में विदेशी विशेषज्ञ

*६५७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि भारत में सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न नदी घाटी योजनाओं और उन से सम्बन्धित विभागों में काम करने वाले विदेशी विभागों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में उन की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ६६, जिस में भाखड़ा नांगल योजना में नियोजित विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं; यह योजना यद्यपि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है तथापि समस्त व्यवहारिक रूप से यह केन्द्रीय योजना है ।

(ख) भाखड़ा नांगल को छोड़ कर अधिकांश विशेषज्ञों की सेवाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में समाप्त कर देने की सम्भावना है । भाखड़ा नांगल पर काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जायेगी लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी सीमित संख्या में उन की आवश्यकता बनी रहेगी ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले वर्ष अथवा इस वर्ष किसी विदेशी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई थी ?

श्री हाथी : पिछले वर्ष कुछ विशेषज्ञ नियुक्त किये गये थे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर बिहार की विभिन्न नदी घाटी योजनाओं के लिये चीन अथवा रूस से विदेशी विशेषज्ञ बुलाने का विचार है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : जहां तक नदी घाटी योजनाओं का सम्बन्ध है ऐसा अभिप्राय नहीं है ।

श्री साधन गुप्त : ६६ विदेशी विशषज्ञों में से कितने अमरीकन हैं और कितने अंग्रेज ?

श्री हाथी : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नन्दा : मैं यह जानकारी दे दूं । मुझे संख्या मालूम है । भाखड़ा योजना में इक्तालीस अमरीकी और तीन यूरोपीय विशेषज्ञ हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कतिपय अमरीकी विशेषज्ञों के अलग किये जाने पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि करार भंग किया गया है ?

श्री नन्दा : इस विषय में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है लेकिन वह निरर्थक सा है ।

नन्दीकोंडा परियोजना

*६६१. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में नन्दीकोंडा परियोजना को सम्मिलित करने के विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नन्दीकोंडा परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री बुचिकोटैय्या : क्या यह सच है कि हाल ही में आंध्र सरकार ने नन्दीकोंडा परियोजना को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ?

श्री हाथी : जी हां, वास्तव में परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । उस की जांच की जा चुकी है । सम्बन्धित राज्यों के इंजीनियरों से चर्चा करने के लिये पदाधिकारियों की एक टोली वहां भेजी गई है । उन्हों ने कुछ सुझाव रखे हैं जिन के अनुसार आगे जांच की जा रही है ।

श्री नानादास : इस परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने में केन्द्रीय सरकार के सम्मुख क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हाथी : कठिनाई कुछ भी नहीं है । प्रश्न केवल परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर उस की विस्तारपूर्वक जांच करने का है किसी प्रकार के विलम्ब को बचाने के लिये सरकार ने इस मामले में शीघ्रता करने वाली कार्यवाहियों को किया है, और पत्र-व्यवहार करने के बदले व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिये पदाधिकारियों की एक टोली हम ने भेजी है ।

श्री रघुरामैया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह समाचार बड़ी तेज़ी से वहां फैल रहा है कि इस परियोजना को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, क्या हम को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि सरकार इस परियोजना पर अभी भी सक्रिय तथा सहृदयतापूर्ण विचार रखती है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, सरकार इस पर विचार कर रही है ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या इस नन्दीकोंडा परियोजना के कारण हैदराबाद राज्य में अन्य छोटी-छोटी विभिन्न परियोजनाओं को रोक लिया गया है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि अन्य विभिन्न परियोजनाओं को रोक लिया गया है किन्तु यह एक समायोजित योजना है और यह हो सकता है कि इस को आरम्भ करने पर कुछ अन्य परियोजनाओं को न आरम्भ किया जा सके ।

नमक

*६६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के गुड़गांव ज़िले में स्थित सुल्तानपुर के भुगर्भी खारी पानी के क्षेत्र में चौड़े मुंह के कुएं खोद कर नमक बनाना साध्य है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नमक बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । ज्ञात हुआ है कि पूर्वी पंजाब सरकार इस क्षेत्र में एक नमक कारखाना चलाने के लिये एक सहकारिता समिति को संगठित करने का एक विचार रखती है और उस ने ज़िले में नमक उद्योग के विकास के लिये एक योजना बना ली है । पता चला है कि खारे पानी के भण्डार, उन की स्थिति एवं रचना का निश्चय करने की दृष्टि से, बोरिंग का काम शुरू हो चुका है ।

श्री नानादास : वहां उपलब्ध होने वाले खारी पानी की किस्म तथा मात्रा कितनी है ?

श्री आर० जी० दुबे : वहां उपलब्ध होने वाली मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं, किन्तु मैं स्थूल प्राक्कलन दे सकता हूं । इन नमक भण्डारों से १९०० तक लगातार नमक निकाला गया था । उन दिनों वार्षिक उत्पादन २ लाख मन तक था ।

श्री नानादास : वहां किस प्रकार का खारा पानी निकलता है ?

श्री आर० जी० दुबे : सुल्तानपुर गांव के अतिरिक्त अन्य गांवों का खारा पानी घटिया प्रकार का है ।

श्री भागवत झा आजाद : पट्टा गैर-सरकारी उद्योग को दिया जायेगा अथवा सरकार स्वयं इस कार्य को करेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र में बोरिंग का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया हुआ है । परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*६६३. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों पर गवेषणा करने के लिये भिन्न-भिन्न राज्यों में किन-किन संस्थाओं और शिक्षा-केन्द्रों को आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) प्रत्येक संस्था को कितनी राशि की सहायता दी गई है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]**

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस स्टेटमेंट को देखने से जो यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी संस्था को यह गवेषणा करने के लिये रुपया नहीं दिया गया, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्थाओं की जांच की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न में विवरण मांगा गया था । विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांगों का विश्लेषण मेरे पास नहीं है । मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

डा० राम सुभग सिंह : वह यह पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई संस्था उत्तर प्रदेश में है या नहीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं ने कहा है कि मेरे पास उन राज्यों तथा संस्थाओं का विश्लेषण नहीं है जो विवरण में नहीं आ जाते हैं । मुझे इस के लिये पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय फिर उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में जांच करायेंगे कि आया वहां कोई ऐसी संस्था है जहां पर कि गवेषणा कार्य करने के लिये उस को सहायता दी जा सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं उस का उत्तर दूंगा ।

श्री के० के० बसु : क्या अनुदान केन्द्र द्वारा तदर्थ आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं अथवा तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों की सिफारिश पर ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस के लिये विभिन्न तरीके अपनाये गये हैं । प्रत्येक प्रयोजन विशेष के लिये निश्चय रूप से एक-एक बोर्ड है जैसे हथकरघा बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड कुछ मामलों में बोर्ड से सिफारिश आती है । बहुधा राज्य सरकार आवेदन-पत्र प्रेषित करती है जिस में हम योजना के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी बोर्ड से परामर्श लेते हैं जिस से सर्वांगीण विकास हो सके । प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाती है ।

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा बेरोजगारी निवारण योजना

*६६४. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने राज्य की बेरोज़गारी को कम करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सम्मुख एक सड़क विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लोगों को रोज़गार मिल जायगा;

(ग) परियोजना की योग प्राक्कलित लागत तथा उस का विस्तृत विवरण क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये उक्त सरकार को केन्द्रीय सरकार ने अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी धन राशि देना स्वीकार किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग २४,५०० उपर्युक्त के अतिरिक्त लगभग ३२,५०० लोगों को फसली रोज़गार मिलेगा ।

(ग) इस के लिये पांच योजनायें हैं जिन की प्राक्कलित लागत ६.०८ करोड़ रुपया है, जिस की विस्तृत सूचना निम्नलिखित है :—

[रुपयों में लागत (लाख)]

(१) नई पक्की सड़कों का निर्माण	२३६.१४
(२) कच्ची सड़कों को पक्का करवाना . .	१४५.३०
(३) स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण . .	१६.००
(४) बड़े बड़े पुल .	५०.२५
(५) ज़िला बोर्ड की सड़कों का सुधार	१६०.००
योग	६०७.६९

(घ) केन्द्रीय सरकार ने चालू योजना काल में अन्तर्राज्यिक अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्व-पूर्ण कुछ विशेष सड़क योजनाओं पर व्यय करने के लिये उत्तर प्रदेश को १२५ लाख रुपये की धन राशि आवंटित की है । इन में से कुछ योजनाएं उपर्युक्त कार्यक्रम की अंग हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : यह कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हाथी : इस कार्यक्रम का लगभग आधा भाग वर्तमान योजना काल में पूरा हो जायगा ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस योजना के अन्तर्गत नई सड़कें कितनी मील लम्बी बनेंगी ?

श्री हाथी : प्रथम चार योजनाओं के अन्तर्गत नई पक्की सड़कों का निर्माण ४८७ मील, कच्ची सड़कों को पक्की करवाने का काम ४४४ मील तथा स्थानीय पक्की सड़कों का पुनर्निर्माण ५० मील तक होने की आशा की जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि समस्त उत्तर प्रदेश के लिये जो ढाई करोड़ रुपये इन विभिन्न सड़कों के लिये स्वीकार किये गये हैं, उन में से अकेले एक ही ज़िले पर एक करोड़ रूपये से अधिक खर्च किया जा रहा है और क्या मैं जान सकता हूं कि उस का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है या भारत सरकार भी उस के लिये उत्तर-दायी है ?

श्री हाथी : केन्द्रीय सरकार १२५ लाख रुपया अनुदान देने जा रही है । शेष राज्य सरकार व्यय करेगी ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या अनावृष्टि के कारण बिहार के अभावग्रस्त क्षेत्र में वहां की अत्यधिक बेरोज़गारी को कम करने के लिये सड़क विकास कार्यक्रम में शीघ्रता करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हाथी : बिहार के सम्बन्ध में बताने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

ट्रावनकोर-कोचीन को सहायता

*६६७. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजना काल के लिये ट्रावनकोर-कोचीन को वचन दी गई सहायता क्या है;

(ख) अब तक दी गई राशि; और

(ग) क्या ट्रावनकोर-कोचीन राज्य को ऋणस्वरूप कुछ तदर्थ सहायता दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३५]

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने उक्त राज्य में राज्य संचालित परिवहन उद्योग के विकास के लिये कोई विशेष अनुदान दिया है और यदि ऐसा अनुदान दिया गया है तो क्या सरकार वहां के परिवहन उद्योग की परिस्थिति पर निगाह रखती है ?

श्री हाथी : सड़क यातायात के लिये १३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है । इस की उन्नति की जांच योजना आयोग द्वारा की जा रही है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या ट्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा चालू वर्ष के आयव्ययक में राजस्व तथा व्यय के अंतर को पूरा करने के लिये कोई मांग की गई है ? और यदि ऐसा है तो भारत सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

श्री हाथी : जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई मांग की गई है ।

क्षति पूर्ति

***६६८. श्री गिडवानी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सिंध की स्वास्थ्य समितियों को उन के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों के लिए क्षति पूर्ति के भुगतानार्थ नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : यह विषय विचाराधीन है ।

श्री गिडवानी : कब निणय किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): यह कुछ जटिल सा विषय है और इस पर परस्पर विरोधी प्रकार के मत हैं । हो सकता है कि स्वास्थ्य समितियों के नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने से नगरीय लोगों को लाभ हो, किन्तु इस का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर कुप्रभाव पड़ सकता है । वास्तव में स्वास्थ्य समितियों के नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने के बारे में आन्दोलन प्रायः नगरीय लोगों द्वारा ही किया जा रहा है । निर्णय करने से पहले हमें सभी सारभूत तथ्यों पर पूर्णतया विचार करना है अतः इस में काफी समय लग सकता है ।

मनीपुर में एन० ई० एस० ब्लाक

***६७०. श्री रिशांग किशिंग** : क्या योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सम्पूर्ण कालावधि में मनीपुर राज्य को आवंटित किये जाने वाले राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ब्लाकों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) उक्त राज्य को जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाक आवंटित किये जा चुके हैं उन के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दो ब्लाक । उक्त राज्य को एक सामुदायिक परियोजना ब्लाक १९५२ में आवंटित किया गया था और और एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाक अभी हाल में १९५४–५५ के लिए आवंटित किया गया है ।

(ख) माओ मराम (पहाड़ी क्षेत्र)

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य नहीं है कि पहले मनीपुर को चालू वर्ष के लिए दो राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाक आवंटित किये गये थे किन्तु फिर एक वापस ले लिया गया ? यदि यह सत्य है तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

श्री हाथी : एक गत वर्ष दिया जाता था । एक सामुदायिक परियोजना ब्लाक १९५२ में आवंटित किया गया था । काम को देखते

हुए और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि उक्त राज्य को प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकते वह ब्लाक गत वर्ष न दिया जा कर इस वर्ष दिया गया ।

श्री रिशाग किशिंग : क्या कारण है कि मनीपुर सरकार अभी तक राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाक के लिए कार्यकर्ताओं की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षित नहीं कर सके ?

श्री हाथी : मनीपुर सरकार ने अब आदमी भिजवाये हैं और कुछ प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं । जिस समय ब्लाक का आवंटन किया गया था उन की संख्या पर्याप्त नहीं थी ।

श्री रिशांग किशिंग : इस बात को देखते हुए कि पहाड़ी क्षेत्र का फैलाव ८,००० वर्ग मील है जिस की जन संख्या २ लाख से भी अधिक है और इस बात को भी देखते हुए कि मनीपुर सरकार को इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्य में रुचि नहीं है अतः लोगों का भारत सरकार पर से विश्वास उठता जा रहा है क्या सरकार पर्याप्त उपाय करेगी जिस से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शेष कालावधि में पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाकों जैसी विकास योजनाओं की कार्यान्विति हो सके ?

श्री हाथी : वास्तव में, जनसंख्या के अनुसार, मनीपुर को २.५ ब्लाक मिलने चाहिएं, अर्थात् ग्रामीण जन संख्या का चौथाई । यह संख्या तो पूरी हो चुकी है । किन्तु कार्यान्विति को देखते हुए सरकार इस प्रश्न पर विचार कर सकती है ।

केन्द्रीय अफ़्रीकी संघ

*६७१. **श्री कासलीवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय अफ़्रीकी संघ की सरकार उस देश की आप्रवास सम्बन्धी विधि को कड़ा कर रही है जिस के फलस्वरूप एशिया के लोगों का आप्रवास और भी कम हो जायेगा; और

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय अफ्रीकी संघ के साथ इस विषय में बातचीत चलायेगी ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) रोडेशिया तथा न्यासालैंड संघ की सरकार ने संघीय संसद् में एक आप्रवास विधेयक पुरःस्थापित किया है जिस का प्रथम और द्वितीय वाचन हो चुका है । यद्यपि विधेयक में एशिया वालों के आप्रवास के बारे में कोई विशिष्ट निर्देश तो नहीं है गृहकार्य के फेडरल मंत्री, श्री जे० एम० ग्रीन फील्ड ने विधेयक के द्वितीय वाचन के समय हुए वाद-विवाद का उत्तर देते हुए ऐसा कहा था कि संघीय सरकार की नीति यह है कि अब और भारतीय अथवा एशियाई आप्रवास की अनुमति दी जाए, केवल कुछ एक अपवादों के साथ, जैसे कि अधयापक, धर्म प्रचारक तथा देश में पहले से आबाद व्यक्तियों की स्त्रियां ।

(ख) हां, श्रीमान् । सरकार का विचार इस विषय को फिर से सुलझाने का है ।

श्री कासलीवाल : क्या केन्द्रीय अफ्रीकी संघ की सरकार की यह घोषित नीति हो चुकी है कि अन्ततः एशियाई आप्रवास को पूर्णतया रोक दिया जाये और केवल यूरोपीय आप्रवासियों को ही देश में आने दिया जाये ?

श्री सादत अली खान : हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, किन्तु कुछ ऐसा ही जान पड़ता है ।

बाढ़ नियन्त्रण

*६५२ **श्री केलप्पन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बाढ़ों के नियंत्रण के लिए विभिन्न

राज्यों के लिए कितनी धन राशि नियत की गई है; और

(ख) अब तक उन राज्यों में से प्रत्येक ने कितना कितना धन ले लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). प्रथम पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्यों के लिए यद्यपि कोई विशेष धन राशि नियत नहीं की गई है फिर भी ऐसी योजनायें हैं जिन का उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत के लाभ के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण भी है । बाढ़ से रक्षा करने के लिए भी योजनायें हैं ।

श्री केलप्पन : क्या यह सच है कि पंच वर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी गयी जब कि बहुधा बाढ़ आया करती है ?

श्री हाथी : नहीं । वस्तुतः दामोदर घाटी योजना और हीराकुड योजना का प्रयोजन बाढ़ नियंत्रण है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी ऊंचे पैमाने पर बाढ़ नियंत्रण आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है क्यों कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ एक सामान्य कार्यक्रम सा बन गया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : इस की घोषणा उस वक्तव्य में पूर्व ही कर दी गई है जिसे मैं ने पटल पर रखा और सदन के सम्मुख पढ़ा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि १९४९ में किसी केन्द्रीय मंत्री ने डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र के बाढ़ पर नियंत्रण करने का सुझाव रखा था पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया था ?

श्री नन्दा : डिब्रूगढ़ के सम्बन्ध में कई अनुसन्धान किये गये । वैकल्पिक सुझावों की परीक्षा करनी पड़ी और अन्त में एक विशेष योजना को स्वीकार करना पड़ा ।

बर्मा में भारतीय

*६७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बर्मा में भारतीयों की संख्या लगभग कितनी है;

(ख) क्या अब भारतीयों को बर्मा में जा कर बसने की आज्ञा है; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) छः और सात लाख के बीच में हैं ।

(ख) अप्रवीण कार्य के लिए नवीन अप्रवासन का निषेध है पर प्रवीण कार्य के लिए अनुमति है ।

(ग) नौकर रखने वाले को प्रत्येक नौकर से अलग अलग नौकरी के ठेकेनामे भरवाने पड़ते हैं जिन में नौकरी की शर्तें दी होती हैं जिस की सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति हो चुकी हो ।

श्री के० सी० सोधिया : उन में से कितनों ने बर्मा की नागरिकता स्वीकार कर ली है और कितनों ने भारतीय नागरिकता ?

श्री सादत अली खान : यदि वे इस प्रकार बर्मा की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं तो वे भारतीय राष्ट्रीय नहीं रह जाते ।

विस्फोटक कारखाने

*६५५. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय कारखाने विस्फोटक निर्माण करते हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी उन में काम करते हैं; और

(ग) सरकार ने इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (भारत) लिमिटेड के साथ असैनिक

आवश्यकताओं के लिए एक विस्फोटक कारखाना खोलने का जो समझौता किया है उस का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार के विस्फोटक विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त विस्फोटक कारखानों की संख्या ९८४ है। ज़िला प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) आशा की जाती है कि इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (भारत) द्वारा एक विस्फोटक कारखाने की स्थापना वर्तमान स्थानीय एककों पर कोई उलटा प्रभाव नहीं डालेगी क्यों कि उस की योजना में देश में पूर्व से बनाई जाने वाली वस्तुओं का समावेश नहीं है ।

श्री एच० एम० मुकर्जी : क्या ऐसी कोई योजना है कि कुछ विशेष वस्तुओं के निर्माण का काम केवल भारतीय उत्पादन के लिए सुरक्षित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चूंकि इस नये एकक के निर्माण की योजना, देश में जो निर्माण किया जा रहा है, उस से भिन्न है, अतः किसी वस्तु के निर्माण को सुरक्षित करने का कोई विचार नहीं है ।

भारतीय रबर बोर्ड

*६७५. **प्रो० मैथ्यू** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय रबर बोर्ड को परामर्श दिया है कि वह अपने कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान न करे; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) भारतीय रबर बोर्ड के सभापति से सरकार सहमत है कि भारतीय रबर बोर्ड के थोड़े से कर्मचारियों के लिए संघ बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि इतने थोड़े से कर्मचारियों की असुविधाओं से बोर्ड अनभिज्ञ रहे यह सम्भव नहीं । फिर भी, यह बात कर्मचारियों पर निर्भर है कि यदि वे इच्छुक हैं तो संघ बना सकते हैं ।

प्रो० मैथ्यू : इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि अधिकारियों से व्यवहार करने का अवसर बहुत थोड़े से कर्मचारियों को मिलता है। यह आवश्यक है कि संगठित संघ के रूप में मान्यता प्रदान कर के उन को शक्तिशाली बनाया जाय और मंत्रालय द्वारा दिया गया परामर्श कर्मचारी संघ के सदस्यों के लिए असुविधाजनक प्रतीत होता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। उन्हें क्या सूचना चाहिए ?

प्रो० मैथ्यू : मैं पूछ रहा हूं कि क्या वह इस से सहमत हैं ।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कर्मचारियों को अपनी असुविधाओं का प्रतिकार करने के लिये क्या कोई वैकल्पिक उपबन्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विभिन्न श्रेणियों के सभी कर्मचारियों की संख्या २९ है। वह सब एक ही स्थान पर रह रहे हैं। सब लोगों को मिला कर जो संख्या है वह एक संघ के लिए पर्याप्त नहीं है, और उन को अपनी असुविधाओं को बताने की अनेक संभावनायें हैं। अतः ऐसा विचार है कि संघ की कोई आवश्यकता नहीं है । और यदि वे संघ बनाते हैं तो यह कोई अनुचित बात नहीं है, वे ऐसा कर सकते हैं ।

श्री पी० सी० बोस : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

लंका का क्वारन्टाइन (पत्तन निरोध) कार्यालय, पंडपम

*६७७ **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार पंडपम से अपना क्वारेन्टाइन कार्यालय हटाने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यालय से सरकार को कितनी आय होती है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) और (ख). श्री लंका के आवागमन में प्रर्याप्त कमी हो जाने के कारण भारत सरकार ने लंका सरकार से निवेदन किया है कि वह भारत में अपना क्वारेन्टाइन शिविर बन्द कर दे ।

(ग) कुछ नहीं ।

श्री जी० एल० चौधरी : यह क्वारेन्टाइन दफ्तर चले जाने के बाद इस की जो इमारतें आदि हैं क्या सरकार उन को खरीदने का विचार कर रही है ?

श्री सादत अली खान : वह भारत सरकार की इमारतें हैं और भारत सरकार की ही रहेंगी ।

पश्चिमी तिब्बत को सद्भावना मण्डल

*६७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बद्रीनाथ मन्दिर-प्रबन्धक समिति ने पश्चिमी तिब्बत के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण करने के लिए एक सद्भावना मण्डल भेजने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस मण्डल को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) सरकार को ऐसे किसी विचार का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि श्री बद्रीनाथ मन्दिर का तिब्बत के थोलिंग मठ से बहुत पुराना सांस्कृतिक सम्बन्ध है । इसलिए अगर उस मन्दिर की ओर से कोई सद्भावना मंडल वहां भेजा जाय तो क्या सरकार उस को पूरी तरह सहायता देगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इसमें यहां की सरकार के सहायता देने का सवाल नहीं है । इस में तो जो उधर की सरकार है उस के सहायता देने का सवाल उठ सकता है ।

अलाभदायक निष्क्राम्य सम्पत्ति

*६८१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदेश दिया है कि भविष्य म अलाभदायक निष्क्राम्य सम्पत्तियों का विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाया करे; और

(ख) यदि हां, तो किन सम्पत्तियों को अलाभदायक समझा जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) उन निष्क्राम्य सम्पत्तियों को अलाभदायक समझा जायेगा जिन की आय से उन की मरम्मत तथा व्यवस्था का व्यय बहुत अधिक है । विक्रय की स्वीकृति निष्क्राम्य सम्पत्ति

व्यवस्था अधिनियम के धारा १० (२) (७) के अन्तर्गत निष्क्राम्य सम्पत्ति महाअभिरक्षक द्वारा प्रदान की जायेगी यदि वह सन्तुष्ट है कि सम्पत्ति का विक्रय लाभदायक है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कभी निर्धारित किया गया है कि ऐसी सम्पत्तियों की सम्भाव्य संख्या क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : हां, श्रीमान् । हम ने गत वर्ष लगभग पांच हजार ऐसी सम्पत्तियों के विक्रय की अनुमति दी ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ऐसी अनार्थिक सम्पत्तियों की सम्पूर्ण संख्या चाहता हूं । क्या इस का निर्धारण पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं श्रीमान् । मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : नीलाम करने में विभाग के द्वारा निर्धारित धन राशि से कितना अधिक प्राप्त हुआ है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हम ऐसे आंकड़े नहीं रखते ।

हाथ का बना कागज़

*६८२. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २५ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति हाथ के बने कागज़ के उद्योग को प्रोत्साहन देने की है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक और किस रूप में;

(ग) १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में देश में विभिन्न प्रकार के हाथ के बने कागज़ का कितना कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) हाथ का बना कागज़ कहां कहां बनाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). पूछी गई सूचना पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३६]**

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्रीगण अपने-कार्यालयों में हाथ के बने कागज़ की सूखन सामग्री का प्रयोग करते हैं और कितना प्रयोग करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री बंसल : क्या सरकार की नीति यह है कि देश में हाथ से आर्ट-पेपर और अखबारी कागज़ बनाने को प्रोत्साहन दिया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आर्ट-पेपर के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता कि यह संभव है या नहीं । उस बारे में हम ने विचार नहीं किया है । अखबारी कागज़ के बारे में यह निश्चय ही एक असम्भावना है और उस विषय पर हम विचार करना नहीं चाहते ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को अन्य स्थान पर भेजना

*६८३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कुछ सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : विभिन्न स्थानों में प्राप्य कार्यालय स्थान का उन कार्यालयों की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर पर्यालोकन किया गया है जो सचिवालय के अखण्डात्मक

भाग नहीं हैं और जो शायद बाहर भेजे जा सकते हैं। एक विशेष पदाधिकारी, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, इन कार्यालयों के यहां से बाहर भेजने की सम्भावनाओं की खोज कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी तक ये प्रयास कोई अधिक सफल नहीं हुये हैं।

श्री के० पी० सिन्हा: अधिकारी अपना कार्य कब तक समाप्त कर देगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तविकता यह है कि जहां तक अधिकारी के कार्य का सम्बन्ध है, समस्या का परीक्षण करने के पश्चात् काम समाप्त करना उस के लिए कठिन नहीं है। परन्तु उस के प्रयत्न कहां तक सफल होंगे, इस का मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मत है कि अधिक कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजना कठिन होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि डाक और तार विभाग के कुछ कार्यालय यहां से मसूरी भेजने का निर्णय कर लिया गया है तथा क्या किसी और कार्यालय को भी वहां भेजने का विचार किया जा रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पोस्ट एंड टैलीग्राफ के दो दफ्तर, एक डाइरेक्टर जनरल पोस्ट एंड टैलीग्राफ, डेवेलपमेंट ब्रांच, और दूसरा डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल पोस्ट एंड टैलीग्राफ, ई० पी० सरकिल, दिल्ली से बाहर भेजे गये हैं। इन के अलावा किसी और के मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया है।

श्री साधन गुप्त : क्या इन कार्यालयों को बाहर भेजने के मामले में, केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर यह उत्तरदायित्व लेती है कि वह बाहर भेजे जाने में स्थानान्तरित होने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए रहने के स्थान का प्रबन्ध करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दिल्ली में भी, केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए रहने के स्थान का प्रबन्ध करने का कभी उत्तर-दायित्व नहीं लिया है। कार्यालयों के दिल्ली से बाहर जाते समय यह उत्तरदायित्व लेना बहुत ही कठिन है। सरकार ने रहने का स्थान का, क्वार्टर बना कर या कभी कभी मकानों का अधिग्रहण कर के, प्रबन्ध करने का प्रयत्न तो करती है, परन्तु सरकारी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे भी गैर सरकारी मकान प्राप्त करने के लिए अपने निजी साधनों का प्रयोग करें।

सरदार हुक्म सिंह उठे—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

डा० गायतोंडे

*६८४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल की सरकार ने लिस्बन में डा० गायतोंडे पर अभियोग चलाया है; और

(ख) उन पर क्या क्या मुख्य आरोप लगाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्यमंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). डा० गायतोंडे को फरवरी १९५४ में पकड़ा तथा लिस्बन भेजा गया था। एक दिन गैर सरकारी भोज-उत्सव में एक वक्ता के यह कहने पर कि गोआ पुर्तगाल है, उन्हों ने कहा "मैं विरोध करता हूं" और इस के लिए उन पर पुर्तगाल के बाह्य सुरक्षा का विरोध करने का आरोप लगाया गया। उन्हें तीन मास के कारावास का दण्ड दिया गया है, बारह वर्ष के लिए सारे राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और पांच वर्ष के लिए 'सुरक्षा देख भाल में रखा गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या डा० गायतोंडे को वे सारी सुविधायें प्राप्त हैं जो सभ्य देशों में राजनीतिक बन्दियों को दी जाती हैं ?

श्री सादत अली खान : इस का उत्तर पुर्तगाल देगा ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इस बारे में कुछ ज्ञान है ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या आज कल उन का स्वास्थ्य ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि डा० गायतोंडे जैसे गोआनी देश भक्तों तथा बहुत से अन्य व्यक्तियों को केवल उन की नागरिकता के अधिकारों से ही वंचित नहीं किया गया है अपितु उन्हें किसी भी प्रकार के किसी जीविका के बिना पुर्तगाल में छोड़ दिया गया है ? क्या सरकार को किसी ऐसे गैर-सरकारी अभिकरण का पता है जो इन देशभक्तों की जीविका का ध्यान रखेगा जिन्हों ने अपनी मातृभूमि की ओर से संघर्ष किया है ?

श्री सादत अली खान : हमें पता नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : डा० गायतोंडे के पकड़े जाने से अब तक कितने राजनीतिक बन्दियों को गोआ से पुर्तगल भेजा गया है ?

श्री सादत अली खान : यह इस से उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : यह कोई बात नहीं है कि यह इस से उत्पन्न होता या नहीं । यह कहो कि तुम नहीं जानते ।

श्री राम सुभग सिंह : प्रधान मंत्री कहते हैं....

अध्यक्ष महोदय : यह चाहे कुछ भी हो प्रश्न-काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

गोआ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ डा० राम सुभग सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ अगस्त १९५४ को भारतीय महा-वाणिज्यिक दूतावास के एक अधिकारी, श्री वाकर को उस समय जब कि वह भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रभारी श्री एस० के० एस० भटनागर के घर को जा रहा था, पुलिस के एक एजेन्ट ने रोक लिया था और उन से थाने चलने को कहा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में वह एजेन्ट एक और पुलिस एजेन्ट के साथ श्री भटनागर के मकान में जबरदस्ती घुस गया और उस ने उन को आपत्तिजनक भाषा में गालियां दीं तथा भयंकर परिणामों की धमकी दी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) तथा (ख). हां ।

(ग) ३१ अगस्त को पुर्तगाली दूतावास को एक कड़ा विरोध-पत्र दिया गया था जिस का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है । महा-वाणिज्यि दूतावास के विरोध-पत्र के उत्तर में उसे गोआ के पुर्तगाली प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि पुलिस के उस सिपाही को सरकारी आदेशों के विरुद्ध आचरण करने के कारण नौकरी से हटा दिया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या तथाकथित पुलिस सिपाहियों में, जिन्हों ने इन वाणिज्य-दूतिक अधिकारियों को गालियां दी थीं तथा अपमानित किया था, ब्राजील तथा स्पैन के वे

भाड़े के टट्टू भी सम्मिलित थे जो, पिछले दिनों ही एक विशेष पोत द्वारा गोआ आये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरी समझ में नहीं आता कि एक एजेन्ट दूसरों को कैसे सम्मिलित कर सकता है। एक व्यक्ति बहुत से व्यक्तियों को किस प्रकार सम्मिलित कर सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे दिखाई नहीं देता कि ब्राजील के लोग और अन्य लोग कैसे इस मामले में सामने आते हैं। इस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारतीय वाणिज्यदूतिक अधिकारियों को दी गई धमकियां, गालियां तथा अपमान गोआ में भारत का मान कम करने और उन से वहां पुर्तगाल के भय के राज्य के आगे घुटने टिकवाने की योजना का अंग हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह ऐसा अनुमान कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या इस दुर्घटना के बारे में हम ने पुर्तगाल सरकार को तुरन्त ही क्षमा याचना करने के लिए जोर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने अभी माननीय सदस्य को बताया था कि इस मामले में दो प्रकार की कार्यवाही की गई हैं। एक यह थी कि यहां पुर्तगाल के दूतावास को विरोध-पत्र दिया गया जिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी कार्यवाही यह थी कि, इस से भी पहले, गोआ में हमारे महा-वाणिज्य दूतावास ने विरोध-पत्र भेजा, और उन्हें यह उत्तर प्राप्त हुआ कि सिपाही को दण्ड दिया जायेगा, या उस के विरुद्ध अनु-शासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। यहां यह मामला समाप्त हो जाता है। माननीय सदस्य तथा सभा को यह भलीभांति विदित है कि गोआ में पुर्तगाली प्राधिकारियों से हमारे आजकल बहुत अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार को विदित है कि पुर्तगाली दूतावास के पुर्तगाली मंत्रियों तथा अन्य सदस्यों को दिल्ली में बिना किसी परेशानी के स्वतन्त्रता पूर्वक घूमने की और परामर्श तथा पथप्रदर्शन के लिए इंगलिस्तान तथा अमरीका के दूतावासों से प्रायः परामर्श करने की अनुमति है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार को इस का केवल पता ही नहीं है, अपितु वह इस की गारंटी भी देती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है कि पुर्तगाली दूतावास अधिकतर नियमित रूप से यहां के सब प्रकार के लोगों को जिन में संसत्सदस्य भी सम्मिलित हैं, ऐसा साहित्य भेजता है जो कभी कभी अवांछनीय प्रकार का होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता परन्तु मुझे हल्का सा ख्याल है कि ऐसा किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इस से कोई भी संसत्सदस्य बहकाये में आयेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाश वाणी

*६३७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री १९ फरवरी, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आकाश वाणी द्वारा मनाये जाने वाले वार्षिक समारोहों की सूची बनाई गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस सूची की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना तथा प्रासारण मंत्री (डा० केसकर): (क) तथा (ख). वार्षिक समारोहों की सूची

बनाई गई है । इस की एक प्रति पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३७] । धार्मिक वार्षिक समारोहों की तथा मसलमानों के उत्सवों की एक अनुपूरक सूचियां बनाई जा रही हैं; तथा सांस्कृतिक वार्षिक समारोहों की सूची में, संगीत उत्सवों के वार्षिक समारोह भी शामिल कर दिये जायेंगे ।

इन के साथ साथ, स्थानीय तथा प्रादेशिक रुचि के अन्य समारोह भी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सम्बन्धित स्थानीय भावनाओं तथा प्रसारण प्रभावोत्पादकता के अनुसार मनाये जा रहे हैं ।

श्रम बैंक

*६४१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री, २२ अप्रैल, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गांधीं स्मारक निधि के उन प्रयोगों की जांच की है जो कि मानव शक्ति के ठीक प्रकार तथा पूर्णरूप से उपयोग के लिए, श्रम बैंकों के बनाये जाने के रूप में किये गये थे; तथा

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं। गांधी स्मारक निधि ने अपने प्रयोगों को राजस्थान के भीलवाड़ा केन्द्र को छोड़कर और किसी भी केन्द्र में पूर्ण नहीं किया । भीलवाड़ा में भी केवल प्रारम्भिक कार्यवाही की गई ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

काली मिर्च

*६४८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि रूस काली-मिर्च का अधिक आयात करना चाहता था परन्तु भारत में अनुसूचित बैंकों ने आवश्यक विनिमय सुविधायें नहीं दीं; तथा

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात के परिणामस्वरूप काली मिर्च के निर्यात के लिए केवल अमरीका ही रह जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा ख). जी नहीं । रूस के साथ व्यापारिक भुगतान, उस देश के स्टेट बैंक द्वारा भारत के वाणिज्यिक बैंक, जो कि विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं, में रखे गये रुपयों में से ही होता है । अतः यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि भारत स्थित अनुसूचित बैंक रूस को आवश्यक विनिमय सुविधायें नहीं देते ।

गोमांस (निर्यात)

*६४९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत से कोरिया को गोमांस का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस के निर्यात पर रोक लगाने का विचार करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). ११ मई, १९५४ से इस के जहाज़ी प्रयोग को छोड़ कर गोमांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इस समय निर्यात की उन्हीं सार्थों को अनुमति है जिन से रोक लगाने से पहले समझौता हो चुका था ।

रूपनारायण नदी की नौवहन योग्यता

*६५३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या दामोदर घाटी योजना द्वारा रूपनारायण नदी के नौवहन योग्य बनने अथवा इस में अड़चन डालने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : टैकनिकल विशेषज्ञों की इस समय यह राय है कि दामोदर घाटी योजना द्वारा न तो रूपनारायण नदी को नौवहन योग्य बनाने में सहायता ही मिलेगी और न उस में कोई रुकावट ही पड़ेगी । परन्तु इस विषय पर आदर्श प्रयोग होने चाहिएं तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को इस कार्य को हस्तगत करने का सुझाव दिया गया है ।

वस्त्र स्वावलम्बन योजना

*६५४. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वस्त्र स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत, कितने व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं;

(ख) प्रत्येक को अनुदान में कितनी धन राशि दी गई; तथा

(ग) अभी तक इस का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३८]**

(ग) जनवरी-जून १९५३ से जनवरी-जून १९५४ तक इस योजना में १.७९ लाख रुपयों से ३.१६ लाख रुपये का उत्पादन मूल्य बढ़ा ।

विशाखापटनम पोत प्रांगण

*६५८. **श्री अजित सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विशाखापटनम के जहाज बनाये जाने के प्रांगण में बनने वाली दो नई बर्थों पर कुल कितना व्यय हुआ; तथा

(ख) उन का निर्माण कब तक समाप्त होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अनुमानित व्यय १७,००,१३२ रुपये है ।

(ख) (१) बर्थ ४, १९५४ के अन्त तक पूर्ण होगी ।

(२) बर्थ ५ बन चुकी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

*६५९. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत ने उस अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लिया था, जो जून १९५४ में बर्लिन में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी हिन्दुस्तानी फिल्में वहां भेजी गई थीं;

(ग) ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों पर जो फिल्में भेजी जाती हैं, उन का चुनाव कौन अधिकारी करता है; और

(घ) फिल्में किस आधार पर चुनी जाती हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) भारतवर्ष ने निम्नलिखित फिल्में भेजी थीं :—

लेख चित्र

(१) भारतवर्ष के लोक-नृत्य

(२) समृद्धि के लिए योजनायें

(३) भारत का संगीत (ढोल)

(४) तैरते खेत में किसान

(५) सौभाग्य देव—गणेश

पूरी फिल्में

(१) पम्पोश

(२) भगवान श्री कृष्ण चैतन्य

(ग) फिल्म संस्थाओं तथा केन्द्रीय फिल्म विवेचक बोर्ड के सुझावों के आधार पर प्रेषित फिल्मों में से चुन कर सरकार उन की सिफारिश करती है ।

(घ) देश के फिल्म विकास को बताने वाली, उपर्युक्त फिल्मों की ही सिफारिश की जाती है ।

चाय शिष्टमंडल

*६६०. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में एक शिष्टमंडल अमरीका तथा कनाडा में इस देश से चाय के निर्यात को बढ़ाने के तरीकों की जांच के लिए जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस शिष्ट मंडल के कौन कौन सदस्य हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) शिष्ट मंडल के सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ३९]**

होन्नेभरादू योजना

*६६५. **श्री एन० राचय्या** :
श्री वोडायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भेजा है कि होन्नेभरादू योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल कर ली जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

*६६६. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना किस समय तक तैयार हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : द्वितीय योजना के महत्वपूर्ण अंग, अर्थात् इस के स्वरूप, क्षेत्र, विस्तार तथा प्राथमिकता पर विचार हो रहा है । अतः यह बताना कि यह योजना कब तक तैयार हो जायेगी असामयिक है ।

कैल्शियम कारबाइड

*६६९. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कैल्शियम कारबाइड को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति सूची में से हटा कर अनुज्ञप्ति सूची में सम्मिलित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) जब कैल्शियम कारबाइड को अनुज्ञप्ति सूची में नहीं सम्मिलित किया था, उस समय उस का बाजार भाव क्या था, और उस का वर्तमान भाव क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). कैल्शियम कारबाइड के आयात का विनियमन करने के लिए तथा इस वस्तु का देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए १६ मार्च,

१९५४ से इस की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति से हटा दिया गया ।

(ग) विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०**]

महीन वस्त्र (निर्यात)

*६७६. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले छः मासों में महीन वस्त्र का निर्यात हुआ है;

(ख) ऐसे वस्त्र का पूर्ण परिमाण, तथा मूल्य क्या है; तथा

(ग) उन देशों के नाम जहां इस वस्त्र का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१**]

हाथ का तथा मिल का बना कागज

*६७९. **ठा० युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में हाथ से तथा मिल के बने कागज़ के उपभोग में प्रति वर्ष कितना अनुपात था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सूचना संग्रहीत की जा रही है तथा यथा-समय पटल पर रखी जायेगी ।

बर्मा में भारतीय भूमिधारियों को प्रतिकर

*६८०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २७ फरवरी, १९५४ के तारांकित प्रश्न **संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा सरकार ने बर्मा की राष्ट्रीय भूमि के भारतीय भूमिधारियों को प्रतिकर देने के प्रश्न पर अंतिम निश्चय किया है ?**

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां । बर्मा की संसद् ने अपने फरवरी-मार्च १९५४ के सत्र में बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम, १९५४ पारित किया है जिस के अनुसार भूमिधारियों को प्रतिकर की मात्रा निर्धारित कर दी गई है ।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

*६८५. { **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में काम की तैयारी करने के लिए सरकार ने जो गश्ती पत्र भेजा था, उस का उत्तर किन किन राज्यों ने दे दिया है और किन किन राज्यों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है; और

(ख) क्या ज़िला स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को तैयार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारें ज़िला योजना समितियों से परामर्श करती हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना आयोग के पत्र में दिये गये सुझावों पर विचार करते हुए, राज्यों को इस पर कार्यवाही करने का पर्याप्त समय नहीं मिला है ।

(ख) इस प्रकार का एक सुझाव इस पत्र में दिया गया था ।

विज्ञापन

*६८६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विज्ञापनों को, समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं में १९५३–५४ में छपाने के लिए कितनी धन राशि व्यय की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मंत्रालयों द्वारा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन शाखा के अलावा अन्य अभिकरणों के माध्यम से दिये गये विज्ञापनों की सूचना इकट्ठी की जा रही है । १९५३–५४ में रेलवे संस्था को छोड़कर भारत सरकार के प्रदर्शन विज्ञापनों को ही, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की विज्ञापन शाखा ने छापने के लिए भेजा था तथा ऐसे विज्ञापनों का पूर्ण भुगतान ७,७३,-३८५ रुपये चार आने था ।

कोक पकाने का संयंत्र

*६८७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सिन्द्री में कोक पकाने का नया संयंत्र स्थापित करने का कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और

(ख) संयंत्र चालू होने पर जो उपोत्पाद प्राप्त होंगे उन का उपयोग करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोक पकाने के संयंत्र का निर्माण पूर्ण हो चुका है । ३१ अगस्त, १९५४ से यह चालू कर दिया गया ।

(ख) कोक पकाने की गैस के अतिरिक्त अन्य सभी उपोत्पाद बेच दिये जायेंगे । कोक पकाने की गैस का उपयोग सिन्द्री में यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट (द्विगुण नमक) बनाने के लिये किया जायगा ।

चीन को गया इंजीनियरों का शिष्टमंडल

*६८८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री जेठालाल जोशी :
श्री एन० बी० चौधरी :
श्री बुचिकोटैय्या :
श्री सी० आर० चौधरी :
श्री राघवैय्या :
श्री वोडयार :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरों का वह शिष्टमंडल लौट आया है जो चीन में बाढ़-अवरोध-विधियों, बांध निर्माण तथा इंजीनियरिंग की परियोजनाओं का अध्ययन करने गया था ।

(ख) क्या शिष्टमंडल ने कोई-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रतिवेदन को पटल पर रखेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . शिष्टमंडल ने एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस की प्रतियां सब संसद्-सदस्यों को पहले ही दे दी गई हैं । पूर्णतर प्रतिवेदन तैयार हो रहा है, जिस की प्रतियां सब सदस्यों में परिचालित की जायेंगी ।

जूट तथा प्लाईवुड उद्योग

*६८९. **श्री अजित सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे विशेष क्षेत्र कौन से हैं जो जूट तथा प्लाईवुड उद्योग के लिये सरकार का ध्यान अधिक आकर्षित कर चुके हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जूट तथा प्लाईवुड

दोनों उद्योगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है जैसा कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में उल्लिखित है। विशेष विचार के लिये योजना में किसी विशेष क्षेत्र की सिफारिश नहीं की गई है।

भारतीय रूई संविदा

*६९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय रूई-संविदा का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया गया है जिस से हाल ही में नमूदार सट्टेबाज़ी की प्रवृत्तियों का दमन हो सके; और

(ख) यदि हां, तो वह संशोधन किस प्रकार का है जिस का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) . यह विषय वादा बाज़ार आयोग के विचाराधीन है।

चाय के नमूनों के परीक्षण

*६९१. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मार्च और अप्रैल १९५४ में कलकत्ते में स्थित केन्द्रीय चाय बोर्ड ने जलपाईगुडी, आसाम तथा दक्षिण भारत के विविध उद्यानों से एकत्र किये गये चाय के नमूनों के परीक्षण किये;

(ख) यदि हां, तो अपमिश्रित नमूनों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन परीक्षाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय चाय-बोर्ड द्वारा अपमिश्रित पाई गई चाय के विषय में सरकार द्वारा चलाये गये मुकदमों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक चाय बोर्ड ने स्थानीय नगर-पालिका के कर्मचारियों की सहायता से जलपाईगुड़ी तथा आसाम की चाय के ११ नमूने इकट्ठे किये। इन में से १० दूषित पाये गये। दक्षिण भारत से कोई नमूना नहीं लिया गया। जलपाईगुड़ी में पकड़े गये ६ मामलों में, नगरपालिका-स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने सम्बन्धित व्यक्तियों को दंड देने के लिये कदम उठाये हैं।

मान्य एकड़ का मूल्य

*६९२. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २६ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कृष्य भूमि के मान्य एकड़ के मूल्य-निर्धारण के बारे में कोई निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति एकड़ मूल्य क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख) . यह विषय विचाराधीन है।

अस्पृश्यता उन्मूलन

*६९३. **श्री जी० एल० चौधरी** :
श्री लोटन राम :
श्री एन० ए० बोरकर :

क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५४ से ३१ अगस्त, १९५४ तक आकाशवाणी के भिन्न भिन्न केन्द्रों से अस्पृश्यता उन्मूलन के सम्बन्ध में कितने निबंध वार्ताएं और गीत प्रसारित किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री केसकर) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर पटल पर रखी जायगी।

मनीपुर में विस्थापितों का पुनर्वास

*६९४. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में मंत्रीपुखरी की जमीन मध्यम श्रेणी के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु पृथक् रखी गई है;

(ख) यदि हां तो वहां मध्यम श्रेणी के कितने लोग बसाये जायेंगे; और

(ग) इस योजना का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):

(क) हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार मध्यम श्रेणी के विस्थापितों को वहां बसाने के लिये उन की वास्तविक संख्या का निश्चय कर रही है । उस के उपरान्त योजना का विस्तृत विवरण बनाया जायगा ।

सीमावर्ती घटनाएं

*६९५. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री जी० पी० सिन्हा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी और पश्चिमी पंजाब की भारत पाकिस्तानी सीमा पर जनवरी से अगस्त, १९५४ तक की अवधि में शासकीय रूप से कितनी सीमावर्ती घटनाओं का संवाद मिला है;

(ख) घटनाओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) उन घटनाओं की संख्या कितनी है जिन के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच मैत्रीपूर्वक समझौता हो गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जनवरी से अगस्त, १९५४ की अवधि में भारत सरकार को पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब की सीमा पर छः घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

(ख) एक घटना पाकिस्तानी राष्ट्रजन द्वारा ढोरों को उठा कर ले जाने और उस के पश्चात् आक्रान्ताओं द्वारा पंजाबः (भारत) की सशस्त्र पुलिस की ओर गोली चलाने से सम्बन्धित है ।

दो घटनायें पाकिस्तान सीमा के पुलिस द्वारा भारतीय भूप्रदेश से भारतीय राष्ट्रजनों के अपहरण से सम्बन्धित है । इन में से एक घटना में एक अपहृत भारतीय राष्ट्रजन मारा गया ।

तीन घटनाओं का सम्बन्ध पाकिस्तान सीमा पुलिस और पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा भारतीयों की भूमि हस्तगत करने के प्रयत्नों से था । एक घटना में पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय पुलिस पर गोली चलाई जिस के परिणामस्वरूप एक भारतीय सिपाही की मृत्यु हो गई और दो को चोटें आईं ।

(ग) इन सब मामलों में, उच्च पदाधिकारी स्थिति को अधिक खराब होने से बचाकर साधारण स्थिति उत्पन्न करने में सफल हो गये । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के पास घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न भेजा है । पाकिस्तान सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पारपत्र

*६९६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ जून, १९५४ के पश्चात् जबकि दृष्टांक के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लागू कर दिये गये थे, श्रीलंका में प्रवेश करने के लिये पारपत्र और दृष्टांक प्राप्त करने वाले भारतीयों की क्या संख्या है; और

(ख) उन व्यक्तियों की यदि कुछ हों तो क्या संख्या है जिन के पास वैध पारपत्र थे किन्तु उस अवधि के बीच जिन्हें दृष्टांक नहीं दिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) और (ख). १ जून से ३१ जुलाई, १९५४ तक १,४९८ भारतीय नागरिकों को भारत-श्रीलंका पारपत्र स्वीकार किये गये थे। इस अवधि के बीच जारी किये गये और अस्वीकृत हुए दृष्टांकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब भारत स्थित श्रीलंका के प्रतिनिधियों से ही इस का सम्बन्ध है।

श्रीमती मेनी गंगाराम

*६९७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ग्राहम टाउन की निवासिनी श्रीमती मेनी गंगाराम डरबन में अपने पति के साथ स्थायी रूप से रहने की अनुमति के लिये दक्षिण अफ्रीका की सरकार से लगभग दो वर्षों से अपील कर रही है। लेकिन उसे अपने पति के साथ रहने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार इस विषय में कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सरकार ने इस आशय के संवाद समाचार-पत्रों में देखे हैं।

(ख) श्रीमती गंगाराम दक्षिण अफ्रीका विधि के अन्तर्गत नटाल में निषिद्ध आप्रवासी है। उस ने संघ सरकार के पास सीधे ही अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किये जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रसंघ में पहले ही प्रश्न उठा रखा है, इस विषय में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

भारत में विदेशी सार्थ

२९६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस बात के देखने के लिये कि भारत में काम करने वाले विदेशी सार्थ जिन्हें 'इम्पीरियल केमीकल्स' जैसे विदेशों में बने उत्पादों के वितरण के एकाधिकार प्राप्त हैं, विदेशों में स्थित उन के अपने सार्थों द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची में किसी सीमा तक अधिक नाम लिख कर उन वस्तुओं को "इण्डिया लिमिटेड्स" के मार्फत यहां भारत में (१) अधिक विदेशी मुनाफा कमाने के लिये और (२) भारतीय व्यवहार में कम मुनाफा दिखाने के लिये बेचते हैं, यदि कोई कार्यवाही की जाती हैं, तो वह क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने यथोचित गम्भीरतापूर्वक इस समस्या के अध्ययन का प्रयत्न किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध सीमा शुल्क जांच प्राधिकारियों के प्रायः नित्य प्रति के कार्य से है। आयात वस्तुओं के सीमा शुल्क निर्धारण के लिये सीमाशुल्क प्राधिकारी वस्तु-सूची में अधिक नाम लिखाने और कम नाम लिखाने दोनों की ही जांच करते हैं, और जहां कहीं भी आवश्यक हो वे सम्बन्धित प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

पुर्जे जोड़ कर कारों और ट्रकों का निर्माण

२९७. **श्री वी० वी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कारों और ट्रकों के निर्माण तथा पुर्जे जोड़कर उन्हें बनाने की कीमत की जांच के लिये सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्माताओं और संकलनकर्ताओं द्वारा बताये गये लागत—आंकड़ों की जांच के लिये किन्हीं सरकारी लागत लेखापालों को नियत किया है; और

(ग) (१) पुर्जे जोड़कर कारों और ट्रकों के बनाने, और (२) उन के निर्माण करने पर भारत सरकार द्वारा कितना लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख)। प्रशुल्क आयोग द्वारा लागत लेखापालों के एक दल की सहायता से मोटर गाड़ियों के उत्पादन-मूल्य की जांच प्रारम्भ की गई थी; उद्योग की यह जाँच १९५३ में पूरी हुई थी।

(ग) चूंकि आटोमोबाइल्स (मोटरों) पर कीमत सम्बन्धी नियंत्रण नहीं है अतः सरकार द्वारा लाभ का अंश निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी यह समझा जाता है कि अभी उद्योग लाभांश देने की स्थिति में नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय रूई परामर्शदात्री समिति

२९८. **श्री वी० पी० नायर :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ७ जून, १९५४ को ब्राजील में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रूई परामर्शदात्री समिति के १३वें सम्पूर्ण सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व हुआ था;

(ख) उक्त सम्मेलन में और किन देशों का प्रतिनिधित्व हुआ था;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय रूई करार को कोई अंतिम रूप दिया गया था; और

(घ) प्रस्तावित करार के मामले में भारतीय रूई व्यापार ने यदि कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तो वह क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण जिस में अन्तर्राष्ट्रीय रूई परामर्शदात्री समिति के सदस्य सरकारों के नाम दिये गये हैं पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२**] सरकार को इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं है कि वास्तव में किन सदस्य सरकारों का इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व हुआ था।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) रूई व्यापार का यह दृष्टिकोण है कि अब कोई भी करार करने की आवश्यकता नहीं।

रंग

२९९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत में अनुमानतः प्रति वर्ष कितने मूल्य तथा कितनी मात्रा के रंगों की आवश्यकता पड़ती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अनुमान किया जाता है कि भारत में प्रति वर्ष १ करोड़ ३० लाख पौण्ड रंग की आवश्यकता पड़ती है, जिस का मूल्य लगभग १३ करोड़ रुपये है।

भारतीय रंग उद्योग

३००. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभी हाल में प्रशुल्क आयोग ने भारतीय रंग उद्योग की समस्याओं की पूछताछ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सूती कपड़ा मिलें

३०१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३ में सूती कपड़ा मिलों को कितना समग्र तथा विशुद्ध लाभ हुआ; और

(ख) विगत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

भारत-पश्चिमी जर्मन व्यापार करार

३०२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उद्योग तथा व्यापार पत्रिका,—मार्च, १९५४—के पृष्ठ ३४३ पर दिये गये नये भारत-पश्चिमी जर्मन व्यापार करार सम्बन्धी प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी जर्मन आयात के उदारीकरण के अन्तर्गत पश्चिमी जर्मनी में बनाई गई किन किन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जायेगी;

(ख) पश्चिमी जर्मन उत्पादों के लिए किन किन सार्थों की आयात अनुज्ञप्तियां जारी की गई हैं और उन के मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या किन्हीं पश्चिमी जर्मन निर्माण कर्ताओं ने अपने इन उत्पादों के लिए किन्हीं भारतीय सार्थों की एकमात्र वितरक नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन भारतीय अभिकरणों या सार्थों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) तक । उक्त प्रतिवेदन में भारत से पश्चिमी जर्मनी में होने वाले आयात के उदारीकरण की ओर निर्देश है, न कि पश्चिमी जर्मनी से भारत में होने वाले आयात की ओर । अतः यह सारा प्रश्न एक झूठी आशंका पर आधारित है ।

कांड मछली का तेल

३०३. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में प्रति वर्ष कुल कितना (१) कॉड मछली का तेल, और (२) शार्क मछली का तेल उत्पादित होता है;

(ख) इस तेल का (१) औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनार्थ, और (२) मनुष्यों के खाने के प्रयोजनार्थ कुल कितना उपभोग होता है;

(ग) औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनार्थ और मनुष्यों के खाने के प्रयोजनार्थ कुल कितने तेल की आवश्यकता है; और

(घ) १९५२-५३ और १९५३-५४ के दौरान, देशवार, कुल कितना आयात हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हमारे देश में कॉड मछली का तेल नहीं निकाला जाता । १९५२ से शार्क मछली का तेल निकाला जा रहा है, जिस के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	गैलन
१९५२	१९,८५७
१९५३	१४,४२५
१९५४ (जनवरी से जून तक)	१३,४५४

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं ।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि कॉड मछली के तेल की वर्तमान वार्षिक मांग ३०,००० गैलन प्रति वर्ष है—जिस में से चमड़ा रंगने के उद्योग को १०,००० गैलन दिया जाता है, और भेषज्ञ एवं औषधि का निर्माण करने वाले उद्योगों को शेष मात्रा दी जाती है । यदि कॉड मछली के तेल के बदले शॉर्क मछली के तेल को ही काम में लाया जाय तो लगभग २५,००० गैलन, प्रति वर्ष, इस की मांग होगी ।

(घ) शॉर्क मछली के तेल का तो भारत में आयात ही नहीं हुआ ।

१९५२-५३ और १९५३-५४ में कॉड मछली के तेल का आयात इस प्रकार था :—

देश	१९५२-५३	१९५३-५४
	गैलन	गैलन
१. ब्रिटेन	७,१००	१२,८००
२. सिंगापुर	६००	—
३. बेल्जियम	२००	—
४. नार्वे	४,०००	६,९००
५. जर्मनी (पश्चिमी)	—	७००
६. डेनमार्क	५००	—
७. इटली	—	६००

अशुद्ध जस्ता

३०४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अशुद्ध जस्ते के साफ करने का एक संयंत्र स्थापित करने का निश्चय किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो निश्चय को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) इस प्रश्न की परीक्षा करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट इस समय विचाराधीन है ।

गैट (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार)

३०५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते में भाग लेने वाले सभी पक्षों ने १९५२ के गैट द्वारा किये गये इन निर्णयों पर अपनी स्वीकृति दे दी है :—

(१) वस्तुओं की आयात सम्बन्धी अभिलिखित आवश्यकताओं के लिये एक प्रामाणिक रीतियों की संहिता का अपनाया जाना; तथा

(२) वाणिज्यिक औपचारिकताओं के लिये कुछ प्रामाणिक रीतियों का निर्धारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (१) वस्तुओं की आयात सम्बन्धी अभिलिखित आवश्यकताओं के लिये एक प्रामाणिक रीतियों को संहिता के अपनाये जाने; तथा

(२) वाणिज्यिक औपचारिकताओं के लिये कुछ प्रामाणिक रीतियों का निर्धारण करने की बात का अनुमोदन करते हुए प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते में भाग लेने वाले पक्षों ने संयुक्त रूप से कार्य करते हुए सदस्य-सरकारों से इन प्रामाणिकताओं को मानने की सिफारिश की है । इस प्रकार ये अभिलेख केवल सिफारिशों के रूप में ही थे तथा कोई औपचारिक स्वीकृति अथवा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं थी ।

सस्ती गृह-निर्माण योजना

३०६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री सस्ती गृह-निर्माण योजना के आधीन सरकारी व्यय पर बनाये गये उन मकानों तथा कुटीरों की, जिन का स्वामित्व प्रतिकर योजना के आधीन उन के अधिवासियों को दिया जायेगा, संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले):

पंजाब	२,४१३
उत्तर प्रदेश	३५०
दिल्ली	७,००४

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

३०७. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **र्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य को औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के आधीन मकान बनाने के लिये कितनी धनराशि अब तक स्वीकृत की गई है ?

(ख) क्या सरकार सभा पटल पर कोई ऐसा विवरण रखेगी जिस में वे विभिन्न प्रकार की योजनायें दिखाई गई हों जिन के लिये धन की स्वीकृति दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल राज्य में चार गृह-निर्माण योजनाओं के लिये २०, ६०,५०० रुपये राजकीय सहायता के रूप में तथा ७,१९,२५० रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

(ख) योजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

		वित्तीय सहायता रुपये	ऋण
(१) कदमतला (सरकारी योजना)	कदमतला हावड़ा की बहुमंजिली इमारतों में एक कमरे वाले १२८ मकान	२,८८,०००	२८८,०००
(२) क्रिस्टोफर रोड (सरकारी योजना)	कलकत्ता के पूर्वी भाग में पुल सं० ३ के निकट क्रिस्टोफर रोड इन्टोली पर बहुमंजिली इमारतों में एक कमरे वाले १०४ मकान	२,३४,०००	
(३) मानिकतला (सरकारी योजना)	कलकत्ता के न्यूकट केनाल के निकट धप्पा पेरेलल की बहुमंजिली इमारतों में एक कमरे वाले ५५६ मकान	१२,५१,०००	
(४) जे इंजिनियरिंग वर्कस लि० (निजी योजना)	ढ़कुरिया कलकत्ता को दुमंजिली इमारतों में एक कमरे वाले ४०० मकान	२,८७,५००	४,३१,२५०
		२०,६०,५००	७,१९,२५०

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

३०८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने वर्ष १९५१–५२ और १९५२–५३ में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने मकान बनवाये; तथा

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख)। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये निर्मित मकानों की संख्या तथा उन पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	निर्मित मकानों की संख्या	व्यय
१९५१–५२	२८,४८६	५,६१,७०,७२४
१९५२–५३	१८,३८६	४,५६,३४,७२०
योग	४६,८७२	१०,१८,०५,४४४

पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिये निर्मित मकानों के सम्बन्ध में ऐसी ही जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जूट

३०९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में भारत से पाकिस्तान को निर्यात की गई जूट के बनी वस्तुओं का कुल मूल्य क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ६.५५ लाख रुपये।

गट्ठरों की तलाशी

३१०. **श्री जो० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने जून १९५४ के महीने में कलकत्ता में फ़्रांसीसी हवाई जहाजों द्वारा लाये गये गट्ठरों की कोई तलाशी ली थी; तथा

(ख) जून १९५४ के महीने में इस प्रकार की कितनी तलाशी ली गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां : इन्डोचीन को जा रहे हवाई जहाजों की तलाशी ली गई थी।

(ख) तीन फ्रांसीसी असैनिक हवाई जहाजों की, जिन में से दो 'सगीटा' तथा एक 'टाई' द्वारा चलाया जा रहा था जून १९५४ में इसी प्रकार तलाशी ली गई थी।

नमूने और प्रतिरूप

३११. **श्री राम जी वर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्होंने बांध के नमूने और नहर निर्माण निदेशालय से विभिन्न बांधों और परियोजनाओं के सर्वेक्षणों और आपद्कालीन द्वारों के रेखा-चित्र तथा प्रतिरूप तैयार करने की प्रार्थना की थी; तथा

(ख) वह राज्य कौन से हैं जिन को मांगे गये नमूने और रेखा-चित्र अभी तक भेजे नहीं गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) बम्बई, राजस्थान और त्रावनकोर-कोचीन ।

(ख) कोई नहीं ।

जीप कारें

३१२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों से भारत में आयात की गई जीपों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : केवल जीपों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह भारत के विदेशी (जल, वायु और भूमि द्वारा) व्यापार और नौवहन के लेखे में पृथकत: अभिलिखित नहीं की जाती हैं ।

भारत-सोवियेत व्यापार समझौता

३१३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-सोवियेत व्यापार समझौते के अधीन रूस से भारत को भेजी गई वस्तुएं कौन सी हैं;

(ख) क्या कोई भी वस्तुयें अभी तक भारत पहुंच चुकी है; तथा

(ग) यदि हां, तो वह क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) । दिसम्बर, १९५३ से जून १९५४ तक सोवियेत रूस से भारत में आई वस्तुओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३]** सरकार को सोवियेत रूस से भारत को भेजी गई उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो भेजी तो जा चुकी हैं परन्तु अभी तक यहां पहुंची नहीं हैं कोई पता नहीं है ।

कोयला खानों के श्रमिक

३१४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उन के पाठशाला जाने योग्य बच्चों की लगभग संख्या क्या है;

(ग) खदान क्षेत्रों में इस समय चल रही पाठशालाओं की संख्या और उन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या; तथा

(घ) क्या सरकार इस क्षेत्र में आरम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की प्रस्थापना करती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग) । जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) आरम्भिक शिक्षा का उत्तर-दायित्व राज्य सरकार पर है ।

प्लास्टिक के कारखाने

३१५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल देश में प्लास्टिक के कितने कारखाने काम कर रहे हैं; तथा

(ख) इन कारखानों में क्या मुख्य वस्तुएं बनाई जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ६० प्लास्टिक के कारखाने नियमित रूप से काम कर रहे हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनबन्ध संख्या ४४]**

सूत

३१६. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हथकरघा से कपड़ा बुनने वालों को उन की आवश्यकताओं के अनुसार सूत मिलता रहे इस का सुनिश्चय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं;

(ख) देश में मिलों द्वारा तैयार किये गये सूत की कुल मात्रा क्या है;

(ग) मिलों द्वारा उपभोग की जाने वाली कुल मात्रा क्या है; तथा

(घ) हथकरघों द्वारा ली जाने वाली मात्रा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हथकरघों द्वारा कपड़ा बुनने वालों को पर्याप्त सूत का संभरण सुनिश्चित करने के लिये यह उपाय किये गये हैं :—

१. सूती वस्त्र (नियंत्रन) आदेश, १९४८ के खंड १२ (१) के अधीन, मिलों द्वारा हथकरघों, शक्ति चालित करघों और अन्य विविध उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिये सूत की कतिपय मात्रा का संभरण किया जाना अपेक्षित है ।

२. सामान्यतः सूत का उपभोग करने के लिये अतिरिक्त करघों के अधिष्ठापन की आज्ञा नहीं दी जाती है । परन्तु नई कताई मिलों के अधिष्ठापन अथवा चालू कताई मिलों के प्रसार की अनुमति है ।

३. कपड़ा बुनने वालों की सहकारी संस्थाओं द्वारा सहकारी कताई मिलों के अधिष्ठापन को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

४. प्रामाणित आयातकों तथा कपड़ा बुनने वालों की सहकारी संस्थाओं को वास्तविक उपभोक्ताओं के रूप में, ८० नम्बर या उस से अधिक नम्बर के सूत के आयात करने की अनुमति दी जा रही है ।

(ख)

१९५३ (जनवरी से दिसम्बर)	१५,०५० लाख पौंड
१९५४ (जनवरी से जून)	७,६२० लाख पौंड

(ग)

१९५३ (जनवरी से दिसम्बर)	११,३०० लाख पौंड
१९५४ (जनवरी से जून)	५,५७० लाख पौंड

(घ)

१९५३ (जनवरी से दिसम्बर)	२,६६० लाख पौंड (अनुमानित)
१९५४ (जनवरी से मई)	१,१८० लाख पौंड (अनुमानित)

स्याही बनाने वाली फैक्टरियां

३१७. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में स्याही बनाने वाली फ़ैक्टरियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन की अधिकतम उत्पादन क्षमता क्या है; तथा

(ग) उन में सेवायुक्त व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४४ फ़ैक्टरियां ।

(ख) इन की कुल स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता २ औंस की ३० ५२ लाख

दर्जन बोतलों के उत्पादन की है, परन्तु क्रियाकारी क्षमता ज्ञात नहीं है ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

नेपाल के साथ समझौता

३१८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेपाल के देहाती इलाकों में पीने के जल की सुविधायें देने और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में नेपाल और भारत की सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का क्या स्वरूप है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां ।

(ख) सन् १९५४–५५ से प्रारम्भ हो कर चार वर्षों तक नेपाल की सरकार को साहय्य अनुदान के रूप में पचास लाख रुपये दिये जायेंगे । यह धन राशि छोटे सिंचाई कार्यों और पीने के जल की सुविधाओं सम्बन्धी स्वीकृत परियोजनाओं के सम्पादन के लिये अपेक्षित सामानों, उपकरणों तथा आवश्यक कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये काम में लाई जायेगी ।

कोयला

३१९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ और १९५४ में प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा में कच्चा कोक और लकड़ी का कोयला खर्च किया गया; तथा

(ख) इन वर्षों में भारत में कोयले का कुल उत्पादन कितना हुआ ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सन् १९५३ और १९५४ (जुलाई तक) में विभिन्न राज्यों को दिये गये सौफ्ट कोक की अनुमानित मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४५]**

लकड़ी के कोयले सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) आंकड़े इस प्रकार हैं :

	टन
१९५३	३५,९७९,१६७
१९५४ (जुलाई तक)	२०,८९६,०८१

फालतू भण्डारों की नीलामी

३२०. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि फालतू भण्डारों की नीलामी द्वारा बिक्री करने के लिये नियुक्त किये गये नीलामी करने वालों को संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशक द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये सन् १९४८ से अप्रैल १९५४ के अन्त तक कितनी धन राशि दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । नीलामी द्वारा विक्रय से जो वास्तविक रक़म वसूल होती है, उस पर नीलामी करने वालों को दलाली दी जाती है ।

(ख) अपेक्षित वर्षों में नीलामी करने वालों को दलाली के रूप में इतनी रकम दी गई है :—

१९४८	२,०७,२०७	रुपये
१९४९	४,०१,११२	"
१९५०	५,४६,०४८	"
१९५१	२,७१,५०४	"
१९५२	९३,१७९	"
१९५३	१,२१,०२१	"
१९५४ (३०-४-५४ तक)	४७,२६६	"

इल्मेनाइट (निर्यात)

३२१. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **वाणिज्य** तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) उन देशों के क्या नाम ह, जिन को इल्मेनाइट और अन्य खनिज बालुकाओं का निर्यात किया जाता है ;

(ख) इन में से प्रत्येक देश में कितनी मात्रा निर्यात की जाती है ; तथा

(ग) निर्यात के लिये किस समवाय या समवायों को अनुज्ञप्ति दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । सन् १९५३-५४ में विभिन्न स्थानों को किया गया इल्मेनाइट प्रस्तर का निर्यात इस प्रकार था :—

देश	मात्रा टन
इंग्लैण्ड	६१,८४५
संयुक्त राज्य अमरीका	१,४१,२८४
नीदरलैंड्ज	१,१००
जापान	४,५००
बैल्जियम	२
योग	२,०८,७३१

मोनाज़ाइट रेत का कोई निर्यात नहीं हुआ ।

अन्य बालुकाओं का निर्यात जल मार्ग से किये गये व्यापार लेखे में पृथक् से नहीं दिखाया गया है ।

(ग) इल्मेनाइट प्रस्तर का निर्यात करने वाले मुख्य सार्थ ये है :—

(१) मैसर्स होपकिन्स एण्ड विलियम्स, (२) मैसर्स त्रावनकोर मिनरल्स कन्सर्न, और (३) मैसर्स एफ० ऐक्स० पेरीस एण्ड संस । ये तीनों सार्थ त्रावनकोर के हैं ।

मधुमक्खी पालन उद्योग

३२२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) उन केन्द्रों के क्या नाम हैं जहां मधुमक्खी पालन उद्योग चलाया जा रहा है ;

(ख) सन् १९५३-५४ में इस उद्योग पर कितना धन खर्च किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि १९५३-५४ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः १,१०,८४२ और २५,५०० रुपये दिये गये थे ।

"इंडिया न्यूज"

३२३. **श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ और १९५३ में लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा, साप्ताहिक पत्रिका 'इंडिया न्यूज' के काशन पर कितना व्यय किया गया

(ख) क्या विदेश स्थित कोई अन्य भारतीय दूतावास कोई साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जहां वे प्रकाशित की जाती हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क)

१९५२-५३	९७,५६० रुपये
१९५३-५४	९१,७२० रुपये

(ख) जी हां ।

(ग) बैल्जियम, ब्रह्मा, चीन, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, ईरान और स्विटजरलैंड ।

नारियल का तेल

३२४. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) साबुन बनाने, (२) प्रसाधन वस्तुयें और अन्य वस्तुयें तैयार करने, तथा (३) खाने के काम (टनों में) के लिये १९५२ और १९५३ में भारत में अनुमानतः कितनी मात्रा में नारियल के तेल का उपयोग किया गया है ; तथा

(ख) देश में देशी नारियल का तेल कितनी मात्रा में उपलब्ध था और इन दो वर्षों में उक्त कामों के लिये कितना काम में लाया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तेल तथा साबुन समिति ने १९४६ में यह रिपोर्ट दी थी।

साबुन उद्योग

प्रसाधन और घरेलू प्रयोग

खाने के काम के लिये

तथा अन्य कमों के लिये १५०,००० टन नारियल का तेल काम में लाया गया। यद्यपि कुल उपलब्धता लगभग ५/६ हजार टन कम है, किन्तु उस समय के पश्चात् से कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) लगभग १२०,००० टन प्रति वर्ष।

मिदनापुर में विकास खंड

३२५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में कोई नवीन विकास खण्ड प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ये विकास खण्ड स्थापित किये जायेंगे; तथा

(ग) इन प्रस्तावित खण्डों के मुख्य काम क्या होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग)। पश्चिमी बंगाल सरकार को हाल ही में १९५४-५५ के लिये १० राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास खण्ड आवंटित किये गये हैं। इन खण्डों में २ अक्तूबर, १९५४ से काम शुरू किया जाने को है। इन खण्डों को आवंटित किये जाने के लिये स्थानों का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उस के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम का ढांचा और इन खण्डों सम्बन्धी अनुमानित खर्च राष्ट्रीय विस्तार सेवा "तथा सामुदायिक कार्यक्रम विस्तार संगठन" पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

नारियल की गिरी और नारियल का तेल

३२६. **श्री अच्युतन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नारियल की गिरी और नारियल के तेल के सम्बन्ध में सरकार की आयात नीति क्या है ;

(ख) क्या १९५२ के २५ प्रतिशत वरीयता प्राप्त आयात शुल्क को १९५३ के द्वितीयार्ध में ५ प्रतिशत तक घटा दिया गया था ;

(ग) इस कमी कियें जाने के क्या कारण थे ; तथा

(घ) क्या केन्द्रीय नारियल समिति ने अप्रैल १९५४ में सिफारिश की थी कि आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा (नारियल की गिरी और नारियल के तेल दोनों को मिलाकर) ५०,००० टन से अधिक नहीं होगी, और क्या सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) चालू अनुज्ञापन की अवधि में आयात के सर्वोत्तम वर्ष के आधे भाग के १०० प्रतिशत अभ्यंश के आधार पर, स्थापित आयातकों द्वारा नारियल की गिरी और नारियल के तेल दोनों के आयात की अनुमति दी गई है । ये वस्तुयें वास्तविक उपभोक्ताओं और नवागन्तुकों के लिये भी खुली हैं । नारियल के लिये जारी की गई अनुज्ञप्तियों के दो-तिहाई अंकित मूल्य से अनधिक, नारियल के तेल के आयात के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है और शेष, नारियल की गिरी या नारियल के गुदे के आयात के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है । अनुज्ञप्ति के अंकित मूल्य का एक-तिहाई नारियल के तेल की बजाये ताड़ के तेल के आयात के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है ।

(ख) यह बात केवल नारियल की गिरी के सम्बन्ध में सच्ची है ।

(ग) उद्देश्य भारत में तेल पेरने के उद्योग के लाभार्थ नारियल के तेल की अपेक्षा नारियल की गिरी के आयात को प्रोत्साहन देना था । और प्रसंगवत् भारत में भक्षणीय तेलों के सामान्य मूल्य-स्तर को गिराना था ।

(घ) इन वस्तुओं के लिये आयात नीति बनाते समय केन्द्रीय नारियल समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार,
८ सितम्बर, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
मवार २३ अगस्त, १९५४	
। सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य। . . . . ९७—१०४

पटल पर रखे गये पत्र—

अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४

हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९

संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०

परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२

सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२

प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में:

विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२

वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२

सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२

"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२६

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्मेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—— स्तम्भ
विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ८५१–८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव——
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .
पटल पर रखे गये पत्र——
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प——स्वीकृत . ८५९——
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प——स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक——
खंडवार विचार——असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र ——
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन——
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००
सभा का कार्य——बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२——१००५
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . . १००६——१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
ीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १६५४ . .	१०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १६५४ . .	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १६५४	१०७०
य पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १६५४	१०७०
य प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १६५४	१०७०
य पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १६५४ . .	१०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १६५४ .	१०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १६५४ .	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १६५४ . . .	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७६—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

ुवार ११ सितम्बर, १९५४

पर रखे गये पत्र—	
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १६५२ के अधीन अधिसूचनायें .	११६६
सदस्य की दोष-सिद्धि	११६६—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त .	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य .	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक-सभा

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिए भाग १)

९-२० म० पू०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़): मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन

नारियल जटा बोर्ड

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३, की धारा ४ की

उपधारा (३) (ङ) के अनुसार यह सभा नारियल जटा बोर्ड के लिये, ऐसी रीति से जैसा माननीय अध्यक्ष निदेश दें अपने में से एक सदस्य को चुने।"

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष महोदय: नारियल जटा बोर्ड के लिये चुनाव के संबंध में नाम निर्देशन, नाम वापस लेने और निर्वाचन के लिये, निम्नलिखित तिथियां निश्चत की गई हैं :

नाम निर्देशन की तिथि	नाम वापस लेने की तिथि	निर्वाचन की तिथि
११-९-१९५४	१४-९-१९५४	१६-९-१९५४

बोर्ड के लिये नाम निर्देशन और नाम वापस लेने के आवेदन संसदीय सूचना कार्यालय में उक्त तिथियों पर १२ बजे दोपहर तक लिये जायेंगे।

निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और वह १०-३० म० पू० से १ म० प० तक संसद् भवन के समिति कमरा संख्या ६२ में किया जायेगा।

सभा का कार्य

बैठकों के समय में परिवर्तन

अध्वक्ष महोदय: अगला कार्य अर्थात् राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विशेष विवाह विधेयक पर विचार आरंभ करने से पूर्व

[अध्यक्ष महोदय]

सदन के कार्य को समायोजित करने के हेतु कार्य मंत्रणा समिति में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । उक्त समिति में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि सदन की बैठक का काल अधिक होना चाहिये, अन्यथा विधाय तथा सदन के अन्य कार्य पूरे नहीं हो सकते । इस संबंध में काफ़ी विचार विमर्श हुआ और तत्पश्चात इस विषय में सदन के माननीय नेता के विचार जानने के लिये उसे उठा रखा गया । चूंकि इसका संबंध सरकारी कार्य से है, अतः उन के विचार जानना आवश्यक था । सब की सहमति से अब मैं यह घोषित करता हूं कि परसों से सदन की बैठक ११ म० पू० से ५ म० प० तक होगी । बीच में मध्यान्ह भोजन के लिये बैठक स्थगित नहीं होगी । उसके लिये माननीय सदस्यों को अपना प्रबन्ध करना होगा ।

परन्तु इस संबंध में मैं आप लोगों का ध्यान हाउस आफ़ कामन्स के एक चलन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यदि आप लोग सहमत हों तो हम उसे अपना लें और यह प्रथा स्थगित कर दें कि १ म० प० से २–३० म० प० के बीच मत विभाजन का अवसर आने पर और आवश्यक गणपूर्ति के अभाव में मतगणना नहीं की जायेगी । ऐसी दशा में वह कार्य २–३० म० प० तक के लिये उठा रखा जायेगा ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा कि बैठक १२ बजे दोपहर से ६ बजे शाम तक हो ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी विचार किया गया था । हम ११ म० प० से ५ म० प० के लिये आग्रह नहीं करते हैं । सोचा यह गया था कि चूंकि अब दिन छोटे होते जा रहे हैं, अतः अच्छा यह होगा कि हम शाम को कुछ जल्दी खाली हो जायें ताकि सदस्यों को अन्य कामों के लिये अवसर मिल सके । यदि माननीय सदस्य यह चाहते हों कि सदन की बैठक का समय १२ बजे दोपहर से ६ बजे शाम तक रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (अन्तर्बाधायें) ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं यह चाहता हूं कि समय तो १२ बजे दोपहर से ६ बजे शाम तक रहे, परन्तु जिस प्रथा की आपने चर्चा की वह ५ म० प० से ६ म० प० के बीच के काल के लिये स्वीकार किया जाय ।

श्री गिडवानी (थाना) : १२ बजे दोपहर से ६ बजे शाम तक बैठना अच्छा रहेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मेरा निवेदन है, कि उक्त प्रथा को जिस की अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की, न अपनाया जाय क्योंकि मुख्य विचार तो बकाया काम को निबटाना है । इस प्रथा को अपनाने से वैसी ही कठिनाई पैदा होगी जो कि हम लोग गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर चर्चा के समय अनुभव करते हैं । इस से मुझे कोई लाभ नहीं प्रतीत होता ।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कुछ भ्रम प्रतीत होता है । इस का तात्पर्य केवल इतना ही है कि मत विभाजन का अवसर आने पर और आवश्यक गणपूर्ति के अभाव में १ म० प० से २–३० म० प० के बीच मत गणना नहीं की जायेगी । सदन अन्य कार्य करता रहेगा ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : दूसरे शब्दों में गणपूर्ति पर आपत्ति नहीं की जायेगी । (अन्तर्बाधायें

अध्यक्ष महोदय: मैं तो केवल एक ऐसी प्रथा बनाने का अनुरोध कर रहा हूं। हमारे संविधान में गणपूर्ति के संबंध में उपबन्ध है और मैं उस के विरुद्ध नहीं जाना चाहूंगा।

श्री मोरे के सुझाव में मुझे कोई सार नहीं प्रतीत होता। १ म० प० और २–३० म० प० के बीच तो मध्यान्ह भोजन का समय होता है, परन्तु ५ म० प० और ६ म० प० के बीच ऐसी कोई बात नहीं होती। (अन्तर्बाधायें)। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। तो फिर बैठक का क्या समय निश्चत किया जाय ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जैसा कि मैं ने आप से कल कहा था, कि मैं पूरी तौर से आप के और सदन के हाथों में हूं। चाहे कोई भी समय निश्चित किया जाय हम उसी के अनुसार काम करेंगे चाहे वह पूर्णरूपेण सुविधाजनक न भी हो। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, यानी इन दोनों समयों के बीच यदि ११ म० पू० से ५ म० प० का समय रहता है, तो सदन की बैठक कभी कभी ६ बजे तक भी हो सकती है। सदस्यों का बैठक के अन्त तक न बैठने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कार्य के समय माननीय सदस्यों का अनुपस्थित रहना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: तो यह मामला तय हो गया। सदन की बैठक ११ म० पू० से ५ म० प०, और यदि आवश्यकता हुई तो ६ म० प० तक होगी। मैं समझता हूं कि इस निश्चय से सब लोग सहमत हैं।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

खण्ड ४—(विशेष विवाह को सम्पन्न करने से सम्बन्धित शर्तें)—जारी

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विशेष विवाह विधेयक के खण्ड ४ पर अग्रेतर विचार करेगी। आयु सीमा अर्थात् खण्ड ४ का भाग (ग), से संबंधित संशोधन संख्या ६१ कल स्वीकृत हुआ था। इस के पश्चात् कुछ संशोधन परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किये गये। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या संशोधन संख्या ६१ के स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप ये बाद वाले संशोधन अवरुद्ध हो जाते हैं ?

संशोधन संख्या ६१ पर अन्य कई संशोधनों के साथ विचार किया गया था। उन अन्य संशोधनों में से कई में यह बात कही गई थी कि यदि वर या वधू की आयु १८ वर्ष या १५ वर्ष से ऊपर हो परन्तु २१ वर्ष से कम हो, तो संरक्षक की अनुमति ली जानी चाहिये। दूसरे शब्दों में उन का तात्पर्य विवाह की आयु को कम करना था। स्वीकृत संशोधन में अठारह या इक्कीस वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और इस में कोई अपवाद नहीं रखा गया है। ऐसी दशा में उक्त संशोधन, जो परिवर्तित रूप में रखे गये हैं, और श्री वेंकटारमन् द्वारा प्रस्तुत किये गये नये संशोधन अवरुद्ध हैं, और वे प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं।

अब हम खण्ड ४ पर अग्रेतर विचार करेंगे।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण): श्री नन्द लाल शर्मा ने कल हमारे संशोधन का विरोध किया था वस्तुतः वह और उनके दल के अन्य व्यक्ति इस विधेयक के प्रभाव क्षेत्र को बहुत सीमित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कम से कम भारतीय इस से लाभ उठा सकें। इस के विपरीत हम यह चाहते

[श्री बी० सी० दास]

हैं कि अधिक से अधिक भारतीय इस से लाभान्वित हों। यह विधान अत्यन्त उपयोगी एवं कल्याण कारी है। इस से विवाह सरल एवं सस्ते हो जायेंगे और इस कार्य के लिये लोगों पर कर्ज नहीं लदेगा। यह कोई अनिवार्य विधान नहीं है। परन्तु प्रत्येक भारतीय यदि वह चाहे तो, इस का लाभ उठा सकता है। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए]

यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय, तो इसके फलस्वरूप सभी प्रकार के लोग इस विधि के अधीन विवाह सम्पन्न कर सकेंगे। इस संशोधन का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण संकीर्ण है। वे अपने को प्रगतिशील मानते हैं। परन्तु उनके विचारों से इस की कोई झलक नहीं मिलती। हम इस विधेयक के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि इस से सभी प्रकार के लोग लाभ उठा सकें। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : निषिद्ध पीढ़ियों में विवाह की अनुमति देने वाली प्रथा को मान्यता प्रदान करने वाले इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं। पता नहीं हमारे साम्यवादी मित्र, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, इन प्रथाओं का समर्थन क्यों करते हैं। कदाचित् इस विषय में वे रूढ़िवादी या प्रतिक्रियावादी हैं। यदि हम देश के भिन्न भिन्न भागों में अनेक जातियों में प्रचलित सभी प्रथाओं को मान्यता प्रदान करते हैं, तो व्यवहारिक रूप में यह विधेयक निरर्थक सिद्ध होगा। यदि हम ऐसी प्रथाओं को स्वीकार करना चाहते हैं, तो अच्छा यह होगा कि हम इस खण्ड ४ (घ) को बिलकुल न रखें।

कई सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य इस विधि के अन्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाना है। यदि ऐसी बात है, तो सभी प्रतिबन्धों को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाय ? फिर खण्ड ४ की ही क्या आवश्यकता रह जाती है। एक बार जब हम ने यह निश्चय कर लिया है कि इस विधेयक के अधीन विवाह करने से पूर्व कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन होना चाहिये, तो फिर इस विषय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये, अन्यथा यह विधेयक निरर्थक होगा। मुझे आश्चर्य है कि कैसे मेरे माननीय मित्र डा० रामाराव ने यह सोच लिया कि संस्कार विधि से विवाह अनुष्ठान में सम्बन्धित पक्षों को अधिक व्यय करना पड़ता है। कुछ जाति के लोगों में व्यय अधिक अवश्य किया जाता है पर इस लिये नहीं कि ऐसे विवाहों में अधिक व्यय करना आवश्यक है। यह व्यय इस लिये होता है कि कुछ जातियों में जातीय प्रथानुसार बड़े बड़े वैवाहिक प्रतिभोज देने पड़ते हैं। यह लोग जातीय प्रथा को नष्ट नहीं कर सकते अतः यह लोग किस प्रकार अपने विवाहों को इस अधिनियम के अनुसार पंजीकृत करवा सकते हैं ? जातीय दबाव के कारण वह इतने लम्बे लम्बे खर्चे करते हैं। अतः जो लोग जातीय प्रथा के गुलाम हैं उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करवाने का कोई अधिकार नहीं है।

कुछ माननीय मित्रों का विचार है कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह होंगे तो सम्बन्धित पक्षों को कुछ व्यय न करना होगा--इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने पर क्या उनके प्रीतिभोज देने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकेगा--वह अपनी जातीय प्रथा के अनुसार प्रीतिभोज न दें यह दूस

बात है पर वह अपने मित्रों को दावतें अवश्य देंगे और सम्भव है साधारण संस्कार विधि विवाह में जो व्यय होता उससे अधिक व्यय इस प्रकार की दावतों में हो जाय। मैं अपने माननीय मित्र को बताऊंगा कि गुजरात में अनेक सामाजिक सुधार हो जाने के कारण संस्कार विधि से किये गये विवाहों में भी सम्बन्धित पक्षों को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता। अतः ऐसा कहने में कुछ तर्क नहीं है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न विवाहों में कुछ व्यय नहीं होगा।

मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों को ध्यान में रख कर सभा इन सभी संशोधनों को अस्वीकार करेगी और मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र रामा राव भी ध्यान देंगे कि इस सर्वजातीय अधिनियम में प्रथा को स्थान देने से कोई लाभ नहीं।

सभापति महोदय: मैं कहना चाहता हूं कि यह तीनों संशोधन लगभग एक ही हैं केवल शब्दों का कुछ हेरफेर है। मुझे बताया गया है कि इस विषय पर पर्याप्त वादविवाद हो चुका है और हमें अधिक समय व्यय नहीं करना है क्योंकि अभी बड़े महत्वपूर्ण खण्ड आने वाले हैं। मैं केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि वादविवाद पर स्वेच्छा से किया गया नियंत्रण किसी कृत्रिम उपाय की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): श्रीमान्, खण्ड १५ में प्रथानुसार स्वीकृत विवाहों के पंजीयन का भी उपबन्ध है अतः यह तर्क पुनः उपस्थित होगा। अतः यदि इसी समय उसके बारे में तर्क की अनुमति आप दें तो अधिक उचित होगा।

सभापति महोदय: किन्तु यह भी एक छोटी सी बात है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यदि आप उस समय तर्कों की अनमति दें तो हम इस समय शान्त रहेंगे। पर अच्छा हो यदि आप अभी तर्क सुन लें। यदि आप इस मार्ग का अनुसरण करने जा रहे हैं तो हम उन संशोधनों पर भाषण देने का विचार करते हैं। मेरा संशोधन खण्ड १५ में है उसकी संख्या २६४ है। मैं खण्ड १५ में से उन शब्दों को निकालना चाहता हूं।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): खण्ड ४ और खण्ड १५ के प्रश्न बिल्कुल एक ही प्रकार के नहीं हैं। जहां तक इस विशेष परिस्थिति का प्रश्न है यदि खण्ड ४ में निर्धारित नियमों में आप कोई प्रथासम्बन्धी परिवर्तन लाना हैं तो वह खण्ड १५ के उपबन्धों से नितान्त भिन्न होगा। खण्ड १५ में प्रश्न यह है कि जब एक विवाह पंजीकृत हो जाता है तो आप प्रथा की अनुमति दे सकते हैं पर जहां तक उस विवाह का सम्बन्ध है जो पहली बार इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पन्न किया जाने वाला है, खण्ड ४ के अन्तर्गत प्रश्न यह है कि आप किसी प्रथानुकूल विवाह को माने या न मानें। अतः दोनों प्रश्न भिन्न हैं।

सभापति महोदय: इस अवस्था में इस विशेष संशोधन पर वाद विवाद भी अपेक्षा खण्ड १५ मुझे अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: तब, क्या आप उस समय वाद विवाद की अनुमति देने का विचार करते हैं?

सभापति महोदय: अवश्य, यदि सदस्य चाहेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: तो क्या मैं समझ लूं कि आप खण्ड १५ पर वाद-विवाद की अनुमति देंगे?

सभापति महोदय : हां, खण्ड १५, एक अन्य विषय है ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि डा० रामा राव ने इस सभा में ऐसा संशोधन उपस्थित किया जो बिलकुल भी संगत, प्रगतिशील और देश की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है । देश में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहती है पर संसार की वर्तमान प्रवृति के अनुसार विवाहों की एकरूपता हेतु एक विधान को पारित करने के प्रश्न पर वह व्यर्थ की प्राचीन और भद्दी प्रथाओं को भी स्थान देने के पक्ष में हैं । यदि डा० रामा राव यह व्यवस्था केवल १० या ५ वर्ष के लिये चाहते तो एक दूसरी बात थी पर वह तो इसे सदैव के लिये चाहते हैं । संसार के सभी लोग रक्त सम्बन्ध के कुछ सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं । डा० रामा राव का यह दृष्टिकोण कि यदि संसार के किसी भाग के भाई बहन का या पिता पुत्री का विवाह हो सकता है तो इसे भी स्वीकार किया जाय मूर्खता से भरी बात है । इस आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त संसार के किसी व्यक्ति को इस संशोधन का समर्थन नहीं करना चाहिए ; इस का यथा शक्ति विरोध करना चाहिये । हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में हिन्दु, मुसलमान, ईसाई और पारसी विधियों के होते हुए भी हमारा समाज ऐसा हो कि देश के किसी भाग के किसी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म और समाज का होने पर भी देश के किसी भाग में विवाह करने का पर्याप्त वैधानिक समर्थन प्राप्त हो । यह हमारा आदर्श है अतः हमें ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे प्रतिगामी संशोधन ऐसे सुन्दर विधान के भाग न बनाये जावें । मैं इस संशोधन के समर्थन करने का कोई कारण नहीं समझता । मुझे आशा है कि डा० रामा राव अपना संशोधन लौटा लेंगे ।

श्री बिस्वास : सभा के अधिकांश लोगों ने बहुत कुछ कहा है पर मैं बहुत थोड़ा कहना चाहता हूं । मैं एक भ्रान्त धारणा का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । कहा जाता है कि विधेयक का उद्देश्य विवाह को सरल बनाना है । हम धर्म का बन्धन हटा देना चाहते हैं पर फिर भी विभिन्न धर्म वाले लोगों के विवाह कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत होंगे । पर वास्तव में यदि आप विवाह को सरल बनाना चाहते हैं तो आप सभी प्रतिबन्धों को हटा दें और विरोधी लिंगों के कोई दो व्यक्ति जब चाहें तब, किन्हीं भी दशा और परिस्थितियों में विवाह करें तभी यह विधि आदेश होगी ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : हां, वही आदेश विधि होगी ।

श्री बिस्वास : किन्तु फिर भी वह पूर्ण रूप से जंगली जीवन नहीं होगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : आप उसे जंगली जीवन क्यों कहते हैं ?

श्री बिस्वास : क्योंकि मैं वही सोचता हूं ।

सभापति महोदय : जंगली जीवन का अर्थ अनिवार्यतः बुरा जीवन नहीं होता ।

श्री बिस्वास : कभी कभी जंगल के निवासी यहां के निवासियों की अपेक्षा अच्छे होते हैं । जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, यह विभिन्न धर्म के व्यक्तियों के बीच विवाह पर विचार नहीं करता । प्रथा की व्यवस्था का अर्थ दोनों पक्षों पर लागू होने वाली प्रथा से है । कल्पना कीजिए विभिन्न धर्मों के दो व्यक्ति हैं, वर्जित पीढ़ियों की सूची एक धर्म में विशेष प्रकार निर्धारित की जाती है और दूसरे में दूसरे प्रकार से निर्धारित की जाती है । तब क्या किया जायेगा ? अतः इस संशोधन के अनुसार विवाह उन दो

व्यक्तियों में हो सकेगा जो उसी धर्म के हों। यदि ऐसा है, तो उन लोगों को अपने व्यक्तिगत विधि के अनुसार विवाह करना संभव होगा क्योंकि यदि ऐसी प्रथा है, तो वह प्रथा उस समाज और उन लोगों में [विधि प्रभाव रखता है। अतः हम विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। हम तो साधारण रूप से एक ऐसी विधि का उपबन्ध करने जा रहे हैं जो सभी लोगों पर लागू होगा। देश के किसी एक भाग पर दूसरे भाग की प्रथा को बलात् लागू करना कहां तक समुचित है ? यदि हमें इस प्रथा का प्रबन्ध करना है तो हमें देश की सभी प्रथाओं का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यही बात हिन्दू विवाह और सम्बन्ध विच्छेद विधेयक के साथ नहीं की जा रही है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह बात यहां पर संगत नहीं है।

श्री बिस्वास : यदि मेरे माननीय मित्र ने विधेयक को पढ़ लिया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब विधेयक संयुक्त समिति से आयेगा और सभा के समक्ष रखा जायेगा तो वह देखेंगे कि विधेयक में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुमत इस संशोधन के विरोध में है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि उन संशोधनों की संख्या ११३, ११४ और ४२५ है। वे लगभग एक से हैं। मैं संशोधन संख्या ११३ को सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : इस संशोधन दिये गये निर्णय से अन्य दो संशोधन अवरुद्ध हो जाते हैं। खण्ड ४ के उपखण्ड (ङ) के कुछ संशोधन हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन का प्रस्ताव करना चाहते हैं।

(डा० रामा राव, श्री साधन गुप्ता और श्री नन्द लाल शर्मा द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये।)

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री साधन गुप्त : मेरे संशोधन के उद्देश्य का सम्बन्ध विधेयक से सम्बन्धित क्षेत्रों से है। भारत के किसी भाग में रहने वाला कोई आदमी किसी दूसरे भाग में जा कर एक निश्चित अवधि तक निवास कर के उस विशेष स्थान पर विवाह कर सकता है। मेरे विचार से यह सिद्धांत होना चाहिये कि उन क्षेत्रों में जहां यह विधेयक लागू नहीं होता यदि कोई व्यक्ति जो वहां का निवासी नहीं है चाहे तो उसे भी उस विधेयक की पूरी सुविधायें प्रदान की जायें और उसे विवाह करने की सुविधा दी जाय। दूसरे, भारत के उन क्षेत्रों में जहां यह विधेयक लागू नहीं होता वहां केवल भारत के नागरिकों तक ही विवाह का अधिकार सीमित रखना असंगत है जब के अन्य क्षेत्रों में विवाह के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः मेरा संशोधन है कि दोनों में से एक पक्ष भारतीय नागरिक हो और जो कुछ भी प्रतिबन्ध लगाया जावे वह केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू हो जो भारत की सीमा के बाहर के क्षेत्र हैं। विधेयक में व्यवस्था है कि विवाह का अधिकार वहीं होगा जहां दोनों पक्ष भारत के नागरिक हों पर जहां एक पक्ष भारत का नागरिक नहीं है वहां तभी विवाह हो सकता है जब वह जो भारत का नागरिक नहीं है उसे उसकी स्थानीय विधि के अनुसार इस विवाह में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मेरे विचार से यह तर्क संगत नहीं है। दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होगा

[श्री साधन गुप्त]

यह विधेयक को अनावश्यक रूप से संकुचित बनाना है। विदेशी क्षेत्र में आप वहां की विधि के अनुसार विवाह कर सकते हैं। हमारी विधि अवश्य ही एक अधिक उत्तम विधि है। यदि इंगलैंड में आप इंगलिश विधि के अनुसार विवाह करते हैं तो विवाह विच्छेद के अधिकार जो आप को वहां प्राप्त होंगे वह इन अधिकारों से भिन्न होंगे जिन्हें आप निर्मित करने जा रहे हैं। यहां तो सह सम्मति से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है पर वहां पर आप को एक सह प्रतिवादी की खोज करनी पड़ेगी।

हम चाहते हैं कि इस विधेयक में विवाह विच्छेद के सीधे सादे ढंग का उपबन्ध किया जाय। अतः यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि यदि स्त्री या पुरुषमें से कोई भारत का नागरिक हो तो विदेश में भी विवाह हो सके परन्तु इस में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उस देश की विधि, नागरिक न होने के कारण इसे रोकती न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन की सिफारिश करता हूं।

डा० रामा राव : मैं अपने संशोधन संख्या ११५ के द्वारा "दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक हों तथा कथित स्थान के रहने वाले हों" के स्थान पर "दोनों व्यक्तियों में से कोई या दोनों भारत के नागरिक हों" रखना चाहता हूं। मेरे संशोधन में "दोनों" शब्द अतिरिक्त है, परन्तु मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है। यदि विदेश में रहने वाले दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आप उन्हें इस विधि से लाभ क्यों नहीं उठाने देते। जबकि हमारे नागरिक ऐसी परिस्थितियों में किसी विदेशी विधि के अधीन विवाह कर सकते हैं तो हमें उनको ऐसी सुविधायें अवश्य देनी चाहियें कि वे हमारी भारतीय विधि के अधीन विवाह कर सकें। अतः मैं विधि मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर उदार दृष्टि से विचार करें। अतः मैं सभा से इस संशोधन की सिफ़ारिश करता हूं।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि यह अवरुद्ध हो जाता है। यदि खण्ड १ के उपखण्ड (२) को पढ़ें तो आप को विदित होगा कि यह अधिनियम "जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत भर में लागू होता है, और उन प्रदेशों के, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, रहने वाले उन भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है जो कथित क्षेत्र से बाहर हैं"। यदि शब्द हैं "भारतीय नागरिक", तो मैं नहीं समझता कि यह संशोधन यहां स्वीकार्य होगा। जब तक कि दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक न हों, मेरा ख्याल है कि इस खण्ड के अधीन विवाह न हो सकेगा। क्योंकि हम खण्ड १ पारित कर चुके हैं इसलिये मेरा ख्याल है कि यहां यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

सभापति महोदय : खण्ड १ पारित नहीं हुआ है।

श्री बोगावत : यद्यपि यह पारित नहीं हुआ है तो भी मेरा ख्याल है कि यदि यह संशोधन स्वीकृत हो जाता है, तो हमें खण्ड १ के उपखण्ड (२) में भी संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस बात के बहुत इच्छुक हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के बीच विवाह हों, इसलिये मेरा ख्याल है कि उप-खण्ड को अपने वर्त्तमान रूप में रहने दिया जाय। अतः मैं संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नंद लाल शर्मा : मेरा संशोधन सूची ८ में संख्या ३४२ वां है। यह खण्ड

१ के उप-संख्या (२) की लगभग पुनरावृत्ति है। श्री बोगावत के तर्क के बारे में मुझे आश्चर्य है कि वह विवाह करने वाले व्यक्तियों में से एक के विरुद्ध किस प्रकार तर्क करते हैं। यदि दोनों व्यक्तियों में से कोई भारतीय नागरिक है तो यह अधिनियम उस पर लागू होना चाहिये। अर्थात् यह अधिनियम उन भारतीय नागरिकों पर लागू होगा जो यहां से चले गये हैं और किसी अन्य देश में रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि विदेश में रहने वाला कोई भारतीय लड़का उस देश की लड़की से विवाह करना चाहे, या विदेश में रहने वाली भारतीय लड़की उस देश के लड़के से विवाह करना चाहे, तो हमें चाहिये कि हम उस दम्पति पर उस देश की विधि लागू न होने दें। वह हमारी विधि की कमज़ोरी तथा हमारे नागरिकों के प्रति अन्याय माना जायेगा।

अतः मेरा ख्याल है कि माननीय विधि मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

डा० जयसूर्य : 'दोनों में से कोई पक्ष भारतीय नागरिक हो' कह देने से अंतराष्ट्रीय विधि सम्बन्धी अनेक जटिल समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। अतः हमें इसे यहां ही छोड़ देना चाहिये। इन बारीकियों पर बाद में विचार किया जा सकेगा।

श्री बिस्वास: श्रीमान्, मैं यह बात सर्वथा स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के नागरिक तथा किसी अन्य देश के रहने वाले व्यक्ति के बीच विवाह होने को रोकने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हमें इस विधेयक में इस के लिये कोई उपबन्ध करना चाहिये। इस विधेयक का क्षेत्राधिकार सीमित है। यदि हम कोई ऐसा उपबन्ध पुरःस्थापित करते हैं जैसे कि श्री साधन गुप्त ने सुझाव दिया है, तो उस से उद्देश्य पूर्ण न होगा। विदेशी विवाहों का प्रश्न इतना सुलभ नहीं है जितना कि मेरे माननीय मित्र समझते हैं। यदि वह विदेशी विवाह के उन अधिनियमों को देखें जो विभिन्न देशों में कार्यान्वित हैं, तभी उन को ज्ञान होगा कि वहां कितने विस्तृत उपबन्ध किये गये हैं। इसमें फिर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भी प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का भी ध्यान रखना है। मैं पहिले ही बता चुका हूं कि---मुझे ध्यान नहीं कि यह इस सभा में हुआ था या दूसरी सभा में---हम एक विदेशी विवाह अधिनियम पर, जो अधिकतर इंगलिस्तान के अधिनियम जैसा है, विचार कर रहे हैं। हमने अभी विभिन्न देशों के विभिन्न अधिनियमों पर विचार नहीं किया है। हमने केवल अंग्रेजी विदेशी विवाह अधिनियम पर विचार किया है और हमारा विचार है कि इस देश में भी एक वैसा ही अधिनियम बनाया जाय। परन्तु वह अवश्य ही इस विशेष प्रश्न के संबंध में एक भिन्न विधि होनी चाहिये। और वह यहां केवल अप्रत्यक्ष रूप से, सुझाये गये शब्दों को स्थानापन्न कर के नहीं की जा सकती।

खण्ड १ में छोटे नाम में इस विधेयक का उद्देश्य सर्वथा स्पष्ट कर दिया गया है। यह भारत की प्रादेशिक विधि है। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे उन की नागरिकता कुछ भी हो यदि वे भारत में रहते हैं तो वे अपना विवाह भारत में कर सकते हैं। भारत की सीमा से बाहर जो व्यक्ति हैं उन पर उप-खण्ड (२) लागू होगा। अतः यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति भारत में रहने वाले तथा भारत के नागरिक हों। अन्यथा, हर प्रकार के कठिन प्रश्न उत्पन्न होंगे। हम एक भारत के नागरिक तथा उस व्यक्ति के बीच जो भारत का नागरिक न हो, विवाह को नहीं रोकेंगे। परन्तु उस का उपबन्ध एक भिन्न अधिनियम में करना होगा जो कि हमारे विचाराधीन है। अतः मैं इन में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

[श्री बिस्वास]

मेरे माननीय मित्र, श्री नंदलाल शर्मा जो यहां से चले गये हैं, जम्मू तथा काश्मीर के बारे में बहुत चिन्तित हैं। मैं पहिले बता चुका हूं और मैं फिर यहां मैं माननीय सदस्यों को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि वे एकीकरण आदेश को, जिसके 'अधीन जम्मू तथा काश्मीर भारत में मिलाये गये थे, देखें तो उन्हें विदित होगा कि वहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूची २ तथा ३ में सम्मिलित बातों के बारे में कोई एकीकरण नहीं है। अतः हम विवाहों के संबंध में विधानीय क्षेत्राधिकार लेने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू तथा काश्मीर के एकीकरण की शर्तों के अनुसार वह राज्य हमारे किसी विधानीय क्षेत्राधिकार में नहीं है, परन्तु यदि भारतीय नागरिक—वे दोनों—कुछ समय के लिये जम्मू तथा काश्मीर में रहें, तो वे इस अधिनियम के अधीन विवाह कर सकेंगे, क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं।

श्री साधन गुप्त: स्पष्टीकरण एक प्रश्न पर : क्या जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक भारतीय नागरिक नहीं हैं ?

श्री बिस्वास: वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। यदि भारतीय नागिरिक जम्मू तथा काश्मीर में हों तो वे इस अधिनियम के अधीन विवाह कर सकेंगे, काश्मीर के लोग नहीं क्योंकि वे इस प्रकार के विवाह के लिये भारत के नागरिक नहीं हैं और इसका कारण यह है कि सूची २ तथा ३ को पूर्णतया पृथक कर दिया गया है।

श्री साधन गुप्त: क्या विधि मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि विचाराधीन विदेश विवाह अधिनियम में भारतीय को केवल विदेश में विवाह करने का ही नहीं अपुति विवाह-विच्छेद करने की भी अनुमति होगी, और यह यथासमय प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री बिस्वास: मेरा आश्वासन केवल यह है कि यह इस विषय पर एक भिन्न विधेयक होगा। विधेयक में क्या होगा—मैं उसका आश्वासन नहीं दे सकता। क्या उन्हें विवाह-विच्छेद के ऐसे ही अधिकार दिये जायेंगे जैसे कि इस विधेयक में दिये गये हैं, आदि—ये अन्य प्रश्न हैं जिन पर उचित ध्यान देना होगा। एक विधेयक हमारे विचाराधीन है—यह बात नहीं है कि विधेयक तैयार है या यह बना लिया गया है। यह भिन्न मामला है और इस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है। एक ऐसा विधेयक हमारे विचाराधीन है। मैं नहीं कह सकता कि हम इसे यहां कब प्रस्तुत कर सकेंगे।

(सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११५ मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ और इस के परिणामस्वरूप संशोधन संख्या ३४२ तथा ४२६ अवरुद्ध हो गये।

पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया।)

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मेरा सविनय निवेदन यह है। विवाह शून्य हो जाने के परिणामों का उल्लेख करना अति दुखदाई है। परिणाम यह होगा। यदि कोई लड़की विवाह करती है और बाद में विवाह-विच्छेद हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि वह फिर दुबारा विवाह कर सकेगी। क्योंकि सर्वप्रथम तो उस के विरुद्ध यह विचार होगा कि वह ऐसी लड़की है जिस का विवाह हो चुका है और दूसरा कारण यह होगा कि विशुद्धता का प्रश्न उत्पन्न होगा। परिणाम, लड़की तथा लड़का दोनों के लिये हानिकारक होंगे। हजारों वर्ष हो गये परन्तु हम ने कोई ऐसी विधि नहीं अपनाई है जिस से विवाह स्वयं

ही शून्य हो जाय । यहां तक कि शारदा अधिनियम के अधीन भी जब कि लड़का या लड़की आवश्यक अवस्था की न होने पर भी उन का विवाह हुआ, विवाह शून्य घोषित न किया गया अपितु विवाह को अच्छा समझा गया । अब हम पहली बार विवाह को शून्य बना रहे हैं और विवाह विच्छेद का भी उपबन्ध कर रहे हैं । जहां तक १८७२ के अधिनियम ३ का संबंध है, यह कोई नवीन उपबन्ध नहीं है । इस के साथ ही साथ ये सारी बातें भी हैं जो पहिले नहीं थीं । अतः मेरा सविनय निवेदन यह है कि विवाह सम्पन्न होने के पूर्व, दोनों व्यक्तियों को किसी डाक्टर का यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये कि पुरुष या स्त्री को यह रोग या अन्य कोई रोग नहीं है । मैं जानता हूं कि इस पर इस कारण आपत्ति की जायेगी कि यह नई प्रकार का उपबन्ध है । परन्तु मैं कहूंगा कि हम इस विधेयक में अनेकों प्रकार के नये उपबन्ध कर रहे हैं और वे वैयक्तिक विधि के लिये सर्वथा नये हैं । अतः हमें इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।

इस के अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि स्त्रियों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां होंगी । मेरा सविनय निवेदन है कि महिला डाक्टर पर्याप्त संख्या में हैं और प्रमाणपत्र आसानी से प्राप्त हो सकते हैं । इस के अतिरिक्त डाक्टरी प्रणामपत्र से यह भी लाभ होगा कि पुरुष को स्त्री के दो तीन मास की गर्भवती होने का, यदि वह है तो, और स्त्री या पुरुष को एक दूसरे के रतिज रोगों, कोढ़, आदि का पता लग जायेगा, अन्यथा जिनका ज्ञान होना असम्भव सा है । अन्त में इस का परिणाम यह होगा कि उपरोक्त कारणों से विवाह विच्छेद न होगा । जबकि हम किसी नई बात का उपबन्ध कर रहे हैं तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिये ।

डा० जयसूर्य : मैं इस संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । मेरा ख्याल है कि इन रोगों के सन्देह को दूर करने के लिये आज कल अपनी डाक्टरी परीक्षा करना कोई अधिक व्यय की या असुविधा की बात नहीं है: अतः अन्य देशों में विधि है कि आप स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना विवाह सम्पन्न नहीं कर सकते । उदाहरणार्थ, पिछले महायुद्ध के पश्चात् योरोपीय तथा पाश्चात्य देशों में रतिज-रोग बहुत बढ़ गये हैं और वहां के विवाहित व्यक्तियों के समक्ष रतिजरोगों की एक महान् समस्या उत्पन्न हो गई है । अतः मेरा निवेदन है कि यह अनिवार्य कर दिया जाय ताकि दूसरे साथी को, जिसे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं है, कोई हानि न पहुंचे । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री जेठालाल जोशी : मैंने भी इसी आशय का एक संशोधन दिया है । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि अपने माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के साथ मैं पूर्णतया सहमत हूं । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ही वैवाहिक जीवन में सुख का स्रोत है । अतः विवाह के पूर्व इस प्रकार का प्रमाणपत्र नितान्त आवश्यक है । बाद में इलाज करने की अपेक्षा पहले ही रोकथाम करना अच्छा होता है ।

मुझे ऐसे कई उदाहरण विदित हैं जब कि क्षय रोगियों ने विवाह कर लिये और बाद में उन की अल्पवयी पत्नियों पर वैधव्य का पहाड़ टूट पड़ा । इसी प्रकार अफ्रीका में रहने वाले एक लड़के के साथ छायाचित्र देख कर किये गये विवाह का दुःखपूर्ण वृत्तान्त मुझे विदित है । विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है । लड़का तो अफ्रीका वापिस चला गया और उस की अभागिनी पत्नी यहां कई वर्ष तक तड़पती रही । ऐसे मामलों में आरम्भ में ही सावधानी से काम लिया जाता तो बाद के उद्वेग का निवारण

[श्री जेठालाल जोशी]

हो जाता । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं अपने आदरणीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा सुझाये गये उपबन्ध का हार्दिक समर्थन करता हूं । अन्य विवाहों में शारीरिक सुख के अलावा दूसरे भी उद्देश्य होते हैं । किन्तु यह विशेष विवाह एक अग्रगामी उपाय है जिस में भावना तथा संस्कारों का कोई स्थान नहीं है और जो एक केवल भौतिक वस्तु है । हम इसे सौदा कहने में हिचकिचाते नहीं । तो फिर अन्य सौदों में अथवा करारों में जो कुछ किया जाता है वह यहां भी किया जाना चाहिये ।

मैं अनुभव करता हूं कि यहां लोग इस विषय में चिन्तित हैं कि इस विवाह को अधिकतम सुलभ बनाया जाय, फिर चाहे वर रतिजरोग से पीड़ित हो, वधु गर्भवती हो या उन में से कोई कुष्ठ रोगी भी क्यों न हो । और आगे चल कर यही लोग विवाह-विच्छेद को भी अधिकतम सुलभ बनाने की चिन्ता में हैं । तो फिर उपचार के पहले रोकने की चेष्टा ही क्यों न की जाय ?

मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक सीमित उद्देश्य के लिये मैं विशेष विवाह अधिनियम का समर्थक हूं । अतः मैं इस प्रकार के विवाह को मुश्किल बनाने के हेतु इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूं । मैं चाहता हूं कि ये विशेष विवाह जितने शुचिर्भूत बनाये जा सकें उतने बनाये जायें । हमारे अग्रगामी विचारों के लोगों को प्रणाम्रमत्र प्राप्त करने के लिये डाक्टर का सामना करने से डरना नहीं चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि श्री वी० जी० देशपांडे इसका समर्थन कर रहे हैं । इस सदन की सारी प्रतिगामी प्रवृत्तियां इस विधेयक को रोकने या टालने की या इसके उपबन्धों को जटिल बनाने की अधिकतम कोशिश कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह किसी पर हेत्वारोप न करें। यह उचित नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं व्यक्तियों की नहीं अपितु प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं ।

क्या इस प्रकार का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करना व्यवहार्य है ? मुझे डाक्टरी व्यवसाय की सचाई के बारे में कोई अत्यधिक आदर नहीं है । और फिर यह भी तो है कि किसी की नपुंसकता का पता लगाना भी डाक्टरी विज्ञान के लिये असंभव है ।

डा० जयसूर्य : जी नहीं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जन्मजात नपुंसकता का पता क्यों नहीं लग सकता ।

श्री एस० एस० मोरे : चिकित्सा संबंधी मामलों के बारे में मेरा ज्ञान अत्यन्त सीमित है । डा० जयसूर्य को संभवतः इस संबंध में पर्याप्त अनुभव है ।

डा० जयसूर्य : निस्संदेह ।

श्री एस० एस० मोरे : वकील होने के नाते मेरा अनेक डाक्टरों से सम्पर्क हुआ और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि नपुंसकता का पता लगाना कठिन है ।

खण्ड २४ के अतिरिक्त जहां तक खण्ड २५ का प्रश्न है उस में केवल एक ऐसी बात है जिस के कारण चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा, अर्थात्

> "विवाह के समय उत्तरकर्त्ता निवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी ।"

परन्तु चिकित्सा द्वारा केवल यही पता चल सकता है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं। यह बात एकपक्षीय होगी क्योंकि चिकित्सा द्वारा उस व्यक्ति का पता तो लग नहीं सकता जिस के द्वारा उस ने गर्भ धारण किया। वास्तव में हम को अपनी भावनाओं तथा पुरानी प्रथाओं का भी ध्यान रखना चाहिये।

खण्ड २७ में रतिज तथा अन्य रोगों का उल्लेख है। मान लिया जाये कि एक प्रकार का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मिलना संभव भी हो जाये ....

डा० जयसूर्य : एक प्रकार का नहीं अपितु वास्तविक चिकित्सा प्रमाण-पत्र होना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इस 'वास्तविक' शब्द को स्वीकार करता हूं।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : उपतना ही वास्तविक प्रमाण-पत्र जितना कि सरकारी नौकरियों के लिये अपेक्षित है।

श्री एस० एस० मोरे : वकील होने के नाते मेरा अनुभव है कि कई अवसरों पर चिकित्सा सम्बन्धी दो विरोधी मत प्रस्तुत हुए और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों मतों में से कोई भी वैध नहीं है।

वास्तव में इस संशोधन के स्वीकार करने का यह अर्थ होगा कि डाक्टरों के लिये आय का एक और स्रोत खुल जाये।

डा० जयसूर्य : क्या श्री मोरे सरकारी प्रयोगशालाओं को स्वीकार करेंगे ?

सभापति महोदय : यह खण्ड तो विवाह होने के पांच वर्ष बाद लागू होगा अतः इसको यहां अलग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि विवाह के समय कोई व्यक्ति रोग ग्रस्त है, तो निस्संदेह उसका परीक्षण होना चाहिये। इस खण्ड का यही अर्थ है। यदि बाद को कोई रोग हो जाता है, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

सभापति महोदय : तो फिर इसको संशोधन की धारा २७ में रखने का क्या अर्थ है, यह मैं नहीं समझ पाया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आशय यह है कि यदि ये उपबन्ध पारित हो जाते हैं तो इस संशोधन को प्रस्तुत किया जा सकता है।

सभापति महोदय : मेरा कहने का तात्पर्य यह है फिर इस संशोधन द्वारा इस खण्ड में धारा २७ के सम्मिलित करने की क्या आवश्यकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा निवेदन यह था कि खण्ड २७ में जिन बीमारियों का उल्लेख है यदि विवाह के समय यह दोष पाये जाते हैं तो विवाह रोका जा सकता है।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा कहना यह है कि धारा २७ अनिवार्य नहीं है। अनेक रोगों के विद्यमान होने पर भी विवाह-विच्छेद की बात पैदा नहीं हो सकती है। इस विशिष्ट संशोधन के पारित होने से ऐसे मामलों में विवाह होने में बाधा पड़ेगी। अपने देश में बहुत से ऐसे मामले देखे गये हैं जहां कि विवाह के अवसर पर कोई रोग न था परन्तु बाद को वह पैतृक रोग जो कभी उस के माता या पिता को था, उभर आया और फिर भी दम्पति के सामान्य जीवन में कोई अन्तर पैदा नहीं हुआ।

डा० जयसूर्य : विवाह-विच्छेद अनिवार्य नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : विवाह भी अनिवार्य नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : श्री देशपांडे के लिये ही विवाह अनिवार्य नहीं होगा ।

११ म० पू०

अतः मेरा निवेदन है यह संशोधन पूर्णतया अव्यवहारिक है और इस की कार्यान्विति में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी तथा भ्रष्टाचार के लिये द्वार खुल जायेंगें ।

श्री बिस्वास : सरकार इस को स्वीकार करने का विचार नहीं करती ।

श्री एस० एस० मोरे : इस आश्वासन पर मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

डा० रामा राव : प्रत्यक्षतः यह संशोधन दोष रहित प्रतीत होता है और डाक्टर होने के नाते मुझे इस का स्वागत करना चाहिये । परन्तु इससे कई स्थानों पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र लेने आवश्यक हो जायेंगे (**अन्तर्बाधाएं**)

संक्षेप में मैं उन की एक सूची प्रस्तुत करता हूं । प्रथमतः खण्ड ४(ख) के अन्तर्गत इस बात का प्रमाण-पत्र सापेक्षित है कि दोनों में से कोई मूर्ख अथवा पागल तो नहीं है । द्वितीय, खण्ड २४ के अन्तर्गत इस बात का प्रमाण-पत्र होना चाहिये कि व्यक्ति नपुंसक तो नहीं है । तृतीय, इस बात का प्रमाण-पत्र अपेक्षित है कि स्त्री गर्भवती तो नहीं है ।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए]

इसके अतिरिक्त कोढ़ संबंधी तथा रतिज रोगों का परीक्षण भी आवश्यक है और उन के प्रमाण पत्र होने आवश्यक हैं । इस प्रकार लड़के व लड़कियों को कम से कम आधे दर्जन विशेषज्ञों के पास परीक्षण हेतु जाना प्रड़ेगा । केवल रतिज रोगों के परीक्षण के लिये ही तीन अथवा चार विशेषज्ञों के पास जाना होगा क्योंकि गुप्त रोग अनेक होते हैं और एक डाक्टर सब रोगों के लिये प्रमाण-पत्र नहीं दे सकता । एक डाक्टर, जो कि सूजाक को प्रमाणित कर सकता है, यह प्रमाणित नहीं करेगा कि वह उपदंश का रोगी नहीं है । मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी पूछ रहे थे कि क्या एक डाक्टर सब रतिज रोगों को प्रमाणित नहीं कर सकता । वास्तव में वह नहीं कर सकता । वह केवल इतना कह देगा कि किसी विशेष संस्था के पास रक्त को परीक्षण हेतु भेज देना चाहिये ।

आचार्य कृपालानी : सामान्य डाक्टर उस को प्रमाणित कर सकता है ।

डा० रामा राव : सामान्य डाक्टर उपदंश, सूजाक तथा गर्भ सब के बारे में प्रमाणित नहीं कर सकता । गर्भ के मामले में लड़की महिला डाक्टर के पास जाना चाहेगी । उपदंश की जांच के लिये उस को किसी गुप्त रोगों के इलाज करने वाले के पास जाना पड़ेगा । इस प्रकार प्रत्यक्षतः यह भले ही सरल प्रतीत होता हो परन्तु वास्तव में इस से केवल विवाहों में बाधा ही उत्पन्न होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि डाक्टरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो फिर धारायें २४, २५ तथा २७ के रखने की क्या आवश्यकता है ?

डा० रामा राव : मैं यह नहीं कहता कि डाक्टरों पर विश्वास न किया जाये अपितु मेरा आशय यह है कि प्रत्येक विवाह में डाक्टर काफ़ी आय कर लेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ५ रु० प्रति डाक्टर के हिसाब से अधिकतम २५ रु० व्यय होगा ।

डा० रामा राव : डाक्टर प्रत्येक परामर्श के लिये १५ से ले कर २५ रु० तक लेते हैं । दूसरी बात यह है कि खण्ड २७ तथा अन्य खण्डों में उल्लिखित चिकित्सा संबंधी बातें कुछ ही प्रतिशत मामलों में आवश्यक

हैं परन्तु पंडित ठाकुर दास भार्गव इस को अनिवार्य बनाना चाहते हैं। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का विरोध करता हूं।

मेरे विरोध का प्रथम कारण यह है कि कोढ़, उपदंश, क्षयरोग इत्यादि के सम्बन्ध में जितने परीक्षण होते हैं, वे निर्णयात्मक नहीं होते और कभी २ तो उन का परिणाम नकरात्मक निकलता है। रक्त के परीक्षण के द्वारा ठीक ठीक यह पता लगाना कि व्यक्ति कुष्ट रोग से पीड़ित है बहुत कठिन है क्योंकि कभी कभी कोढ़ी के रक्त के परीक्षण से दूसरा ही परिणाम निकलता है। अतः इस संबंध में प्रमाण-पत्र लेना निरर्थक है।

दूसरा कारण मेरे विरोध का यह है कि यह प्रमाण-पत्र बड़े दुःखदाई सिद्ध होंगे और प्रेमपूर्ण विवाहों के मार्ग में बड़ी बाधायें उत्पन्न करेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले विवाह एक प्रकार से करार रूप होंगे। यदि एक आदमी अथवा एक औरत परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उन में से कोई कोढ़ी अथवा क्षय रोगी है तो हम को उस से क्या, यह उन के स्वयं सोचने की बात है। हम उन के मार्ग में बाधायें क्यों उत्पन्न करें? एक उर्दू कवि कहता है:

दोनों तरफ़ है आग बराबर लगी हुई।
वह आग कैसे बुझे। बुझाने का तरीका तो आप बन्द कर रहे हैं। खुदा के वास्ते उन को मिलने दीजिये।

अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर): सभापति महोदय, मेरा इस मसले पर बोलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन चूंकि मैं डा० खरे को मोरे साहब को सपोर्ट करते और इस अमेंडमेंट को अपोज़ करते देखता हूं इसलिये मैं इस को सपोर्ट करता हूं। मैं ऐसा इसलिये कर रहा हूं कि वे दोनों दो भिन्न विचारधाराओं के दलों के सदस्य हो कर एक बेंच पर बैठे हुए भार्गव साहब की अमेंडमेंट को अपोज़ कर रहे हैं। इस में मुझे खतरा मालूम होता है।

इस बिल में जो हमारे सामने है इस संशोधन का होना बहुत अच्छा है। यह इस लिये है कि हम अपने आप को एक मजबूत कौम बनाना चाहते हैं। अभी हिन्दुस्तान को आजादी मिली है। हम अभी कमजोर हैं। हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं और इसलिये हम चाहते हैं कि जो बच्चे देश में हों वे मजबूत हों और तन्दुरुस्त हों। ऐसे बच्चों को पैदा करने के लिये इस बात की ज़रूरत है कि तन्दुरुस्त लड़के और लड़कियां आपस में शादी करें। इसलिये शादी के पहले इस बात का सर्टिफिकेट होना चाहिये कि जो आदमी शादी करना चाहते हैं वे वैनीरियल डिजीज़ेज़ से तो सफर नहीं कर रहे हैं, उन को गर्मी, सुजाक या और कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। हम को चाहिये कि हम ऐसे लोगों को शादी न करने दें जिन को कि इस तरह की बीमारियां हों। ऐसे लोगों को यहां औलाद पैदा करने की इज़ाज़त नहीं होनी चाहिये। ऐसे लोगों को औलाद पैदा करने का कोई राइट नहीं दिया जाना चाहिये। लेकिन यहां डाक्टर खरे आदि कह रहे हैं कि वैनीरियल डिज़ीज़ेज़ का पता नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर हम यह कानून कैसे बना सकते हैं कि वैनीरियल डिज़ीज़ के कारण डाईवोर्स हो सकेगा। अगर डाक्टर यह नहीं बतला सकते हैं तो उन्होंने क्या पढ़ा है। हम कानून बना रहे हैं कि अगर किसी को वैनीरियल डिज़ीज़ होगी तो डाइवोर्स मिल सकेगा। लेकिन यह तै कौनं करेगा कि

[श्री आर० डी० मिश्र]

किसी को वैनीरियल डिज़ीज़ है या नहीं । आदालत तो यह जानती नहीं । डाक्टरों की राय है कि इस में हमारा कोई तजर्बा नहीं है । तो फिर कैसे तै होगा कि इस को बीमारी है ।

इस के लिये मैं ने एक अमेंडमेंट दिया है कि जो शादी करे वह पहले एक फार्म में यह डिकलेअर करे कि मैं खुद इम्पोटेंट नहीं हूं ।

डा० एन० बी० खरे : सूचना हेतु मैं कहता हूं कि रतिज रोग संबंधी प्रमाणपत्र पौरुष का प्रमाण-पत्र है ।

श्री आर० डी० मिश्र : वह खुद डिकलेअर करे कि मुझे वैनिरियल डिज़ीज़ नहीं है, और वह यह भी डिकलेअर करे कि मैंने अपने को सैटिसफाई कर लिया है कि दूसरी पार्टी ल्यूनैटिक या ईडिअट नहीं है । इसी तरह से दूसरी पार्टी भी डिकलेअर करे । जब वह दोनों डिकलेअर कर दें कि वे बीमार नहीं हैं और तन्दुरुस्त हैं और उन को डाक्टरों का सर्टिफिकेट मिल जाय तब उन को हिन्दुस्तान के अन्दर शादी करने की इजाज़त होनी चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रमाणित कौन करेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : डा० एन० बी० खरे (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं देखता हूं कि जो लोग यहां प्रोग्रेसिव के नाम से आते हैं वे भी इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या वह चाहते हैं कि ऐसे लोगों को शादी करने की इजाजत दी जाय जो कि वैनीरियल डिज़ीज़ेज़ से सफर कर रहे हैं । हम तो ऐसे निकम्मे लोगों को शादी करने की इजाज़त नहीं देने वाले हैं । हमारे मोरे साहब जो कि बड़े प्रोग्रेसिव हैं वह कहते हैं कि इस तरह से शादी के रास्ते में रुकावट पड़ती है । क्या वह ऐसे निकम्मे आदमियों की शादी कर के हिन्दुस्तान की कौम को गारत करना चाहते हैं ? अगर आप इम्पोटंसी के कारण शादी को वाइड मानते हैं तो शादी से पहले उस का सर्टिफिकेट होना जरुरी है । ऐसा हो सकता है कि एक केस में एक आदमी पोटेंट हो और एक केस में न हो । डाक्टर तो पोटेंसी का पता लगा नहीं सकते । हो सकता है कि किसी आदमी को किसी औरत को देख कर पोटेंसी आती हो । हो सकता है कि किसी को कोई गधी पसन्द हो और कोई दूसरी पसन्द न हो । इसलिये मेरा कहना यह है कि जो शादी करने जा रहे हैं वे यह बयान करें कि हमें एक दूसरे को देख कर पोटेंसी आती है । इस में डाक्टर की ज़रूरत नहीं है । वह आदमी सिर्फ यह बयान कर दे कि इस लड़की को देख कर मुझे पोटेंसी आती है और लड़की यह कह दे कि उस को भी कोई बीमारी नहीं है और उसे लड़के को देख कर पोटेंसी आती है तब वह शादी करें । इस में डाक्टर के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है । डाक्टर क्या जाने । शादी के पहले लड़का और लड़की यह बयान कर दें कि हमें कोई वैनीरियल डिज़ीज़ नहीं है और अगर इस की डाक्टर से जांच कराई जा सकती हो तो करा ली जाय, वर्ना वह खुद डिकलेअर करें । आप यह कहते हैं कि इन बीमारियों का डाक्टर पता नहीं लगा सकता । लेकिन अगर डाक्टर इस का पता नहीं लगा सकते तो कौन लगा सकेगा । अगर डाक्टर नहीं बतला सकते तो क्या वकील बतलायेंगे ? या आप अदालत पर छोड़ना चाहते हैं कि जो अदालत ठीक समझे करे । अगर आप यह कायदा बनाते हैं कि इन बीमारियों की वजह से शादी वाइड हो जायगी तो हमको यह

देखना चाहिये कि हम इस तरह की बीमारियों वाले आदमी शादी ही न कर सकें । इसलिये मैं भार्गव साहब के अमेंडमेंट को सपोर्ट करता हूं क्योंकि यह बहुत जरुरी है कि ऐसे निकम्मे आदमियों को शादी करने की इजाजत न दी जाय । इस लिये मैं कहता हूं कि शादी के पहले डाक्टरी सर्टीफिकेट होना ज़रुरी है । अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम मजबूत बने तो ऐसे आदमियों की शादी न हो जिनके कारण शादी वाइड हो जाने या डाईवोर्स हो सके ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम): सभापति जी....

सभापति महोदय: मैं यह जानता हूं कि वर्त्तमान विषय बहुत छोटा है और इस में कोई बहुत ज्यादा बोलने की जरुरत नहीं है ।

बाबू रामनारायण सिंह: सभापति जी, आप ठीक कहते हैं कि इस पर कोई बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन चूंकि लोगों ने मेरे पहले इस पर बहुत कुछ कहा है इसलिये मैं भी ज़रुरी समझता हूं कि कुछ इस पर बोल दूं ।

इस देश में बहुत से विवाह होते हैं बल्कि मैं कहता हूं कि अधिकतर विवाह ऐसे होते हैं जिन में विवाह के पहले वर कन्या को नहीं जानता और कन्या वर को नहीं जानती है । विवाह होने के बाद वे एक दूसरे के सामने होते हैं, उन में बातचीत होती है तथा और सम्बन्ध स्थापित होता है, लेकिन इस विधेयक में जिस तरह के विवाह का निर्माण किया जा रहा है उस में तो यह होने वाला है कि दो पढ़े लिखे स्वतंत्र व्यक्तियों में विवाह होगा और यह तो जानी हुई बात है कि इस तरह के लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रुरत नहीं है । वे विवाह से पहले ही एक दूसरे को ठीक से जान लेते हैं, एस दूसरे में प्रेम हो जाता है और बहुत कुछ आपस में सम्बन्ध हो लेता है तब इस तरह के विवाह होते हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह के विवाह के लिये मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रुरत नहीं है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य): आप यह कैसे जानते हैं कि ऐसा होने पर यह सब होता है ?

बाबू रामनारायण सिंह: बिल्कुल साफ़ बात है क्योंकि जिस तरह का विवाह आप निर्माण करने जा रहे हैं उन में वे ही व्यक्ति आयेंगे जो अपने कुल की मर्यादा के बाहर जा कर स्वतंत्र रूप से विवाह करेंगे और उस के मानी यह हैं कि उन लोगों में वे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और यह जानी हुई बात है कि भला बुरा सब कोई अपना समझते हैं । कहा जाता है कि: "हित अनहित निज पशु पहचाना", भला बुरा पशु भी समझता है और जानता है । १८ वर्ष की स्त्री और २१ वर्ष का पुरुष पुरानी मर्यादा के प्रतिकूल और नये नियम के अनुसार विवाह करने जा रहा हो और जिस में गार्जियन की अनुमति या सम्मति की जरुरत भी न हो, क्या आप समझते हैं कि वे एक दूसरे को ठीक से जान न लेंगे ? हम लोग जानते हैं कि इस तरह के विवाह कैसे होते हैं और इस वास्ते, मेरी राय में इस तरह के विवाह के लिये इस तरह के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिन को सर्टिफिकेट की ज़रुरत है वे लोग खुद एक दूसरे को खूब अच्छी तरह जान लेते हैं तब विवाह करते हैं और ऐसी हालत में यह संशोधन इस तरह के विवाह में बाधा डालता है और इस कारण मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल व्यर्थ ही नहीं, बल्कि बाधक भी है । मुझे खुशी है कि विधि मंत्री ने भी कह दिया है कि वे इस संशोधन को नहीं मानेंगे, तो पास तो यह होगा ही नहीं, लेकिन तो भी यह जान लेना चाहिये

[बाबू रामनारायण सिंह]

कि यह संशोधन बिल्कुल व्यर्थ है और इसे पास नहीं करना चाहिये और मैं अपने विधि मंत्री को बधाई देता हूं कि वह इस को मानने नहीं जा रहे हैं ।

सभापति महोदय: कार्यवाही मंत्रणा समिति द्वारा यह तय हुआ है कि इस विधेयक पर विचार हेतु कुल ३७ घंटे लगने चाहियें । अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने आप इस का निश्चय कर लें कि किन बातों पर अधिक समय देना है ताकि बहुत सी व्यर्थ की चर्चा न हो और अन्त में समाप्ति-प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकें और खण्ड सीधे मतदान के लिये रखे जा सकें ।

श्री लोकनाथ मिश्र: राज्य सभा इस विधेयक को समाप्त करने के लिये कितना समय देगी ।

श्री बिस्वास: कुल ३२ घंटे ।

श्री लोकनाथ मिश्र: तो हम को ६४ घंटे मिलना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे: हमारी संख्या दुगनी है ।

सभापति महोदय: इस में प्रतियोगता का कोई प्रश्न नहीं है । दूसरों को कितना समय मिलता है, इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिये । वास्तव में हम को यह प्रयत्न करना चाहिये कि तर्कों की पुनरावृत्ति न हो ताकि मौलिक विषयों पर अधिक ध्यान देने अथवा विचार करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

आचार्य कृपालानी: मैं केवल बोलने के हेतु बोलना नहीं चाहता और न किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं ।

जो कुछ चर्चा हुई है उस के सुनने से मैं तो एक ही निष्कर्ष निकालता हूं कि इस भ्रम का कारण यह है कि विधेयक में 'विवाह' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई । 'विवाह क्या है ?' 'उस का क्या उद्देश्य है ?' क्या यह वासनापूर्ति के लिये है अथवा सन्तति जनन के लिये अथवा जीवन में एक साथी बनाने के लिये, यह कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया ।

यदि हम विवाह का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करें और उसके उद्देश्य को मालूम करने का प्रयत्न करें तो मुझे आशा है कि कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता । वर्त्तमान समय में कुछ विवाह केवल वासनापूर्ति के लिये ही होते हैं अतः उन मामलों में डाक्टरी परीक्षा आवश्यक है । कुछ विवाह सन्तति जनन के उद्देश्य से ही होते हैं तो ऐसे मामलों में भी डाक्टरी परीक्षा आवश्यक है । परन्तु जहां विवाह का उद्देश्य केवल जीवन में एक साथी बनाने का है वहां डाक्टरी परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ऐसे मामलों में प्रेम ही विवाह का आधार होता है । अतः मेरे विचार में विधि मंत्री ने बहुत बड़ी गलती की है कि बिना 'विवाह' शब्द की परिभाषा दिये हुए उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत कर दिया । जब तक 'विवाह' शब्द की परिभाषा नहीं होती, इस विषय पर वैज्ञानिक रूप से चर्चा नहीं हो सकती ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण): सभापति महोदय, अभी अभी कृपालानी जी ने जो स्पीच दी उन की बात मेरे समझ में नहीं आई ।

आचार्य कृपालानी: कैसे आएगी, साहब ?

पंडित डी० एन० तिवारी: शादी क्यों की जाती है ? उन्होंने तीन बातें बतलाईं । एक तो कम्पेनियनशिप, दूसरे सेक्स के लिये

और तीसरे प्रोक्रिएशन के लिये । कम्पेनियनशिप में, जिसके लिये उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं है, तब तो शादी की भी जरुरत नहीं है । दोनों ही व्यक्ति साथ रहेंगे और शादी की बात उठेगी ही नहीं । असल में हिन्दुस्तान में, या कहीं भी, जब शादियां होती हैं तो तीनों ही बातों के लिये होती हैं । उन में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहता है, कोई कम्पार्टमेंट नहीं होता है कि यह शादी करते हैं कम्पेनियनशिप के लिये, यह करते हैं सैक्स के लिये और यह करते हैं प्रोक्रिएशन के लिये । हिन्दुस्तान में कभी भी ऐसी शादियां नहीं हुई हैं । कम्पार्टमेंटली शादी करने की बात शायद कृपालानी जी के ही दिमाग में होगी ।

श्री बी० एस० मूर्ति: आज कल हो रही हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी: अब रहा यह कि हम को सर्टिफिकेट की जरुरत है या नहीं । मुझ को तो यह बड़ा ऐबसर्ड सा लगता है कि हर केस में सर्टिफिकेट लिया जाय । मैं ने अपने और साथियों से भी राय ली । उन की भी यही राय है । आप देखेंगे कि एक सर्टिफिकेट लेने में लोगों को कितना तरद्दुद होगा । डाक्टरों के पास जाना होगा, उस में कितना खर्च होगा । गरीब आदमी उस को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा । आप कहेंगे कि इस बिल में जो डाइवोर्स का प्राविजन है उस के असर को कम करने के लिये इस सर्टिफिकेट की जरुरत है जिस में कि हर मामले में लोग कचहरी न जायें । बाबू राम नारायण सिंह ने ठीक ही कहा है कि जब दो नवयुवक और नवयुवती वयस्क हो कर मिलते हैं और एक दूसरे को जान लेते हैं तो यह भी वे जान लेंगे कि उनमें किसी को कोई रोग है या नहीं । वह जितनी दूर तक गये हैं मैं उतनी दूर तक नहीं जाना चाहूंगा कि वे दोनों बहुत दूर तक मिलते हैं । यह नहीं होना चाहिये, लेकिन इतनी कम्पेनियनशिप तो होती ही है कि वह जान लें कि दूसरे को कोई वेनिरियल डिजीज या लेप्रासी वगैरा तो नहीं है । इतना तो वह जान ही लेंगे । तभी वह शादी होगी ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो स्पेशल मैरेज ऐक्ट बन रहा है उस के अनुसार देहात के बच्चों की शादी तो होगी ही नहीं । इस में लोग वही होंगे जो बड़े बड़े घरों के और पढ़े लिखे होंगे । साथ ही हम को यह नहीं भूलना चाहिये कि एक और बिल हमारे सामने आ रहा है जो कि हिन्दू कोड का दूसरा अंश है और जिस का नाम हिन्दू मैरेज ऐंड डाइवोर्स बिल है । उस में भी डाइवोर्स का प्राविजन है, उस में यदि हम सर्टिफिकेट मांगें तो बात समझ में आ सकती है क्योंकि उस लेजिस्लेशन का असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा । लेकिन उस बिल का असर हर एक हिन्दुस्तानी पर पड़ेगा और हमारी विवाह सम्बन्धी पद्धति में एक चेन्ज होगा । वहां भी यदि हम सर्टिफिकेट मांगें तो लोगों पर कितना भार बढ़ जायेगा ? हम को यह नहीं मालूम हुआ कि यहां यदि हम सर्टीफिकेट लें तो वैसे ही ऐसा प्राविजन हम दूसरे बिल में भी क्यों न करें ? अगर हम वहां नहीं करते हैं तो यह गलत होगा । जब हम इस बिल में सर्टीफिकेट लेने का प्राविजन करते हैं तो दूसरे बिल में भी हम को इसी तरह से इस का प्राविजन करना चाहिये । इस बात को जानते हुए कि हिन्दुस्तान की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और न इस तरह की चीज उचित ही है, इस रुकावट का रखना ठीक नहीं है । यह स्पेशल मैरेज बिल है और इस में जितनी स्पेशल बातें हो सकें होने दीजिए, यह तो मानी हुई बात है, अगर ऐसी शादियां टूटती हैं और डाइवोर्स होते हैं तो होने दिये जायें, इस में कोई खास बात नहीं है ।

श्रीमती सुषमा सेन: पागलपन तथा रतिज रोगों के सम्बन्ध में विवाह विच्छेद वाले खण्ड में उपबन्ध बनाया जा चुका है। अतः इस प्रकार की पुनः व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विवाह से पूर्व डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था करने से भी भ्रष्टाचार ही फैलेगा । दूसरे लड़कियों की डाक्टरी परीक्षा करवाना उचित भी नहीं होगा । माननीय सदस्यों को विशेष विवाह को इतना साधारण नहीं समझना चाहिये क्योंकि यह केवल एक समझौता ही नहीं है । इस विधेयक के प्रस्तावक ने यह कई बार कहा कि विवाह एक धर्म विधि से किया गया संस्कार है जिस का विच्छेद नहीं होना चाहिये । अतः मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करती हूं ।

सभापति महोदय: मैं दो बातों के विषय में सभा की राय जानना चाहता हूं । एक तो यह कि क्या इस प्रकार के उपबन्ध को आवश्यकता है और दूसरी यह कि क्या डाक्टरी-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये उन से कहा जाय ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: विशेष विवाह के लिये तो केवल लड़की व लड़के की राय ही आवश्यक होती है । दोनों ही इतने समझदार समझे जाते हैं कि वे एक दूसरे से भली भांति परिचित होंगे और यह भी जानते होंगे कि वे एक दूसरे के उपयुक्त हैं अथवा नहीं । इतना समझ लेने के पश्चात् ही वे विवाह करते हैं । इन के लिये डाक्टरी प्रमाणपत्र का उपबन्ध बनाना बिलकुल व्यर्थ होगा । इस के अतिरिक्त यदि विवाह के विषय में दोनों को पहले से सूचना न हो तो इस के लिये खण्ड २४, २५ तथा २७ की व्यवस्था की गई है । अतः इस संशोधन का समर्थन नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री साधन गुप्त: पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उन विवाहों को अवैध ठहराने का प्रयत्न किया है जो खण्ड २४, २५ तथा २७ में दिये गये कारणों का उल्लंघन कर के किये गये हैं, नपुंसक के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । नपुंसकता के आधार पर आपत्ति करने वाले खण्ड ७ में एक संशोधन करने की पूर्व सूचना मैं ने स्वयं दी है । कुष्ठ रोग, रतिज रोग तथा अन्य ऐसी ही बीमारियों का उपचार हो सकता है । ऐसे रोग पीड़ित लोगों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होने के कारण, वे विवाह के लिये तैयार हो सकते हैं । अतः हमें ऐसे विवाहों को अवैध नहीं घोषित करना चाहिये । हम केवल विवाह-विच्छेद की व्यवस्था कर सकते हैं । इस सम्बन्ध में मेरे मन में एक विचार यह उत्पन्न हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोग से पीड़ित है और वह अपनी बीमारी प्रकट नहीं करता तो विवाह हो जाने के पश्चात् इस पर आपत्ति की जा सकती है किन्तु तत्पश्चात् मुझे ध्यान आया कि हो सकता है कि ऐसी सलाह देने पर भी वे लोग एक दूसरे से ही विवाह करना पसन्द करें । ऐसी दशा में बीमारी छिपाने के लिये कोई व्यवस्था करना व्यर्थ ही होगा ।

दूसरी बात यह है कि संशोधन से सिद्धान्त रूप में सहमत होते हुए भी मुझे इस का विरोध करना पड़ा है क्योंकि वह कुछ रखा ही इसी प्रकार गया है ।

नपुंसकता के आधार पर, धारा २४ के अन्तर्गत विवाह प्रभावहीन समझा जायगा किन्तु इसी धारा के अनुसार केवल नपुंसकता ही प्रभावहीनता का आधार नहीं बन सकती है । अतः यह सुझाव रखना असंगत होगा कि व्यक्ति के न केवल विवाह समय ही नपुंसक होने वरन् अभियोग चलाने के समय तक नपुंसक होने के आधार पर विवाह नहीं

हो सकता है । अतः ऐसा नियम अव्यावहारिक होगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी: श्री कृपालानी ने अपने भाषण में अनेक प्रकार के विवाहों की चर्चा की है जैसे शारीरिक विवाह, यौन विवाह, सन्तानोत्पत्ति के लिये विवाह तथा आध्यात्मिक विवाह आदि । उन का यह भी कहना है कि शारीरिक विवाह के लिये डाक्टरी प्रमाण पत्र का होना अत्यावश्यक है जब कि अन्य प्रकार के विवाहों के लिये नहीं । उन्होंने यह भी कहा कि विधि मंत्री ने ऐसे विधेयक को प्रस्तुत कर बहुत बड़ी गलती की है । वास्तव में विवाह किया भी बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जाता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन न तो अतार्किक ही है और न असंगत ही । उस संशोधन के अनुसार यदि कोई मूर्ख अथवा पागल व्यक्ति विवाह कर लेता है तो इस अधिनियम के द्वारा वह विवाह प्रभावहीन समझा जायगा । उन का कहना है कि यदि विवाह के लिये डाक्टरी प्रमाण पत्र आवश्यक ही माना जाता है तो प्रारम्भ में ही उस को प्रस्तुत करने की व्यवस्था होनी चाहिये, आगे चल कर नहीं । किसी भी विवाह-विच्छेद के मामले में जिस के लिये आप यह समझते हैं कि वह प्रभावहीन समझा जाना चाहिये, उस में भी आगे चल कर डाक्टरी प्रमाण पत्र की ही आवश्यकता पड़ती है । पंडित भार्गव का कहना यह है कि ऐसे मामलों में जिस वस्तु की शरण हमें अन्त में लेनी पड़ती है, यदि हम आरम्भ में ही उस की व्यवस्था कर लें तो इतनी कठिनाइयों का सामना अन्त में जा कर नहीं करना पड़े । ऐसे डाक्टरों का तो डाक्टर कहलाना ही व्यर्थ है जो बीमारी का ठीक ठीक पता नहीं लगा सकते । कुछ देशों में विवाह से पूर्व डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है । यदि आप विवाह की पुरानी प्रथा को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से विवाह के पोषक हैं तो आप को डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रारम्भ में ही प्रस्तुत करने के लिये व्यवस्था करनी ही चाहिये ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य): इस संशोधन के पक्ष में इतने तर्क रखे जाने पर भी मैं इस के विरोध में हूं । अब हम आज की वस्तुतः स्थिति को समक्ष रखकर देखेंगे कि यह संशोधन कहां तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है ।

आज माता-पिता लड़के के चरित्र के स्वस्थता व स्वभाव आदि के विषय में उसके सम्बन्धियों से पता लगा कर तब अपनी लड़की का विवाह करते हैं और उन्हें इस पर कभी पश्चात्ताप करने की नौबत नहीं आती है हालांकि कुछ मामलों में लड़कों ने अपनी बीमारी को छिपाये रखा जब कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था । कुछ मामलों में और बेईमानियां भी की गई । वैसे यदि ईमानदारी से काम किया जाय तो डाक्टरी प्रमाणपत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती । जब लड़कों और लड़कियों की आप कम से कम २१ तथा १८ वर्ष उम्र निर्धारित कर देते हैं तो उन में स्वयं कुछ उत्तरदायित्व की भावना आ जायगी । और फिर केवल डाक्टर के प्रमाण पत्र से ही तो समस्या हल नहीं हो जाती क्योंकि कुछ डाक्टरों का तो पेशा ही यही है । इस से तो और भी कठिनाइयां बढ़ जायंगी ।

विवाह के पश्चात् कोई एक पक्ष अनुचित व्यवहार करता है, अथवा जीवन साथी बनने के उपयुक्त नहीं है तो निश्चय ही प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ेगी किन्तु वैसे साधारण रूप से विवाह से पूर्व प्रत्येक लड़की तथा लड़के के लिये प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । इस से उन्हें अपनी पसन्द का साथी चुनने में सहायता नहीं मिल

[श्री जी० एच० देशपांडे]

सकती । इस कारण मैं इस संशोधन के विरोध में हूं ।

श्री बिस्वास: विवाह का उद्देश्य चाहे सन्तानोत्पति हो और चाहे जीवन साथी का चुनाव किन्तु उन्हें अपना एक निश्चित उद्देश्य बना लेना चाहिये किन्तु किसी उद्देश्य विशेष के लिये ही विवाह के समय एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य करना उचित नहीं है ।

सरकार इस संशोधन का विरोध अनेक कारणोंवश करती है । साधारणतः यह व्यावहारिक भी नहीं है और जैसा कि मैं पागलपन अथवा विकृत मस्तिष्क के मामले में प्रमाणपत्र के प्रश्न पर विचार करते समय कह चुका हूं कि ऐसी कोई शर्त आप नहीं लगा सकते । उस काम को करने की यहां कोई मशीनरी नहीं है । वास्तव में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियम बनाने तथा उसे आसानी से प्राप्त करने की व्यवस्था आदि करने से कोई लाभ नहीं है । अतः निरोग सिद्ध करने के लिये किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय मित्र का संशोधन इस प्रकार का है कि उस का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता । वह यह नहीं कहते कि दोनों पक्षों को डाक्टरी प्रमाणपत्र घोषणा सहित प्रस्तुत करना चाहिये और ये प्रमाणपत्र उस विषय में अकाट्य साक्ष्य होंगे ।

कुछ वक्ताओं ने यह कहा कि जैसा विधेयक के कुछ खण्डों में बताया गया है दोनों पक्षों में बीमारियां तथा अवगुण नहीं होने चाहिये जिन के होने से विवाह प्रभावहीन समझा जाता है । सब से मुख्य शर्त यह है कि इन बीमारियों से मुक्त होना तथा इस बात का प्रमाणित किया जाना कि उन्हें कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं है, ये दोनों चीज़े अलग अलग हैं । मान लीजिये कि बाद में पता यह लगता है कि वे रोगमुक्त नहीं थे, तो इस शर्त का परिणाम यह निकलेगा कि उन के विवाह को प्रभावहीन घोषित करना होगा । उन का विचार यह है कि यह कारण एक ऐसा सम्भव कारण होगा, जिस के द्वारा यदि बाद को इस बात का पता चलता है कि विवाह के समय वह उस रोग विशेष से मुक्त नहीं था, तो ऐसे विवाह को प्रभावहीन घोषित किया जा सकेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह सब कुछ खंड २४ में दिया हुआ है ।

श्री बिस्वास: व्यावहारिक रूप से यह पता लगाना बहुत कठिन है कि विवाह करने वाले व्यक्ति अमुक बीमारी या दोष से मुक्त हैं । यहां यह नहीं कहा गया है कि वह एक ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिस में लिखा हुआ हो कि वह सब बीमारियों और दोषों से मुक्त है । प्रमाणपत्र दे सकना और बात है और उस का वास्तव में इन बीमारियों से मुक्त होना और बात है । इस संशोधन में इस भेद को ध्यान में नहीं रखा गया ।

खंड २४ में यह उपबन्ध है कि यदि विवाह के समय और मुकदमे के प्रस्तुत होने के समय प्रतिवादी नपुंसक हो, तो इस अधि-नियम के अन्तर्गत सम्पन्न विवाह को शून्य समझा जायेगा । अब प्रश्न यह है कि क्या वह डाक्टर जिस से यह प्रमाण पत्र मांगा गया है, कि अमुक व्यक्ति विवाह के समय नपुंसक था, यह भी प्रमाणित करेगा कि वही व्यक्ति विवाह को शून्य घोषित करने के लिये भविष्य में मुकदमा लाते समय भी नपुंसक होगा ।

अब हम खंड २५ के उन उप-खंडों को लेते हैं, जिन का निर्देश बीमारियों या दोषों की ओर है । पहले उपखंड में उस

विवाह का उल्लेख है, जिसे प्रतिवादी के इन्कार के कारण संसिद्ध नहीं किया गया । हो सकता है कि उसे संभोग से घृणा हो । यदि इसे बीमारी समझा जाये तो डाक्टर कैसे प्रमाणित करेगा कि अमुक पुरुष अमुक स्त्री से अपना विवाह संसिद्ध करने से इन्कार करता है ? यह बिल्कुल असाध्य है ।

अगला खंड लीजिए : "विवाह के समय उत्तरकर्त्ता निवेदक से भिन्न किसी पुरुष द्वारा गर्भवती हो"। हो सकता है कि इस बात का पता लगे या न लगे । यह इस बात पर निर्भर करता है कि विवाह के समय लड़की किस अवस्था में थी । यदि उसे केवल एक मास पहले गर्भ हुआ हो, तो डाक्टर के लिये यह बताना कि गर्भवती है या नहीं संभव नहीं है । अतः क्या आप यह समझते हैं कि कोई लड़की इन सब बातों को सहेगी । यदि उसे बहुत देर से गर्भ हो, तो इसे जानना संभव है । यदि दूसरा पक्ष इस बात को जानते हुए भी विवाह करता है तो, आप को क्या आपत्ति हो सकती है ? यह कोई ऐसा दोष नहीं है, जिसे वंश पराम्परागत कहा जायें और जिस से आने वाली नस्लों को हानि पहुंचे । खंड २५ में किसी दोष या बीमारी की ओर और कोई निर्देश नहीं है । अब में खंड २७ को लेता हूं । पहला कारण जारता है और यह कोई बीमारी नहीं है दूसरी बात पति या पत्नि का छोड़ देना है । इस का भी बीमारी से कोई सम्बन्ध नहीं । उपखंड (क), (ख), (ग) और (घ) का बीमारी से कोई सम्बन्ध नहीं । उपखंड (ङ) में, चित्त-विकृति की ओर निर्देश है । मैं मानता हूं कि यह एक बिमारी है । पहले भी जब मैं चित्त-विकृति के मामले की चर्चा कर रहा था, मैं ने बताया था कि इस देश में किसी व्यक्ति की चित्त-विकृति को सिद्ध करना कितना कठिन है । देश में वश्य कुछ पागलखाने हैं, किन्तु ये कितने हैं । अतः किसी व्यक्ति की चित्त-विकृति को निश्चित रूप से प्रमाणित करना संभव नहीं है ।

अब अगला प्रश्न रतिज रोग का है । कुछ डाक्टर कहते है कि रक्त परीक्षण से रतिज रोग का पता लगाया जा सकता है । यदि पंडित जी ने केवल यह कहा होता कि पक्षों के लिये किसी चिकित्सा पदाधिकारी से लिया हुआ यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उन का रक्त-परीक्षण हो चुका है, तो उन का संशोधन समझ में आ सकता था । किन्तु किसी डाक्टर के लिए निश्चित रूप से यह प्रमाणित करना बहुत कठिन है कि अमुक व्यक्ति बीमारी से बिलकुल मुक्त है ।

वास्तव में, मैं ने इस विषय में जांच करवाई है । मैं यह जानना चाहता था कि किन देशों में विवाह से पहले डाक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त है । विधेयक में डाक्टरी प्रमाणपत्र के लिये व्यवस्था नहीं की गई—ऐसा बिना सोचे समझे नहीं किया गया । रूस की विधि में इस सम्बन्ध में जो उपबन्ध है, वह हर प्रकार से अधिक व्यावहारिक और संभवतः अधिक वांछनीय है । उस में केवल यह अपेक्षित है कि विवाह करने वाले पक्ष, विवाह पंजीयक के सामने अपनी घोषणा में यह अवश्य लिख कर दें कि उन्हें एक दूसरे के स्वास्थ्य की स्थिति का ज्ञान है । झूठी घोषणा करने की अवस्था में दंड की व्यवस्था है । यदि मेरे माननीय मित्र भी इस प्रकार का कोई संशोधन प्रस्तुत करते और कहते कि "विवाह करने वाले दोनों पक्ष यह घोषणा करें कि जहां तक उन्हें मालूम है वे इस प्रकार की बीमारियों से मुक्त हैं" तो बात समझ में आ सकती थी, क्योंकि इसे क्रियान्वित किया जा सकता है । अमेरिका के २४ राज्यों में विवाह से पहले एक रक्त-परीक्षण करवाना आवश्यक

[श्री बिस्वास]

है । केनडा में भी विवाह के लिये कोई लाइसेंस या प्रमाणपत्र आदि नहीं दिया जाता जब तक कि पक्ष यह घोषणा न करें कि उन की जानकारी के अनुसार उन्हें कोई क्षयरोग, या रतिज रोग नहीं है । ऐसा करना संभव है । रक्त-परीक्षण तो हो सकता है, किन्तु यह प्रमाणित करना कि वे इन बीमारियों से मुक्त हैं, संभव नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : क्या माननीय मंत्री अब इस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं ?

श्री बिस्वास : नहीं । मैं यह बता रहा हूं कि इस संशोधन को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता । मैं ने इस प्रश्न पर विचार किया है और विभिन्न देशों से जानकारी प्राप्त कर के वहां की परिस्थितियों की तुलना अपने देश की परिस्थितियों के साथ करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ऐसा उपबन्ध बनाने का कोई लाभ नहीं जिसे प्रभावी रूप से लागू न किया जा सके ।

इस विधेयक के अन्य खंडों में रोगों अथवा किसी दोष का कुछ भी निर्देश नहीं है ।

अतः मुझे सविश्वास यह निवेदन करने का साहस होता है कि सभा मुझ से सहमत होगी कि हमें इस संशोधन के प्रस्तावक के उद्देश्य से कितनी भी सहानुभूति क्यों न हो हम इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : अब मैं इस संशोधन को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा । मैं समझता हूं कि इस छोटे से विषय पर बहुत काफ़ी चर्चा हो चुकी है ।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर अस्वीकृत हुआ।)

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि सभी प्रस्तुत संशोधन समाप्त हो चुके हैं । अतः अब मैं खंड ४ को, संशोधित रूप में, सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री नंद लाल शर्मा : मेरा संशोधन, आठवीं सूची में संख्या ३४४, अभी शेष है ।

(माननीय सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया)

सभापति महोदय : यह निश्चय करने से पूर्व कि इस संशोधन की अनुमति दी जाय अथवा नहीं मैं उन का दृष्टिकोण सुनना चाहता हूं ।

श्री नंद लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, म इस से पहले अंग्रेज़ी में बोल चुका हूं लेकिन अब चूंकि हिन्दी का प्रश्न आ गया है इस लिये, अपने सिद्धान्तानुसार हिन्दी में बोलूंगा ।

बात यह है कि जब दोनों के दोनों पक्ष अपने स्वाभाविक क़ानून का परित्याग कर के, अपनी स्वाभाविक संस्कृति का परित्याग कर के और अपने संस्कारों का परित्याग कर के विवाह करने जाते हैं तो उस से सब से बड़ी ज़रूरी बात यह है कि फ्री कंसेंट होना चाहिये । अभी विधि मंत्री ने थोड़ी देर पहले पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन पर बोलते हुए कहा था कि यदि वह बजाय इस के कि मेडिकल सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में कहते, वह यह कह देते कि हम ने दूसरी पार्टी को यह विश्वास दिला दिया है, उस को ज्ञान करवा दिया है कि हमारे अन्दर किसी तरह की कोई ख़राबी या कोई रोग नहीं है, तो मैं इस चीज़ को स्वीकार भी कर सकता था, तो मैं विधि मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं वही वस्तु इस संशोधन के द्वारा ला रहा हूं । जब वह बालक नहीं

है, जब दूसरे धर्म में दूसरे मत वालों के साथ विवाह इत्यादि का हमने स्वरूप बनाया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम को यह विश्वास होना चाहिये कि फ्री कंसेंट है । अभी श्री मोरे ने खड़े हो कर यह कहने का प्रयत्न किया कि सेक्शन २५ में यह चीज़ "वायडेबुल मैरिजेज़" में दी है । सेक्सन २५ सबक्लाज़ ३ इस तरह है:

(३) जैसा भारतीय प्रसंविदा अधिनियम, १८७२ (१८७२ के ९) में व्याख्या दी गई है, विवाह के लिये किसी भी पक्ष की स्वीकृति दबाव अथवा धोखे से ली गई ।

यह मैरिज को वायडेबुल करने के लिये माना किसी को कोई इलोप कर के ले गया, बेचारे माता पिता को कुछ पता नहीं । चौदह दिन का आप ने टाइम दे दिया है, अब भारतवर्ष के इतने बड़ महाद्वीप में किसी कोने में जा कर १४ दिन रह कर उन्होंने विवाह करवा लिया और जिस तरह जैसिका के लोरेंज़ो द्वारा इलोप करने पर बेचारा शाइलोक रोता फिरा, वही हालत उन के मां बाप की होने वाली है । उस का कुछ हो नहीं सकता । मैं कहूंगा कि जब पैरेंट्स के कंसेंट की आवश्यकता न हो और जब दूसरे मत, मतान्तरों में जाने के लिये उस का मार्ग खुला हो तो कम से कम एक विश्वास और निश्चय हो जाना चाहिये कि फ्री कंसेंट दिया गया है । फ्री कंसेंट मैरिज को वायडेबुल क़रार देने के लिये नहीं बल्कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रौड है, अनड्यू इनफ्लुएंस है, मिसरेप्रेज़ेंटेशन आफ़ फैक्ट्स है या कोई कोअरशन है, इन सारी अवस्थाओं में उस मैरिज को पहले ही एसेंशियल कंडीशंस आफ़ दी मैरिज में वायड क़रार देना चाहिये । अगर हम ऐसा नहीं करते तो उस परिस्थिति में ख़ास करके लड़कियों के लिये एक मुश्किल हो जाती है जिन के चरित्र पर पीछे बात उठा करती है और उस को पीछे पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ और धोखा होने के बाद वह लड़की को छोड़ देता है तो ऐसी हालत में वह बेचारी लड़की कहां जायेगी ? इस लिये यह जो ख़तरा आने वाला है उस के आने से पहले ही इस को एसेंशियल कंडीशंस में दे दिया जाय और उस मैरिज को वायड क़रार दिया जाय ।

जी क्लाज़ के लिये भी मेरा कहना है कि जहां उन के अपने पर्सनल ला वैयक्तिक विधि उनके पास हों और जहां वह एक ही धर्म, एक ही सम्प्रदाय के अन्दर विद्यमान हैं उन्हें अपने सम्प्रदाय के अन्दर विवाह करने का नियम होना चाहिये, उसी परिस्थिति में जहां उन के अपने सम्प्रदाय के अन्दर विवाह न हो सकता हो और जहां उन का अपना पर्सनल ला इस की आज्ञा न देता हो और दूसरे धर्म में विवाह करने का ऐसा कोई कामातुर केस आये—कामार्ताहि प्रकृतिकृपणा: चेतना चेतनेषु ऐसी अवस्था में जब कोई मार्ग न रहे और किसी प्रकार की सोसाइटी हम को आज्ञा नहीं देती, हमारा अपना पर्सनल ला आज्ञा नहीं देता तब स्पेशल मैरिज के द्वारा स्पेशल कंडीशंस और सरकमस्टान्सेज़ बना कर विवाह करने का प्रयत्न करें, ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि दोनों सरकमस्टान्सेज़ के अन्दर इस के लिये प्राविजन होना चाहिये और मैं विश्वास करता हूं कि विधि मंत्री महोदय स्वयं इस को स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्होंने आंशिक रूप से उस को वांयडेबुल मैरिजेज़ के सेक्शन २५ में ला दिया है लेकिन उस को मैरिज कंडीशंस में नहीं लाये और इस कारण यह भय हो गया कि विवाह हो जाने के बाद उस को वायडेबुल क़रार देने में पार्टी को चिन्ता होगी, कष्ट होगा, इसलिये उन को पहले ही उस स्थान पर रखना आवश्यक है और उसी के साथ साथ मैं जी के लिये पुनः अनुरोध करूंगा कि पक्ष विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं । यह कहना

[श्री नन्द लाल शर्मा]

भी आवश्यक है, क्योंकि एक ही धर्म में विवाह करने के लिये हम ने पहले उस का प्रबन्ध कर लिया है । हिन्दू मैरिज एन्ड डाइवोर्स बिल में भी वह सारी की सारी बातें दे दी हैं । जो हिन्दू सिद्धान्तों को छोड़ना चाहते हैं वह भी सैक्रामेंटल मैरिज के नाम से अपना विवाह कर सकें और जो सैक्रामेंटल विवाह को नहीं मानते हैं उन के लिये भी इस बिल में स्थान है, ऐसी परिस्थिति में कोई कारण नहीं दीखता कि वह स्पेशल मैरिज का आश्रय क्यों ले ?

स्पेशल मैरिज केवल इसी बात के लिये है कि जहां धर्मान्तर का सवाल हो और जहां कि दूसरी राष्ट्रीयता में, अन्तर सम्प्रदाय में, विवाह होने को हो, वहां इस ऐक्ट के अन्दर शादी हो । यह मेरा संशोधन है और मैं विश्वास रखता हूं कि विधि मंत्री इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर): सभापति महोदय, इस संशोधन का भाग ख एक विधेयक के खण्ड ६ के अन्तर्गत आ जाता है जिस में कहा गया है कि विवाह करने वाले व्यक्तिओं को विवाह पदाधिकारी के पास निश्चित प्रपत्र में लिखित पूर्व सूचना देनी होगी । यदि वे व्यक्ति सहमत न होंगे तो पूर्व-सूचना कैसे देंगे ?

संशोधन का दूसरा भाग श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन सं० १७९ के सम्बन्ध में सभा के निश्चय से निषिद्ध हो गया है । श्री देशपांडे ने संशोधन के उद्देश्य के समर्थन में यह तर्क दिया था कि इस संशोधन से अन्तर्जातीय और भिन्न धर्मावलम्बियों के परस्पर विवाह हो सकेंगे । उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और वह संशोधन अस्वीकृत हो गया था । अतएव मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस : पूर्व कि आप श्री वेंकटारमन की आपत्ति का उत्तर दें मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन का विरोध केवल एक आधार पर नहीं किया गया, उस के कई आधार थे, जिन में से एक यह था कि उस संशोधन का अर्थ स्पष्ट नहीं था और उस की कई परिभाषायें हो सकती थीं । उस समय मैं ने पूछा था कि क्योंकि मेरा संशोधन २२१ भी इसी प्रकार का है इसलिये क्या वह निषिद्ध हो जायेगा । तो अध्यक्ष का यह उत्तर था कि ऐसा नहीं होगा, अर्थात् संशोधन २२१ को संशोधन सं० १७९ द्वारा निषिद्ध नहीं किया जायेगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस आधार पर कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन पर चर्चा की जा सकती है, कार्यक्रम मंत्रणा समिति ने इस की चर्चा के लिये ३ घंटे का समय नियत किया था । अतः वह संशोधन निषिद्ध नहीं किया गया था ।

मैं ने श्री नन्द लाल शर्मा से अपील की है और वे अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हो गये हैं । अतः हम इस की चर्चा उस समय कर सकते हैं जब खण्ड १ पर विचार किया जायेगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

सभापति महोदय: क्या सभा की अनुमति है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले ल ?

कई माननीय सदस्य: जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५—संकल्पित विवाह की पूर्व सूचना

सभापति महोदय: इस खण्ड के बहुत से संशोधन हैं और मैं चाहता हूं कि जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो कर संशोधन प्रस्तुत करें और मैं उन्हें प्रस्तुत हुआ समझ लूंगा ।

श्री वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ ३ पंक्ति १६ और १७ में "fourteen" ["चौदह"] के स्थान पर "thirty" ["तीस"] शब्द रखा जाये ।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति १६ और १७ में "fourteen" ["चौदह"] के स्थान पर 'ninety days" ["नब्बे दिन"] शब्द रखा जाये ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३—

(१) पंक्ति १२ में "when" ["जब"] शब्द से पूर्व "I" ["१"] निविष्ट किया जाये ।

(२) पंक्ति १८ के पश्चात् ये शब्द रखे जायें :

"(2) the notice shall be accompanied by such medical certificates, documents and affidavits in proof of the conditions (a) to (d) of section 4 as may be prescribed"

["(२) पूर्व-सूचना के साथ धारा ४ में (क) से (घ) तक निश्चित शर्तों के प्रमाण के रूप में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, दस्तावेज और शपथ-पत्र होंगे "]

श्री भागवत झा आजाद (पूर्णिया व संथाल परगना): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति १६ और १७ में "fourteen days" ["चौदह दिन"] शब्दों के स्थान पर "six weeks" ["छः सप्ताह"] शब्द रखे जायें ।

श्री मूल चन्द दूबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति १६ से १८ तक में "has resided for a period of not less than fourteen days immediately preceding the date on which such notice is given" ["ऐसी सूचना देने की तिथि से तुरन्त पूर्व कम से कम चौदह दिन तक रहा हो"] शब्दों के स्थान पर " permanently resides or intends to settle permanently" ["स्थायी तौर पर रहता हो, अथवा उस का स्थायी रूप से रहने का इरादा हो"] शब्द रखे जाएं ।

पंडित डी० एन० तिवारी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३ पंक्ति १६ और १७ में "fourteen days" ["चौदह दिन"] शब्दों के स्थान पर "forty-five days" ["पैंतालीस दिन"] शब्द रखे जायें ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला मथुरा—पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति १४ में द्वितीय अनुसूची के पश्चात् "accompanied by an affidavit verifying the correctness of the information and particulars given in the notice" [" के साथ पूर्वसूचना में दिये गये विवरण और जानकारी की सचाई को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र"] शब्द निविष्ट किये जायें ।

(२) पृष्ठ ३ में, पंक्ति १५ से १८ के स्थान पर " to the marriage officer of the district in which the girl has been permanently residing" ["उस ज़िले के विवाह पदाधिकारी को जिस में लड़की स्थायी रूप से रहती हो"] शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ३, पंक्ति १५ और १६ में, "at least one of the parties to the marriage" ["कम से कम विवाह का एक पक्ष"] शब्दों के स्थान पर "girl" ["लड़की"] शब्द रखा जाये ।

सभापति महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री वेंकटारमन : इस खण्ड के अधीन यह उपबन्ध किया गया है कि दोनों पक्षों में से एक संकल्पित विवाह के संबंध में उस विवाह पदाधिकारी को पूर्व सूचना दे सकता है जिस के क्षेत्राधिकार में वह १४ दिन रहा हो ।

क्योंकि हम भगोड़ों को यह अवसर नहीं देना चाहते कि वे विवाह में अभिरुचि रखने वाले पक्षों को आवश्यक सूचना दिये बिना ही विवाह कर लें, सलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि विवाह पदाधिकारी के क्षेत्राधिकारी में रहने की चौदह दिन की कालावधि को बढ़ा कर ३० दिन कर दिया जाये । यद्यपि यह संशोधन सर्वथा दोष रहित नहीं है, परन्तु यह ९० दिन की कालावधि चाहने वाले और खण्ड को ज्यों का त्यों रखने की इच्छा वाले लोगों के लिये समझौते का मध्य मार्ग है । दूसरे इस कालावधि में संबंधित पक्षों को भगोड़े के निवास स्थान के पता लगने की गुजांइश रहती है ।

श्री नन्द लाल शर्मा : श्री वेंकटारमन के इस तर्क के अतिरिक्त जो उन्होंने पूर्व सूचना की थोड़ी कालावधि के विरुद्ध दिया है कि इस से भगोड़ों को अवसर मिल जायेगा, मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूं । हम जानते हैं कि यह एक विशेष विवाह का विधेयक है । इस से समाज के सब बंधनों और सिद्धान्तों को तोड़ा जा रहा है । अतः हमें होने वाली सभी प्रकार की गलतियों से बचने के प्रबन्ध करने चाहियें ।

कल्पना कीजिए कि दोनों पक्ष अपने माता-पिता के नाम नहीं बताते या उन में से कोई जो १८ वर्ष से कम आयु का हो यह कहता है कि उस के माता-पिता जीवित नहीं हैं अतः संरक्षक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में वे जिस स्थान पर ३ मास रहेंगे वहां के लोग उन से परिचित हो जायेंगे । अतः अपीलों और अन्य प्रयोजनों के लिये ९० दिन की कालावधि आवश्यक है । अतः मेरा निवेदन है कि चौहद दिन के स्थान पर नब्बे दिन रख दिये जायें ।

पंडित डी० एन० तिवारी: सभापति जी, जितने लोगों ने इस विषय पर अमेंडमेंट दिये हैं उन सब का आशय है कि टाइम बढ़ा दिया जाय । लेकिन अब देखना यह है कि रीज-

नेबल टाइम क्या है, ३० दिन या ९० दिन या १४ दिन । हम समझते हैं कि १४ और ९० के बीच का टाइम यानी ४५ दिन ठीक होगा । वेंकटरामन जी ने ३० दिन के लिये अमेंडमेंट दिया है । हमारा ख्याल है कि एक महीना तो आदमी लुकछिप कर रह सकता है लेकिन ४५ दिन में सब पता चल जायगा । इस में ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है । मैं समझता हूं कि इस को मंजूर कर लिया जायगा ।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति जी, अभी जो हमारे माननीय सदस्य श्री द्वारिका नाथ तिवारी जी ने संशोधन दिया है मैं उस का समर्थन करता हूं । कारण वही है जो कि वेंकटरामन जी ने दिया है । हम समझते हैं कि इस में जो १४ दिन दिये गये हैं ये बहुत कम हैं । कोई भाग कर आवे और कहे कि हम शादी करना चाहते हैं तो उस की जांच आदि करने के लिये १४ दिन बहुत कम हैं । हम समझते हैं कि इस के लिये ३० दिन भी काफ़ी नहीं हैं । तीस रोज तक कोई भी आदमी लुक छिप कर रह सकता है । आवश्यकता इस बात की है कि हम इस समय को बढ़ा कर और अधिक करें । ९० रोज़ करना तो गलत होगा । यह किसी भी जेनुइन पार्टी के प्रति अन्यायपूर्ण होगा यदि उन को तीन महीने तक शादी करने से रोका जाय । मेरा अपना संशोधन भी ६ हफ्ते का है। मैं समझता हूं कि यह ४५ दिन का समय ठीक है और इस को मंजूर कर लिया जाना चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र : सभापति जी, मेरे संशोधन २९७, २९८ और २९९ नम्बर के हैं ।

क्लाज़ ५ में जो पार्टीज़ शादी करने की इच्छुक होंगी उन के लिये यह व्यवस्था रखी गयी है कि वे मैरिज अफसर को एक लिखित नोटिस देंगी । उस लिखित नोटिस का मजमून शिड्यूल में पीछे दिया हुआ है और उस शिड्यूल को देखने से पता चलता है कि उस नोटिस में उन को काफ़ी पर्टीकुलर्स देने की ज़रूरत है । मेरा ख्याल है कि यह चीज़ इसी ख्याल से रखी गयी है कि अगर कोई बाहर जा कर शादी करना चाहे तो उसे पूरे पर्टीकुलर्स देने चाहिये । जैसा कि श्री वेंकटरामन ने भी कहा है वही मेरा अमेंडमेंट है कि अगर कोई इस तरह शादी करना चाहे तो उस के लिये हम स्पेशल मैरिज बिल तो पास करें लेकिन इस कानून द्वारा ऐसी शादियों को प्रोत्साहित न करें जो कि भगोड़ा शादियां कहलाती हैं जिस में कि कोई किसी लड़की को भगा लेजा कर उस से बाहर जा कर शादी कर ले । सभापति जी, इस देश में जहां कि सब किस्म की बनावटी बातें हो सकती हैं और जाल और फरेब हो सकते हैं, वहां पर इस विवाह के लिये यह बहुत सम्भव है कि कोई आदमी बाहर से कलकत्ते या बम्बई या किसी बड़े शहर में चला जाय और वहां जा कर किसी होटल में ठहर जाय और होटल वाले से मिल कर अपना नाम पहले से लिखा दे ताकि १४ रोज़ जल्दी पूरे हो जायें और इस तरह १४वें दिन अपनी शादी रजिस्टर करा ले । हो सकता है कि वह कहीं से लड़की को अंडर प्रेशर, या प्रलोभन दे कर या भुलावा दे कर ले आवे और वहां सिर्फ दो रोज़ पहले पहुंचे । लेकिन होटल के मैनेजर से मिल कर १४ रोज़ पहले अपना नाम लिखवा ले । नोटिस तो उस ने १४ रोज़ पहले दिया ही हुआ है, और वह दूसरे रोज़ ही जा कर शादी रजिस्टर करवा सकता है और नोटिस में जो पर्टीकुलर्स दे वह गलत दे दे । ऐसी हालत में जो नोटिस जायगा वह गलत जायगा । जहां नोटिस जाना चाहिये वहां नहीं जायगा । इस विधेयक में यह कहीं नहीं रखा गया है । वह जो नोटिस का मजमून देगा उस में किसी किस्म का डिक्लेरेशन

[श्री कृष्ण चन्द्र]

देगा कि वह ठीक है । तो मेरा पहला संशोधन तो यह है कि जो नोटिस वह देगा उस के साथ एक एफीडेविट दे जिस में जो वह नोटिस में पर्टीकुलर्स देता है उन की तसदीक की जाय कि वे सही हैं । ताकि वे बाद में अगर गलत निकलें तो उस की ज़िम्मेदारी उस पर लादी जा सके और उस के ऊपर मुकदमा चलाया जा सके ।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट यह है कि अच्छा यह होगा कि जैसे अमेंडमेंट यह दिया जा रहा है कि तीस दिन का हो, चालीस दिन का हो, पैंतालीस दिन का या साठ दिन का हो, तो अच्छा तो यह है कि अगर कोई शादी अनुचित तरीक़े से नहीं की जा रही है, गैर-मुनासिब तरीक़े पर नहीं की जा रही है, लड़के और लड़की दोनों की कंसेंट से की जा रही है, लड़की और लड़के के जो मां बाप हैं या जो उन के गार्डिअन हैं वह भी उस शादी का बहुत विरोध नहीं करते हैं तो ऐसी शादी के लिये कोई वजह नहीं है कि वह शादी जहां वह लड़का रहता है, लड़के का घर है और जहां लड़की का घर हो उन दोनों जगहों को छोड़ कर कहीं बाहर वह शादी की जाय, बाहर वह शादी तभी की जायगी जब उस के अन्दर कोई अनुचित चीज़ होगी । जैसे किसी वजह से लड़की रज़ामन्द नहीं है और लड़की को वह भुलावा दे कर धोखा दे कर अनजान जगह ले आया है, वह उस को कहीं बाहर ले जा कर शादी करेगा । वैसे ज्यादा मुनासिब यह है और हमारे हिन्दुस्तान में यह रिवाज़ चला आया है कि हमेशा शादी जहां लड़की रहती है वहां शादी की जाती है और इसलिये मेरे संशोधन में यह सुझाव दिया गया है कि शादी का नोटिस वहीं दिया जाय जहां कि लड़की रहती है और अगर कोई शादी करना चाहता है तो उस के लिये ऐसा करना सम्भव होना चाहिये, ऐसा कम्प्लाई करने में कोई बड़ी दिक्कत और कठिनाई नहीं है और मेरी समझ में नहीं आता कि जब वह उस लड़की से शादी करना चाहता है, काफ़ी दिनों के लिये उस के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, निकटतम सम्बन्ध उस लड़की के साथ स्थापित करना चाहता है तो वह इतना भी न कर सके कि जहां लड़की का घर हो वहां जा कर वह शादी कर सके और शादी से पहले उस का नोटिस दे सके, कोई कारण नहीं है कि वह ऐसा न कर सके अगर शादी वास्तविक है, सही है, उस में कुछ खर्चा तो लगेगा ही और यह उसे बर्दाश्त करना चाहिये और आम तौर पर शादी ऐसी जगहों पर होनी चाहिये जहां पर कि लड़का या लड़की रहते हों । दूसरा अमेंडमेंट मेरा यह है कि जहां पर लड़की मुस्तकिल रहती हो, वहीं पर वह शादी रजिस्टर हो सकती है, अगर सभा को मेरा यह अमेंडमेंट स्वीकार न हो तो कम से कम इतना तो कर ही दिया जाय कि जहां दोनों पार्टियों में से एक पार्टी मुस्तकिल तौर पर रहती हो वहां शादी की जाय, वहां शादी की रजिस्ट्री की जाय और मेरा अमेंडमेंट जैसा कि इस में जाहिर किया गया है इसी भावना और उद्देश्य को ले कर रक्खा गया है कि भगोड़ी शादी नहीं होनी चाहिये, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये कि शादी में लड़की या लड़के को कोई भुलावा दिया जाय, ख़ास तौर पर लड़की को भुलावा दिया जा सकता है, इसलिये मैं अपनी महिला सदस्याओं से निवेदन करुंगा कि वे ध्यान दें जो कि यहां पर इस चीज़ की बड़ी ताईद कर रही हैं कि लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिये और शादी करने के लिये उन के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिये, मैं उन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को लड़कियों के लिये जितना उदार आप बनाना चाहें बना दीजिए, लेकिन इस बिल में आप ऐसी गुंजाइश मत रखिये कि

लड़कियों को बाद में मुसीबत पेश आये, क्योंकि आज कल हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को भुलावा दे कर, धोखा दे कर और तरह तरह की तरग़ीब दे कर आज कल के लड़के उन को फांस कर उन की ज़िन्दगी ख़राब कर देते हैं। आज कल की हमारी जो लड़कियां हैं वे इतनी तजुर्बेकार होती नहीं है, दुनिया देखे हुए नहीं होती हैं, उन को दुनिया की ठोकर लगी नहीं होती है इसलिये वे सहज भुलावे में आ जाती हैं....

श्री भागवत झा आज़ाद : लड़के भी भुलावे में आ जाते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं तो समझता हूं कि लड़कियां ही इस तरह के भुलावे में आती हैं, हो सकता है कि आप का तर्जुबा ऐसा हो। मेरा निवेदन है कि इस बात का ऐहतियात बर्त्ता जाय कि स्पेशल मैरिज में जो विवाह होते हैं उन में इस बात का पूरा इतमीनान कर लिया जाय कि किसी को उस में धोखा न हो और भुलावे से किसी की कंसेंट न ले ली जाय या शादी की रजिस्ट्री न हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को सभा स्वीकृति के लिये उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि सभा मेरे संशोधनों को स्वीकार करेगी।

श्री जांगड़े (विलासपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, श्री भागवत झा आज़ाद ने जो संशोधन पेश किया है उस का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ने यहां पर जो यह चौदह दिन की मियाद रक्खी है, वह बिल्कुल नाकाफ़ी है क्योंकि मैं आप को बतलाऊं कि मान लीजिये एक ज़िले का रहने वाला लड़का और किसी दूसरे ज़िले की रहने वाली लड़की दोनों जा कर किसी दूसरे ही ज़िले में रहने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर रायपुर ज़िले का एक लड़का और बिलासपुर की लड़की दोनों जा कर कलकत्ते के किसी होटल में अथवा वहां किसी के घर बड़ी सरलता से १४ दिन पहुनाई में रह सकते हैं और चौदह दिन के बाद वे अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिये वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिखा-पढ़ी कर सकते हैं और इस कारण यह चौदह दिन का समय रखना बिल्कुल नाकाफ़ी और अपर्याप्त है और मैं समझता हूं कि कम से कम डेढ़ महीने का समय इस के लिये निर्धारित करना चाहिये, वैसे अगर मियाद और बढ़ाई जा सके तो बेहतर है। डेढ़ महीना रखने से यह होगा कि होटल वाला भी जान जायेगा कि ये कौन लोग हैं, जो डेढ़ महीने से मेरे होटल में ठहरे हुए हैं। उन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायगी और साथ ही डेढ़ महीने तक पहुनाई भी नहीं हो सकेगी और ठहराने वाला जान जायेगा कि यह किसी बहाने से इतने दिन तक यहां पर ठहरा हुआ है, साथ ही डेढ़ महीने के भीतर दोनों पार्टियों को पता चल जायगा कि हमारी जो शादी होने जा रही है वह स्थायी होने वाली है या केवल क्षण भर के लिये है, इस अर्से में दोनों पार्टियों को पता चल जायेगा कि उनकी शादी अधिक दिन टिकने वाली है या नहीं, इस अर्से में उन को कड़ुवाहट या मिठास का भी पता चल जायेगा। इसलिये में अनुरोध करूंगा कि बजाय चौदह दिन के डेढ़ महीने की अवधि दी जानी चाहिये, इस से कम नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट): मैं श्री वेंकटरामन के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खण्ड ५ में जो चौदह दिन का उपबन्ध किया गया है यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। खण्ड ५ की अनुसूची २ में यह उपबन्ध किया हुआ है कि प्रस्तावित विवाह के लिये दोनों पक्षों द्वारा की गई घोषणा को साक्षियों द्वारा प्रमाणित करना चाहिये। इस से मुझे यह प्रतीत

[श्री सी० आर० चौधरी]

होता है कि इस चौदह दिन की कालाविधि का उपबन्ध इस लिये किया गया है कि उन पक्षों को साक्षी प्राप्त करने का अवसर मिल सके । इस लिये इस कालाविधि को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । मेरे मित्र का यह तर्क है कि इस थोड़ी कालाविधि में भगोड़े ऐसा विवाह कर सकते हैं जिस का अन्य अभिरुचि रखने वाले पक्ष विरोध करते हों । मेरा निवेदन है कि ऐसे विवाह का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जैसा सभा न स्वीकार किया है लड़की की आयु १८ वर्ष तथा लड़के की २१ वर्ष रखी गई है । यदि उन की यह आयु हो तो कोई भी व्यक्ति उन के विवाह पर आपत्ति नहीं उठा सकता ।

इस के अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण चन्द्र के संशोधन सं० २९७ का समर्थन करता हूं, जिस में यह उपबन्ध किया गया है कि पूर्व-सूचना में दिये गये विवरण को प्रमाणित करने के लिये एक शपथ-पत्र दिया जाए । इस से सम्बन्धित पक्षों के हित भी सुरक्षित हो जायेंगे । अतः मैं कालाविधि बढ़ाने का सर्वथा विरोध करता हूं और यदि सभा उपबन्ध के दुरुपयोग के भय से कालाविधि को बढ़ाना चाहे तो उसे श्री कृष्ण चन्द्र का संशोधन स्वीकार करना चाहिये ।

श्री मूलचन्द दुबे : विधेयक में इस बात का उपबन्ध है कि पूर्व सूचना देने के १४ दिन पश्चात् विवाह किया जा सकता है, इस का यह उद्देश्य है कि विवाह में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इस का पहले पता चल जाये । १४ दिन का समय इंगलैंड अथवा किसी अन्य छोटे देश के लिये पर्याप्त हो सकता है, परन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिये यह बहुत कम है । कई मित्रों ने इसे बढ़ाने के सुझाव दिये हैं ।

मेरे विचार में तो ऐसी कोई सीमा निश्चित नहीं करनी चाहिये । विवाह ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिये जहां दोनों पक्षों में से कोई एक स्थायी रूप से रहता हो, यदि भगोड़ा विवाहों को रोकने का विचार है तो यह अत्यधिक आवश्यक है कि केवल उसी प्राधिकारी को पूर्व-सूचना दी जाये जिस के अधिकार-क्षेत्र में दोनों में से एक पक्ष स्थायी रूप से रहता हो अथवा रहना चाहता हो । इस प्रकार के गंधर्व विवाहों तथा भगोड़ा विवाहों को रोकना चाहिये जिन में दोनों पक्षों को अपनी आयु और माता-पिता के नाम इत्यादि के बारे में झूठ बोलने का अवसर मिले । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन): मैं इस अमेंडमेन्ट की मुखालिफत करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि १४ दिन ही रक्खे जायें । यह ठीक है कि यह देश बहुत बड़ा है और इतने बड़े देश में छः छः महोने या साल साल भर तक लोग अन्डरग्राउन्ड रहें तब भी पता नहीं चलता । मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात हो तो छः महीने या साल भर क्या बारह साल तक आप को इस का पता नहीं चलेगा । हमारे यहां देहाती कहावत है कि "मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी" । आज हालत क्या है कि हम जब अपने लड़के और लड़कियों की शादी करते हैं तो जबरदस्ती जिस से चाहते हैं उस से शादी कर देते हैं । उन की इच्छा की परवाह नहीं करते । हम लोग लड़की को अपनी प्रापर्टी समझने लगे हैं । आखिर हम उन की हालत पर क्यों नहीं छोड़ देते ? जब वे १८ वर्ष के हो जायें तब हमें उन को पूरी आजादी देनी चाहिये कि वे खुद अपनी इच्छा के मुताबिक फलें फूलें ।

इस के बाद नोटिस का सवाल आता है । अगर किसी की लड़की भाग गई है या

अगर किसी को शिकायत है कि ऐसा हुआ है तो वह पुलिस में रिपोर्ट कर देगा । ऐसे मौके पर चारों ओर खोज होगी और वे लोग इस पीरियड के अन्दर छिपे नहीं रह सकते । यह जो स्पेशल मैरेज एक्ट बन रहा है उस में लड़कियों और लड़कों को कुछ मौका दिया जा रहा है । लेकिन जो लोग अपना रोमान्स खो चुके हैं, जो इस चीज को समझते नहीं हैं कि शादी के वक्त क्या होता है, वे शादी में रुकावट डाल रहे हैं । इस लिये मैं कहता हूं कि जो १४ दिन का पीरियड रक्खा गया है वह काफी है ।

सभापति महोदय : क्या माननीय विधि मंत्री को कुछ कहना है ?

श्री बिस्वास : मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, । मेरा विचार है कि श्री बेंकटा-रमन का सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये अर्थात् १५ दिन के मूल सुझाव या ९० दिन या ६० दिन के स्थायी निवास इत्यादि के विकल्पों की बजाये ३० दिन का समय रखा जाये । मेरा विचार है कि ३० दिन ठीक रहेंगे ?

श्री बी० सी० दास: मूल अधिनियम में १४ दिन का समय था और इतने वर्षों से यह सन्तोषजनक ढंग से चलता रहा है ।

श्री बिस्वास : जब विवाह के लिये लड़की की कम से कम आयु १४ वर्ष थी तब भी इतनी ही अवधि थी ।

श्री बी सी० दास: यह परिवर्तन किस आधार पर किया जा रहा है ? पुराने अधिनियम के अधीन कई लोगों के विवाह हुए और इस उपबन्ध का कभी दुरुपयोग नहीं किया गया । (अंतर्बाधायें)

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : सूचना के हेतु मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दोनों पक्ष इस अधिनियम के अधीन विवाह करने के लिये उत्सुक हों तो क्या ३० दिन तक उन का प्रेम बना रह सकता है ?

श्री बिस्वास: आप को यह प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिये जो इस अधिनियम के अधीन विवाह करना चाहते हों । (अन्त-र्बाधायें)

सभापति महोदय: यदि कोई माननीय सदस्य कोई नया तर्क देना चाहते हों तो उन्हें बोलने की स्वीकृति दी जा सकती है; किसी सदस्य को चर्चा में भाग लेने के उस के अधिकार से मैं वंचित नहीं करना चाहता । हमारे सामने ९ संशोधन हैं ।

श्री मूलचन्द दुबे: स्थायी निवास के बारे में मेरा संशोधन .....

(सभापति महोदय द्वारा श्री मूलचन्द दुबे का स्थायी निवास सम्बन्धी संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय: शेष संशोधनों में से मैं श्री वेंकटारमन का संशोधन सं० ६६ प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति १६ और १७ में "fourteen" ["चौदह"] के स्थान पर "thirty" ["तीस"] शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(सभापति महोदय द्वारा श्री कृष्ण चंद्र के संशोधन संख्या २९७, २९८ तथा २९९ और श्री एम० एल० अग्रवाल का संशोधन संख्या २३४ प्रस्तुत हुए और अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खंड ५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—(विवाह पूर्वसूचना पुस्तक तथा प्रकाशन)

(सभापति महोदय द्वारा डा० रामाराव, पंडित डी० एन० तिवारी और श्री नन्द लाल शर्मा के क्रमशः संशोधन संख्या १२०, ४ तथा ३४८ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड ६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया

इस के पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, १० सितम्बर १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।